रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.L.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 185] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 12, 1985/चैत्र 22, 1907
No. 185] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 12, 1985/CHAITRA 22, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

आदेश सं० 1/85–88

खुला सामान्य लाइसेंस सं० 1/85

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1985

का. आ. 302 (अ).—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दक्षिणी अफ्रीका/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका संघ को छोड़कर, किसी भी देश से भारत में कच्चे माल और संघटकों और उपभोज्यों को वास्तविक उपभोक्ता (औद्योगिक) द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन आयात करने की सामान्य अनुमति देती है:—

1. आयात की जाने वाली मदें आयात एवं निर्यात नीति 1985–88 (खण्ड 1) के परिशिष्ट 2, 3, 5 और 8 के अन्तर्गत न आती हों।

2. इस लाइसेंस के अधीन यन्त्रों को आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. कच्चे माल, संघटक और उपभोज्य संबद्ध वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) के खुद के उपयोग के लिए अपेक्षित हों, अर्थात वास्तविक उपयोक्ता शर्तों के अधीन हों।

4. वास्तविक उपयोक्ता इस लाइसेंस के अधीन आयात की गई मदों के उपभोग एवं उपयोग का निर्धारित प्रपत्र एवं विधिनुसार उचित लेखा रखेगा और ऐसे लेखे को लाइसेंस प्राधिकारी या अन्य सरकारी प्राधिकारी को उनके द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करेगा।

5. माल की निकासी के समय, वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) वास्तविक उपयोक्ता के रूप में संबद्ध प्राधिकरण के पास अपने औद्योगिक लाइसेंस/

पंजीकरण अर्थात औद्योगिक लाइसेंस पंजीकरण की सं. और तारीख विनिर्माण के उत्पाद (उत्पादों) के विवरण देते हुए और इस बात की पुष्टि करते हुए सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को एक घोषणा पत्र भेजेगा कि (1) ऐसा लाइसेंस/पंजीकरण रद्द नहीं किया गया है या वापस नहीं लिया गया है या उसे अन्यथा रूप से प्रभावहीन नहीं किया गया है, और

(2) इस लाइसेंस के अन्तर्गत आयातित मद उनके औद्योगिक लाइसेंस/संबंधित प्रायोजक प्राधिकारी के पास औद्योगिक एकक के रूप में पंजीकरण के नियम, शर्तों और उनके अनुमोदित चरणबद्ध विनिर्माण प्रोग्राम के बिलकुल अनुसार हैं। यदि प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा अलग से लाइसेंस पंजीकरण संख्या न दी गई हो तो आयातक को सीमा शुल्क प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए इस संबंध में अन्य प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे कि वह लाइसेंसधारी है/औद्योगिक एकक के रूप में पंजीकृत हैं और किए गए आयात के लिए पात्र हैं। माल की निकासी के समय, वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक), प्रायोजक प्राधिकारी या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा उनके लिए अनुमोदित चरणबद्ध विनिर्माण प्रोग्राम यदि कोई हो, तो उसकी एक प्रमाणित प्रति भी भेजेगा।

6. महानिदेशक, तकनीकी विकास के एककों और वस्त्र मशीनरी निर्माता एककों द्वारा संघटकों का आयात 1985–88 के लिए संगत आयात नीति में निर्धारित सूची साक्ष्यांकन क्रियाविधि के अधीन होगा। महानिदेशक, तकनीकी विकास/वस्त्र आयुक्त के साथ पंजीकृत और चरणवार विनिर्माण का कार्यक्रम के अधीन वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) सीमा–शुल्क के माध्यम से निकासी के समय संघटकों की एक सूची भेजेंगे जो महानिदेशक तकनीकी विकास/वस्त्र आयुक्त द्वारा आयात के लिए विधिवत् स्वीकृत और साक्ष्यांकित होगी या महानिदेशक तकनीकी विकास/वस्त्र आयुक्त के साक्ष्यांकन के लिए जो सूची भेजी गई थी उस पर इस संबंध में एक घोषणा होगी कि प्रस्तुत की गई सूची वही है जो महानिदेशक, तकनीकी विकास (आयात और निर्यात नीति सेल) उद्योग भवन, नई दिल्ली अथवा वस्त्र बम्बई आयुक्त जो भी हो, को भेजी गई थी और वह महानिदेशालय, तकनीकी विकास/वस्त्र आयुक्त को प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर वास्तविक उपयोक्ता द्वारा वापस प्राप्त नहीं हुई हैं। जहां आयात की निकासी ऐसी की गई घोषणा के आधार पर की जाती हो वहां संघटकों की निकासी एवं उनकी मात्रा/मूल्य की संख्या वास्तविक उपयोक्ता द्वारा महानिदेशक, तकनीकी विकास/वस्त्र आयुक्त को सीमा शुल्क के माध्यम से निकासी के 30 दिनों के भीतर दी जाएगी।

7. उपर्युक्त दर्शाई गई सूची साक्ष्यांकित क्रियाविधि उन एककों के लिए भी लागू होगी जिनके चरणबद्ध विनिर्माण प्रोग्राम समाप्त हो चुके हो।

8. जिन वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) के पास प्रायोजक प्राधिकारी के अस्थायी पंजीकरण है, वह भी इस लाइसेंस के अधीन कच्चे माल और संघटकों और उपभोज्यों का आयात करने के लिए पात्र होगा।

9. जिन वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) के पास प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ऐसा पंजीकरण प्रमाण पत्र है जिसे विशेष रूप से "प्रस्तावित" चिह्नित किया गया है तो वे भी कच्चे माल, संघटकों और उपभोज्यों का आयात करने के लिए इस लाइसेंस के अधीन पात्र हैं, परन्तु उनके मामले में वास्तविक उपयोक्ता की ओर से राज्य औद्योगिक विकास निगम या राज्य वित्त निगम को आयात की अनुमति केवल तब होगी जब निकासी के समय यह साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए कि संबद्ध वास्तविक उपयोक्ता ने आयातित माल के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के 25 प्रतिशत के बराबर मूल्य के लिए बैंक गारन्टी के साथ इस संबंध में एक बाण्ड भेजा है कि वास्तविक उपयोक्ता आयातित माल का उचित उपयोग करने वाले यूनिट के समर्थन में प्रायोजक प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

10. बृहत क्षेत्र के सभी औद्योगिक एकक इस लाइसेंस के अधीन आयात की गई मदों के ब्यौरे और मूल्य को दर्शाते हुए मद के लिए यथा उपयुक्त एक आवधिक विवरण, महानिदेशक, तकनीकी विकास, नई दिल्ली या अन्य संबद्ध प्राधिकारी और इलैक्ट्रानीकी विभाग को भेजेंगे। लघु क्षेत्र के औद्योगिक एककों को उसी प्रकार के विवरण संबद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजने चाहिये ये विवरणी लाइसेंस वर्ष के 30 सितम्बर, और 31 मार्च के अनुसार भेजे जाएंगें। ऐसा प्रत्येक विवरण दर्शाई गई अवधि के समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर भेजा जाएगा।

11. ये लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची-5 की शर्त–1 के अधीन भी होंगे।

12. मानव निर्मित रेशों, मोटे सन और तागों कच्चा ऊन/चिकनी ऊन/पटेला ऊन जो कि साफ कंघी न की गई हो, अंगोरा बकरी के बाल (भोहेयर), पूर्णरूप से कटी-फटी अवस्था से पहले की अवस्था में वूलन रेग्स/सिंथेटिक रेग्स/शोड़ी वूल के संबंध में पात्र आयातकों को अपनी संविदाएं वस्त्र आयुक्त बम्बई के पास पंजीकृत करवानी चाहिये आयात तभी किए जाएंगे जब संबंधित संविदाओं पर वस्त्र आयुक्त, बम्बई द्वारा ऐसे पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में मोहर लगा दी गई हो। इस उद्देश्य के लिए संविदा की दो प्रतियां वस्त्र आयुक्त के पास रखी जाएंगी और वह आयातक को माल की निकासी के समय सीमा शुल्क प्राधिकारियों के प्रस्तुतीकरण के लिए एक प्रति वापस कर देगा जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत् मोहर लगी होगी। । बाद के ठेकों के पंजीकरण के समय, पात्र आयातकों को एक विवरण भी प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें पूर्व पंजीकृत सभी ठेकों के संबंध में आयातकों में की गई प्रगति और आयातित माल का उपयोग/निपटान दर्शाया जाना चाहिए।

13. जैसा कि ऊपर पैरा (12) में दिया गया है वस्त्र आयुक्त, बम्बई के पास संविदा के पूर्व पंजीकरण से संबंधित शर्तों के अधीन पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं को वितरण के लिए मानव निर्मित रेशे मोटा सन और तागे भी इस लाइसेंस के अधीन भारतीय राज्य व्यापार निगम (एस. टी. सी.), नई दिल्ली द्वारा आयात किए जा सकते हैं।

14. टी पी ए के आयात के मामले में आयात की स्वीकृति केवल पेट्रोलियम मंत्रालय के पास पंजीकृत संविदाओं के आधार पर दी जाएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय, के पास संविदा पंजीकृत करवाने की प्रक्रिया वही होगी जो ऊपर पैरा 12 में दी गई है:

15. सोडा ऐश, पी वी सी रेजिन, वुड पल्पज कास्टिक सोडा और तांबा कतरन/तांबा मिल स्केल के लिए पात्र आयातकों की अपनी संविदाए महानिदेशक, तकनीकी विकास (आयात-निर्यात नीति सेल), उद्योग भवन, नई दिल्ली के पास पंजीकृत करवानी चाहिए। महानिदेशक, तकनीकी विकास के पास पंजीकरण की प्रक्रिया वही होगी जो ऊपर पैरा 12 में दी गई हैं।

16. रेम्पिसिन के मामले में सभी पात्र आयातकों को अपने ठेके विकास आयुक्त (भेषज), शास्त्री भवन नई दिल्ली-110001 के कार्यालय में संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (भेषज) के पास पंजीकृत कराने होंगे। ठेकों को विकास आयुक्त (भेषज) के कार्यालय में पंजीकृत कराने की क्रियाविधि वही होगी जो ऊपर पैरा (12) में दी गई है।

17. विटामिन बी-6 (पायरिडोक्सिन एच सी एल/पायरिडोक्सिन बेस) और पायरिडोक्सिन के मध्यस्थों के मामले में सभी पात्र आयातकों को अपनी कुल आवश्यकताओं के 33 प्रतिशत की सीमा तक के लिए मै. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्युटिकल्स लि. (आई डी पी एल) को पहले आदेश देना होगा। संबंद्ध आयातक की शेष आवश्यकता अर्थात् 67 प्रतिशत के लिए आयातक द्वारा मै. आई डी पी एल को दिए गए पक्के आदेश के दस्तावेजी साक्ष्य या इनके नाम में खोले गए साख पत्र के आधार पर कस्टम्स विभाग निकासी की अनुमति देगा।

18. (1) ऊनी चिथड़ों/रद्दी ऊन/संश्लिष्ट चिथड़ों के आयात की अनुमति केवल तब दी जाएगी जबकि इनका आयात पूर्णरूप से कटी फटी अवस्था से पहले की अवस्था में किया जा रहा हो।

(2) इस प्रयोजन के लिए ऊनी चिथड़ों की परिभाषा इस प्रकार दी गई है:—

(क) "नए" ऊनी कपड़े के अवशेष चाहे वह बुने हुए या कढ़ाई किए हुए कपड़े के हों और जो वस्त्रों की कटाई करने के बाद बच जाते हों इनमें दर्जी द्वारा काट दिए गए वास्तविक टुकड़े, त्याग दिए गए नमूने और सैम्पल के टुकड़े भी शामिल हैं।

(ख) "पुराने" ऊनी कपड़े के वे चिथड़े (कढ़ाई किए हुए और कांटे से बुने हुए कपड़ों सहित) जो रद्दी यार्न के विनिर्माण के लिए आवश्यक हों और उनमें सजावटी मदें या फटे हुए कपड़े, मैले कपड़े या ऐसे कपड़े शामिल हों जिनकी सफाई या मरम्मत न की जा सकती हो।

(3) यह परिभाषा संश्लिष्टों चिथड़ों के लिए आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगी।

19. कच्चे काजू की गिरी के मामले में, भारतीय काजू निगम, इस संबंध में नीति के अनुसार वास्तविक उपयोक्ता (संसाधन एककों) को वितरण करने के लिए इस लाइसेंस के अंतर्गत आयात करने के लिए भी पात्र होगा।

20. कच्चे काजू की गिरी के मामले में आयात संविदा उसके निष्पादन के 7 दिनों की अवधि के भीतर भारतीय काजू निगम के पास आयातक द्वारा पंजीकृत कराई जाएगी।

21. इस लाइसेंस में आयात के लिए अनुमत कार्बन इस्पात की मदों और मिश्रित इस्पात की मदों के मामले में, पात्र आयातकों को ऐसी संविदा करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर या माल के पोतलदान की तिथि को, इनमें जो भी पहले हो, उसी को लोहा एवं इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता या उसके किसी क्षेत्रीय कार्यालय के पास अपनी आयात संविदाओं का पंजीकरण कराना पड़ेगा। लोहा एवं इस्पात, नियंत्रक के पास पंजीकरण करवाने की प्रक्रिया वही होगी जो ऊपर पैरा (12) में दी गई है।

22. इस लाइसेंस के अधीन आने वाली लोहा तथा इस्पात मदों के मामले में शोधक कंपनियां भी निर्धारित शर्तों के अधीन आयात करने के लिए पात्र होंगी।

23. महामारी नाशक और घास-पात नाशी सहित कीट-नाशक, के मामलों संबद्ध वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) प्रत्येक माल के परेषण की निकासी के सात दिनों के भीतर आयातित मद उनकी मात्रा और उसके लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के ब्यौरे कृषि विभाग (वनस्पति संरक्षण विभाग), नई दिल्ली को सूचित करेगा।

24. पोलिसिलिकोन, धातुकर्मीय श्रेणी की सिलिकोन से भिन्न एकल क्राइस्टल सिलिकन इंगाटस/बार्स/राड्स, डिफयुज्ड वेफर से भिन्न सिलिकान वेफर्स, डाइसिज, चिप्स के मामले में आयात संविदा साखपत्र खोलने से पहले इलैक्ट्रोनिकी विभाग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली से पंजीकृत कराई जाएंगी। इलैक्ट्रा-निकी विभाग द्वारा ऐसे पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में संबंधित संविदा पर अपनी मोहर लगा देने के बाद ही आयात किया जाएगा।

25. अविनिर्मित हाथी दांत के मामले में आयात की अनुमति जंगली फाइना और फ्लोरा की संकटापन्न जातियों पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते (सी आई टी ई एस) के विनियमों के अधीन दी जाएगी। आयात की अनुमति केवल क्षेत्रीय निदेशक, जंगली जीव संरक्षण, पर्यावरण विभाग द्वारा निरीक्षण करने पर दी जाएगी।

26. ग्रीस और स्नेहक तेल के मामले में 10,000/- रुपये तक आयात किया जा सकता है बशर्ते कि भारतीय तेल निगम, मार्केटिंग डिवीजन, बंबई ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया हो।

27. आयात-निर्यात नीति, 1985-88 (खंड-1) के परिशिष्ट 6 की सूची 8 के भाग 1 में उल्लिखित कुछ मदों के मामले में विशेष उद्योगों के नामों का उल्लेख किया गया है। इन मदों के लिए संबंधित उद्योगों में लगे हुए केवल वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) ही आयात के लिए पात्र होंगे।

28. आयात-निर्यात नीति, 1985—88 (खंड-1) के परिशिष्ट 6, सूची 8, भाग-2 में आने वाली मदों का वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) द्वारा आयात "वास्तविक उपयोक्ता" शर्त के अधीन किया जा सकता है और निर्यात सदनों/व्यापार सदनों द्वारा आयात आर ई पी/अतिरिक्त लाइसेंसों के मद्दे पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) को बिक्री के लिए नीति के अनुसार वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधीन किया जा सकता है।

29. आयात निर्यात नीति, 1985 –88 (खंड-1) के परिशिष्ट 6, सूची 8 के भाग-3 के अधीन आने वाली मदें, खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) और अन्यों द्वारा भंडार एवं बिक्री के लिए आयात की जा सकती है।

30. कतरन के रूप में आयातित पीतल/तांबा पाइप्स और ट्यूब्स के मामले में लंबाई में उनका आकार 15 सें. मी. से तब तक अधिक नहीं होना चाहिए जब तक कि उनका आयात हाइड्रोलिक सभी प्रेस्ड ब्रिक्वेटस से कतरन के रूप में नहीं किया जाता।

31. इस लाइसेंस के अधीन आयात द्वारा संबद्ध औद्योगिक एकक का उत्पादन स्वीकृत प्रधिकृत क्षमता से अधिक नहीं होगा और संबद्ध एकक अपनी अनुमोदित चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अनुपालन का सुनिश्चय करेंगे।

32. इस प्रकार आयात किया जाने वाला माल दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में तैयार अथवा विनिर्मित नहीं किया गया हो।

33. इस प्रकार के माल के पोतलदान किसी भी रियायती अवधि चाहे जो कुछ भी हो, के बिना लाइसेंस वर्ष की फरवरी की अंतिम तिथि को या इससे पूर्व खोले/स्थापित किए गए अपरिवर्तनीय साखपत्रों के मद्दे लाइसेंस वर्ष के 31 मार्च, को या इससे पहले या वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) के मामले में लाइसेंस वर्ष के 30 जून, 1985 को या उससे पूर्व भारत के लिए परेषित कर दिए गए हों।

34. यदि किसी माल के आयात के समय उसके आयात पर प्रभाव डालते हुए कोई अन्य निषेध या विनियम लागू हो तो इस लाइसेंस का उसकी प्रयोज्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

35. प्रस्तुत लाइसेंस वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक)/आयातक को किसी ऐसे आभार/अनुपालन से किसी समय भी उन्मुक्ति, रियायत या छूट प्रदान नहीं करता जो उसे अन्य कानूनों या विनियमों की शर्तों के तहत पूर्ण करने हों । आयातकों को उनके लिए लागू अन्य सभी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए ।

टिप्पणी :—इस आदेश के प्रयोजनार्थ "लाइसेंसिंग वर्ष" और "अगला लाइसेंसिंग वर्ष" का जहां भी संदर्भ में आता है उसका वही अर्थ है जो 1985—88 की आयात एवं निर्यात नीति (खंड-1) में उल्लिखित है ।

[मिसिल सं० आइ० पी० सं०/31-8-85]

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

Order No. 1|85—88

OPEN GENERAL LICENCE NO. 1|85

New Delhi, the 12th April, 1985

S.O. 302(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country, except the Union of South Africa/ South West Africa, raw-materials, components and consumables by Actual Users (Indusrial), subject to the following conditions:—

(1) The items to be imported are not covered by Appendices 2, 3, 5 and 8 of the Import and Export Policy, 1985—88 (Vol. I);

(2) Instruments shall not be allowed to be imported under this Licence;

(3) The raw materials, components and consumables are required by the Actual User (Industrial) concerned for his own use, i.e. subject to the "Actual User" condition;

(4) The Actual User shall maintain proper account of consumption and utilisation of the goods imported under this Licence in the form and manner laid down, and produce such account to the licensing authority, or any other Government authority within such time as may be specified by it.

(5) Actual User (Industrial), at the time of clearance of the goods, shall furnish to the customs authorites a declaration giving particulars of their industrial licence/registration as Actual User with the concerned authority, namely, the Number and Date of the Industrial Licence/Registration and the end-product (s) of manufacture, and affirming that (i) such licence/registration has not been cancelled or withdrawn or otherwise made inoperative and (ii) the items imported under this Licence are strictly in accordance with the terms and conditions of their Industrial Licence/Registration with the sponsoring authority concerned as an industrial unit and their approved phased manufacturing programme. In case, no phased manufacturing programme has ever been approved for them, they should say so in the declaration. In cases, where separate registration number has not been allotted by the sponsoring authority concerned, the importer shall produce other evidence to the satisfaction of the customs authorities that he is licensed/rgistered as industrial unit and eligible to the import made. Actual Users (Industrial) shall also furnish at the time of clearance of goods a certified copy of phased manufacturing programme, if any, approved for them by the sponsoring authority or other concerned authority.

(6) Import of components by DGTD units and taxtile machinery manufacturing units shall be subject to the List Attestation Procedure laid down in the relevant Import Policy for 1985—88. Actual Users (Industrial), registered with DGTD/Textile Commissioner and subject to phased manufacturing programme, shall furnish at the time of clearance through Customs a list of components, duly cleared for import and attested by DGTD/Textile Commissioner or their own declaration on the list of Components that was furnished to the DGTD/Textile Commissioner for attestation, to the effect that the list produced is the same which was furnished to DGTD/ (Import & Export Policy Cell Udyog Bhavan, New Delhi) or Textile Commissioner, Bombay as the case may be, and has not been received back by the Actual User concerned from DGTD/Taxtile Commissioner within 30 days from the date of the list was received in the DGTD/Textile Commissioner. Where import is cleared on such declaration, the components cleared and their quantity/ value shall be intimated by the Actual User to DGTD/Textile Commissioner within 30 days of clearance through Customs.

(7) List Attestation Procedure mentioned above shall also apply to these units whose phased manufacturing programme is over.

(8) Actual User (Industrial) having provisional registration with the spensoring authority will also be eligible to import raw materials, component and consumable under this Licence.

(9) Actual Users (Industrial) having registration certificate issued by the sponsoring authority specifically marked "proposed" will also be eligible to import raw materials, components and consumables under this Licence, but in their case, the import will be allowed only to the State Industrial Development Corporation or State Financial Corporation on behalf of the Actual User, or an production of evidence, at the time of clearance, that the

Actual User concerned has furnished a bond with a bank guarantee for a value equal to 25 per cent of the CIF value of the goods imported, to the effect that the Actual User shall furnish to the licensing authority concerned a certificate of the sponsoring authority in support of the unit having properly utilised the imported material.

(10) All Industrial Units in large scale sector shall submit to the DGTD, New Delhi or other sponsoring authorities concerned, and the Department of Electronics, New Delhi, as appropriate to the item, periodical returns, indicating the description and the value of the items imported under this Licence. Industrial Units in the small scale sector should send similar returns to the regional licensing authorities concerned. These returns shall be furnished as on 30th September and 31st March of the licensing year. Each such return shall be furnished within 15 days of the close of the period indicated.

(11) This licence shall also be subject to the condition No. 1 in Schedule V to the Imports (Control) Order, 1955.

(12) In respect of man-made fibre, tow, yarns, raw wool|greasy wool|scoured wool, not carded or combed angora goat hair (Mohair), woollen rags|synthetic rags|shoddy wool in completely pre-mutilated condition, all eligible importers shall be required to register their import contracts with the Textile Commissioner, Bombay, Imports shall be made only after the connected contract has been stamped by the Textile Commissioner, Bombay, as an eidence of such registration. For this purpose, two copies of the contract shall be lodged with the Textile Commissioner. He will return one copy to the importer, duly stampad, on each page, for production to the customs at the time of clearance of goods. At the time of registration of subsequent contract, the eligible importer shall also furnish a statement indicating the progress made in import and utilisation|disposal of the imported material in respect of all contracts earlier registered.

(13) Import of man-made fibres, tow and yarns under this licence can be made by the State Trading Corporation of India (STC), New Delhi for distribution to eligible Actual Users subject to the condition regarding prior registration of contracts with the Textile Commissioner, Bombay as in (12) above;

(14) In the case of TPA, import will be allowed only on the basis of import contracts registered with the Ministry of Petroleum, New Delhi. The procedure for registration of contracts will the Ministry of Petroleum shall be the same as in (12) above.

(15) In the case of Soda Ash, PVC Resin, Wood Pulp, Caustic Soda and Copper scrap|copper mill scale, all eligible importers shall be required to register their contracts with the DGTD (Import and Export Policy Cell), Udyog Bhavan, New Delhi. The procedure for registration of contracts with the DGTD shall be the same as in (12) above.

(16) In the case of Rifampicin, all eligible importers shall be required to register their contracts with the Joint Secratary and Development Commissioner (Drugs), Office of the Development Commissioner (Drugs), Shastri Bhavan, New Delhi-110001. The procedure for registration of contracts with the Office of the Development Commissioner (Drugs) shall be the same as in (12) above.

(17) In the case of Vitamin B.6 (Pyridoxin HCL| Pyridoxin base) and intermediates of Pyridoxin, all eligible importers shall be required to first place an order to the extent of 33% of their total requirements with M|s India Drugs and Pharmaceuticals Limited (I.D.P.L.). Customs shall allow clearance of the balance requirement, namely 67%, of the concerned importer on the basis of documentary evidence of the firm order placed on M|s IDPL or letter of credit opened in their favour.

(18) (i) Import of woollen rags|shoddy wool| synthetic rags will be allowed only when these are imported in completely pre-mutilated condition.

(ii) Woollen rags for this purpouse are defined :—

(a) 'New'—waste woolen cloth woven or knittel which is left after a garment had been cut out including genuine tailor cutting piece ends, discarded pattern bunches and sample bits.

(b) 'Old'—Rags of woollen textile fabrics including knitted and crocheted fabrics which are required for manufacture of shoddy yarn and may consist of articls of furnishing or clothing or other clothing so worn out, soiled or torn as to be beyond cleaning or repair.

(iii) This definition shall apply mutatis-mutandis to synthetic rags.

(19) In the case of raw cashewnuts, Cashew Corporation of India will also be eligible to import under this licence for distribution to Actual Users (Processing units), in accordance with the Policy in force in this regard.

(20) In the case of raw cashewnuts, the import contract shall be registered by the importer with the Cashew Corporation of India Within a period of 7 days of its execution.

(21) In the case of Carbon steel items and alloy steel items, permitted for import in this Licence, all eligible importers shall be required to register their import contracts with the

Iron and Steel Controller, Calcutta, or with any of his regional offices, within thirty days from the date of entering into such contracts or the date of shipment of goods, whichever is earlier. The procedure for registration of contracts with the Iron and Steel Controller, shall be the same as in (12) above.

(22) In the case of iron and steel items covered by this Licence, Oil Refineries will also be eligible to import, subject to prescribed conditions.

(23) In the case of insecticides including pesticides and weedicides, the Actual Users (Industrial) concerned shall, within seven days of the clearance of each consignment, intimate to the Department of Agriculture (Plant Protection Division), New Delhi, particulars of the items imported, the quantity and the c.i.f. value thereof.

(24) In case of polysilicon, single crystal silicon ingots|Bars|Rods other than metallurgical grade silicon,silicon wafers other than diffused wafers, Dices, and chips, import contract shall be registered with the Department of Electronics, Lok Nayak Bhavan, New Delhi before opening letter of credit. Import shall be made after the connected contracts have been stamped by the Department of Electronics as an evidence of such registration.

(25) In case of unmanufactured ivory, import shall be subject to the regulations of convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Import shall be permitted only on inspection by the Regional Deputy Director, Wild Life Preservation, Department of Environment.

(26) In case of greases and lubricating oils import can be made upto Rs. 10,000, provided Indian Oil Corporation, Marketing Division, Bombay has issued no objection certificate.

(27) In respect of certain items mentioned in Appendix 6, List 8, Part I, of Import and Export Policy 1985—88, Vol. I, the names of specific industries have been mentioned. For these items, only the Actual Users (Industrial) engaged in the respective industries will be eligible to import under O.G.L.

(28) Items covered under Appendix 6, List 8, Part II of the Import and Export Policy, 1985—88 (Vol. I) can be imported by Actual Users (Industrial), subject to 'Actual User' condition and Export Houses|Trading Houses against REP|Additional licences as per Policy for sale to eligible Actual Users (Industrial), subject to 'Actual User' condition.

(29) Items covered under Appendix 6, List 8 Part III of the Import and Export Policy 1985—88 (Vol. I) can be imported under Open General Licence by Actual Users (Industrial) and others for stock and sale.

(30) In the case of brass|copper pipes and tubes imported as scrap, their size shall not exceed 15 cms in length, unless they are imported as scrap in hydraulically pressed briquettes.

(31) By import under this Licence, the production of the industrial unit concerned shall not exceed the licensed|authorised capacity, and the unit concerned shall ensure adherence to its approved phased manufacturing programme.

(32) The goods so imuported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa|South West Africa.

(33) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March of the licensing year or, in the case of Actual Users (Industrial), on or before 30th June of the following financial|licensing year against firm orders for irrevocable letters of credit are opened and established on or before last date of February of the licensing year, without any grace period what-so-ever.

(34) Nothing in this Licence shall affect the application to any goods, of any other prohibition or regulation affecting the import thereof, in force at the time when such goods are imported.

(35) The licence does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from an obligation or compliance with any rquirement to which the Actual Users (Industrial)| importer may be subject to under other laws or regulations. The importers should comply with the provisions of all other laws applicable to them.

Note : For the purposes of this Order, references to "the licensing year", and "the following licensing year", wherever appears in this Order shall have the same meaning as mentioned in Import and Export Policy (Vol. I) for 1985—88.

[File No. IPC|3|18|85]

आदेश सं. 2/85—88

खुला सामान्य लाइसेंस सं. 2/85

का. आ. 303 (अ) :- आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1985—88 (खंड-1) की आयात और निर्यात-नीति के परिशिष्ट 1 भाग ख में विशिष्टिकृत विवरण के पूंजीगत माल का दक्षिणी अफ्रीका संघ/ दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका को छोड़कर किसी भी देश से निम्नलिखित शर्तों के अधीन आयात करने की सामान्य अनुमति देती है :—

(1) आयातक वास्तविक उपयोक्ता शर्त के साथ अपने निजि कारखाने, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, संस्थान, व्यवसायिक कार्यालय या अन्य संबद्ध परिसर

में उपयोग के लिये ऐसी मदों की आवश्यकता वाले महानिदेशक तकनीकी विकास, नई दिल्ली या राज्य के संबद्ध उद्योग निदेशक या अन्य संबद्ध प्रायोजक या सरकारी प्राधिकारी के साथ पंजीकृत एक वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) या गैर-औद्योगिक हो।

(2) विषयाधीन पूंजीगत माल के आयात द्वारा आवेदक का उत्पादन लाइसेंस प्राधिकृत क्षमता से अधिक नहीं होगा।

(3) इस प्रकार किया गया माल नए निर्माण का होगा यदि वे पुरानी या मरम्मत की गई मदें होंगी तो उसके आयात की अनुमति केवल तब दी जायेगी जबकि मशीनरी केवल 7 वर्ष से अधिक पुरानी न हो और इसका शेष जीवन 5 वर्ष से कम न हो और निकासी के समय आयातक/आयात किये जाने वाले देश के किसी स्वतंत्र व्यावसायिक सनदी इंजीनियर/ किसी समतुल्य संस्थान से एक प्रमाणपत्र सीमा शुल्क प्राधिकारी को निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट करते हुए प्रस्तुत करेगा :—

(क) संयन्त्र और मशीनरी के विनिर्माता का नाम,

(ख) विनिर्माण का वर्ष,

(ग) संयंत्र और मशीनरी की वर्तमान दशा और उसका प्रत्याशित शेष जीवन,

(घ) यदि नया माल खरीदा गया है तो तुल्य पूंजीगत माल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य।

(ङ) यदि कोई सुधार/मरम्मत की गई है तो उसका स्वरूप और वे सुधार/ मरम्मत किस तिथि (यों) को किये गये थे।

(च) संभरकों द्वारा पूछी गई कीमत के संबंध में विचार और ऐसे विचारों के लिये दिये गये आधार।

(4) आयातित माल की निकासी के समय वास्तविक उपयोक्ता (गैर-औद्योगिक) उसके द्वारा धारित उस पंजीकरण प्रमाणपत्र की मूल रूप से या फ़ोटोस्टेट प्रति (वर्तमान समय में वैध) के रूप में सीमाशुल्क प्राधिकारियों को भेजेगा जो उसकी आयात करने के लिये पात्रता प्रदान करते हुए शाप्स एण्ड इस्टेबलिशमेंट एक्ट, सिनेमैटोग्राफिक एक्ट या संबद्ध स्थानीय कानून के अंतर्गत जारी किया गया हो।

(5) माल की निकासी के समय वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) प्रायोजक प्राधिकारियों के साथ औद्योगिक एककों के रूप में अपने औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण का हवाला देते हुए अर्थात् औद्योगिक लाइसेंस /पंजीकरण की संख्या और दिनांक और विनिर्माण की अंतिम उत्पाद (दें) और यह पुष्टि करते हुए कि: (1) ऐसे लाइसेंस/ पंजीकरण न तो रद्द किये गये हैं या वापस लिये गए हैं या अन्यथा रूप से प्रचलन में हैं, और (2) आयातित माल औद्योगिक एककों के रूप में उनके औद्योगिक लाइसेंस/प्रायोजक प्राधिकारी के पास पंजीकरण की शर्तों के बिल्कुल अनुसार है एक घोषणा पत्र संबद्ध सीमाशुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगा। उन मामलों में जहां संबद्ध प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा अलग से लाइसेंस पंजीकरण संख्या नहीं दी गई है आयातक को सीमा शुल्क प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए इस संबंध में अन्य कोई प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे कि वह लाइसेंसधारी है/ औद्योगिक एकक के रूप में पंजीकृत है और किये गये आयात के लिये भी पात्र है।

(6) आयात किये गये पूंजीगत माल का विवरण देते हुए लाइसेंसिंग वर्ष के 30 सितम्बर/ और 31 मार्च को उनके लागत बीमा–भाड़ा मूल्य का विवरण देते हुए आयातक मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली के कार्यालय में सांख्यिकी निदेशक को आयात–निर्यात प्रक्रिया पुस्तक, 1985—89 में निर्धारित प्रपत्र में आवधिक विवरण भेजेगा। ऐसा प्रत्येक विवरण निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर भेजा जायेगा।

(7) इस तरह आयात किये जाने वाला माल दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में तैयार अथवा विनिर्मित न किया गया हो।

(8) ये माल लाइसेंसिंग वर्ष की 31 मार्च को अथवा उससे पहले बिना कोई अवधि बढ़ाये चाहे जो भी हो, भारत को परेषण के जरिये भेजे गए हों या लाइसेंसिंग वर्ष के फ़रवरी माह की अंतिम तिथि को या इससे पूर्व विदेशी मुद्रा विनिमय के व्यापारी (बैंक) के साथ पंजीकृत और की गयी पक्की संविदा के मद्दे आने वाले लाइसेंसिंग वर्ष की 31 मार्च को या इससे पूर्व लदान कर दिये गये हों।

(9) यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची 5 में शर्त 1 के अधीन होगा।

(10) यदि किसी माल के आयात के समय उसके आयात पर प्रभाव डालते हुए कोई अन्य निषेध या विनियम लागू हो तो इस लाइसेंस का उसकी प्रयोज्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(11) प्रस्तुत लाइसेंस वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक)/ आयातक को किसी ऐसे आभार/अनुपालन से किसी समय भी उन्मुक्ति, रियायत या छूट प्रदान नहीं करता जो उसे अन्य कानूनों या विनियमों की शर्तों के सहज पूर्ण करने हों। आयातकों को उनके लिये लागू अन्य सभी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिये।

-इस आदेश के प्रयोजनार्थ "लाइसेंसिंग वर्ष" और "अगला लाइसेंसिंग वर्ष" जहां भी संदर्भ में आता है उसका वही अर्थ है जो 1985-88 की आयात एवं निर्यात नीति (खंड-1) में उल्लिखित है।

[मिसिल सं. आईपीसी/3/18/85]

ORDER No. 2|85—88

OPEN GENERAL LICENCE No. 2|85

S.O. 303(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country, except the Union of South Africa| South West Africa, Capital Goods of the description specified in Appendix 1 Part-B of Import and Export Policy, 1985—88 (Volume I), subject to the following conditions —

(i) The importer is an Actual User (Industrial or Non-Industrial) registered with the DGTD, New Delhi or the concerned State Director of Industries or other sponsoring or Government Authority concerned, as the case may be, requiring such items for use in his factory, commercial establishment, institution, professional office or other premises concerned, subject to "Actual User" condition ;

(ii) By import of the Capital Goods, in question, the production of the applicant shall not exceed the licensed|authorised capacity;

(iii) The goods so imported shall be of new manufacture; if they are second-hand or reconditioned items, their import will be permited only if the machinery is not more than seven years old and its remaining life is not less than five years, and the importer shall produce to the customs authority at the time of clearance, a certificate from a professional independent Chartered Engineer|any equivalent institute in the country from which import is made, indicating;

(a) Name of manufacturer of the plant and machinery.

(b) Year of manufacture.

(c) Present condition of the plant and machinery and its expected residual life.

(d) The CIF value of equivalent Capital Goods, if purchased new.

(e) Nature of reconditioning|repairs done, if any and the date(s) on which these were carried out.

(f) Opinion regarding the price asked for by the suppliers and the basis for such opinion.

(iv) Actual Users (Non-Industrial) shall, at the time of clearance of the imported goods, furnish the customs authorities the original or a photostat copy of the (currently valid) Registration Certificate held by them under the Shops and Establishment Act, Cinematographic Act or concerned local statute, entitling them to effect the import;

(v) Actual User (Industrial) shall produce to the Customs authorities concerned at the time of clearance, a declaration giving particulars of his industrial Licence|registration, as an industrial unit with the concerned authorities, namely, the Number and Date of the Industrial Licence|Registration and the end-product(s) of manufacture, and affirming that (i) such licence|registration has not been cancelled or withdrawn or otherwise made in-operative and (ii) the items imported are strictly in accordance with the terms and conditions of their Industrial Licence|Registration with the sponsoring authority as an industrial unit. In cases, where separate registration number has not been allotted by the sponsoring authority concerned, the importer shall produce other evidence to the satisfaction of the customs authorities that he is licensed| registered as industrial unit and is eligible to the import made;

(vi) The importer shall furnish periodical returns in the proforma prescribed in the Hand Book of Import-Export Procedures, 1985-88 to the Director of Statistics, Office of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, giving the description of Capital Goods imported and their c.i.f. value as on 30th September and 31st March of the licensing year or shipped on or before the be furnished within 15 days of the close of the period indicated;

(vii) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of Suth Africa|South West Africa ;

(viii) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March of the licensing year or shipped on or before the 31st March of following licensing year against a firm contract entered into and registered with a foreign exchange dealer (Bank) on or before the last date of February of the licensing year without any grace period whatsoever;

(ix) This licence shall also be subject to the condition No. 1 in Schedule V to the Imports (Control) Order, 1955;

(x) Nothing in this Licence shall affect the application to any goods, of any other prohibition or regulation affecting the import thereof, in force, at the time when such goods are imported;

(xi) The Licence does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from an obligation or compliance with any requirement to which the Actual User (Industrial or Non-Industrial) may be subject, under

other laws or regulations. The importers should comply with the provisions of all other laws applicable to them.

NOTE . For the purposes of this Order, references to "the licensing year", and "the following licensing year", wherever appears in this Order shall have the same meaning as mentioned in Import and Export Policy (Volume I) for 1985—88.

[File No. IPC|3|18|85]

आदेश सं. 3/85–88

खुला सामान्य लाइसेंस सं. 3/85

का आ. 304 (अ) .– आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड–3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दक्षिण अफ्रीका/ दक्षिण पश्चिम अफ्रीका संघ को छोड़कर विश्व के किसी भी देश से 1985–88 की आयात-निर्यात नीति (खंड–1) के परिशिष्ट 2,3, भाग–क, 8 या 10 में प्रदर्शित मदों से भिन्न अर्थात् फालतू पुर्जों के रूप में अपेक्षित सभी अनुमेय पुर्जे जो वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा अपने निजी उपयोग के लिये उपसाधनों अनुषंगी उपस्कर, नियंत्रण और प्रयोगशाला उपस्कर, और सुरक्षा उपकरणों सहित, लाइसेंसिंग वर्ष के अप्रैल माह की पहली तिथि को स्थापित या उपयोग किये जा रहे पूंजीगत माल के अनुरक्षण के लिये अपेक्षित हों, उनके आयात के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारत में आयात करने की सामान्य अनुमति देती है :–

(1) वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) निकासी के समय सीमा शुल्क प्राधिकारियों को यथा उपयुक्त अपने औद्योगिक लाइसेंसों/ पंजीकरण प्रमाण पत्रों अर्थात् औद्योगिक लाइसेंस/ औद्योगिक एकक के रूप में सम्बद्ध प्राधिकारी के पास पंजीकरण की सं. तथा दिनांक और विनिर्मित अंतिम उत्पाद का विवरण देते हुए एक ऐसा घोषणा पत्र देंगे जिससे इस बात की पुष्टि होगी कि ऐसी लाइसेंस/ पंजीकरण रद्द नहीं किया गया है अथवा वापिस नहीं लिया गया है अथवा उसका अन्यथा रूप से उपयोग नहीं किया गया है। जिन मामलों में संबंधित प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा पृथक पंजीकरण नियत नहीं किया गया है, आयातक सीमा शुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिये अन्य कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह लाइसेंसधारी/ औद्योगिक एकक के रूप में पंजीकृत है और किये गये आयात के लिये पात्र है।

(2) माल की निकासी के समय वास्तविक उपयोक्ता (गैर–औद्योगिक) दुकान और स्थापना अधिनियम, सिनेमेटोग्राफिक अधिनियम अथवा उपयुक्त स्थानीय अधिनियम के अंतर्गत उनके द्वारा प्राप्त पंजीकरण प्रमाण पत्र की मूल अथवा फोटोस्टेट (वर्तमान समय में वैध) प्रति जो उनको आयात के लिये अधिकृत करती हो, सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे।

(3) संगणक प्रणाली के मामले में, अनुमेय फालतू पुर्जों के आयात की अनुमति आयातित संगणक के लागत बीमा– भाड़ा– मूल्य के 5 प्रतिशत पर या देशी विनिर्मित संगणक प्रणाली खरीद मूल्य के 2 प्रतिशत अथवा संगणक जो कि फोटो बनाने वाली मशीनों का एक अभिन्न अंग है, के 5 प्रतिशत पर दी जाएगी। आयातित माल की निकासी के समय जैसा भी मामला हो, आयातक को सीमा शुल्क प्राधिकारी को सनदी लेखापाल/ लागत लेखापाल या कंपनी सचिव (व्यवसायी) या संबंधित प्रायोजित प्राधिकारी को लागत बीमा भाड़ा मूल्य या संगणक प्रणाली की खरीद मूल्य को प्रदर्शित करते हुए एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिये। उन्हें इस संबंध में एक घोषणापत्र भी देना चाहिये कि जिस परेषण की निकासी की जानी है उसके लागत बीमा–भाड़ा– मूल्य सहित उसी अवधि में इस प्रकार से पहले ही आयात किये गये माल का लागत बीमा– भाड़ा मूल्य अनुमेय सीमा से ज्यादा नहीं हो। सनदी/ लागत लेखापाल या कंपनी सचिवों को आवेदक फर्म या उसकी सहायक शाखाओं का भागीदार या संचालक या कर्मचारी नहीं होना चाहिये।

(4) वे लघु क्षेत्र के एकक जिनके पास सम्बद्ध प्रायोजित प्राधिकारियों के अंतिम पंजीकरण हैं, वास्तविक उपयोक्ताओं की ऊपर विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन इस लाइसेंस के अंतर्गत माल आयात करने के पात्र होंगे।

(5) वास्तविक उपयोक्ता इस लाइसेंस के अंतर्गत आयातित माल के उपयोग का निर्धारित रूप और विधि से उचित लेखा रखेगा और ऐसे लेखों को लाइसेंस प्राधिकारी या अन्य सरकारी प्राधिकारी को उनके द्वारा विशिष्टि कृत समय के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(6) वह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की अनुसूची –5 में शर्तें –1 के भी अधीन होगी।

(7) वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंसिंग वर्ष के 30 सितम्बर और 31 मार्च को नीचे लिखे गए प्राधिकारियों को एक आवधिक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें (क) आयातित मदों के मूल लागत –बीमा भाड़ा मूल्य और (ख) ऐसी आयातित मदों के ब्यौरे जिनका कुल लागत बीमा–भाड़ा–मूल्य 2 लाख रुपये से अधिक हो, को दर्शाया जायेगा :–

(1) बृहत क्षेत्र के औद्योगिक एककों के मामले में संबद्ध प्रायोजक प्राधिकारी; और

(2) अन्य वास्तविक उपयोक्ताओं के मामले में सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी प्रत्येक ऐसा विवरण उपर्युक्त संकेतित अवधि के समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर भेजा जायेगा।

(8) इस तरह आयात किया जाने वाला माल दक्षिण अफ्रीका संघ/ दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में तैयार अथवा विनिर्मित न किया गया हो।

(9) ये माल लाइसेंसिंग वर्ष के 31 मार्च, को अथवा उससे पहले बिना कोई अवधि बढ़ाए जो भी हो भारत को

परेषण के जरिये भेजे जाने हैं या लाइसेंसिंग वर्ष के फरवरी माह की अन्तिम तिथि को या इससे पूर्व विदेशी मुद्रा के व्यापारी (बैंक) के साथ पंजीकृत और की गई पक्की संविदा के मद्दे आने वाले लाइसेंसिंग वर्ष को या इससे पूर्व जहाज कर दिये जाते हैं।

(10) यदि किसी माल के आयात के समय उसके आयात पर प्रभाव डालने हुए कोई अन्य निषेध या विनियम लागू हो तो इस लाइसेंस का उसकी प्रयोज्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(11) प्रस्तुत लाइसेंस वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक, गैर औद्योगिक)/ आयातक को किसी ऐसे आभार/ अनुपालन से किसी समय भी उन्मुक्ति रियायत या छूट प्रदान नहीं करता जो उसे अन्य कानूनों या विनियमों की शर्तों के तहत पूर्ण करने हों। आयातकों को उनके लिये लागू अन्य सभी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिये।

टिप्पणी :— इस आदेश के प्रयोजनार्थ "लाइसेंसिंग वर्ष" और "अगला लाइसेंसिंग वर्ष" जहां भी संदर्भ में आता है उसका वही अर्थ है जो 1985–88 की आयात एवं निर्यात नीति (खंड–1) में उल्लिखित है।

[मिसिल सं. आई पी सी/ 3/18/85]

ORDER No. 3/85-88

OPEN GENERAL LICENCE NO. 3/85

S.O. 304 (E).—*In exercise of the powers conferred* by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947) the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country, except the Union of South Africa/South West Africa, "permissible" spares, i.e., all these parts required as spares, other than the items appearing in Appendices 2, 3 Part-A, 8 or 10, in the Import and Export Policy, 1985-88 (Volume I), as are required for their own use for maintenance of Capital Goods, including accessories, ancillary equipment, control and laboratory equipment and safety appliances, installed or in use as on 1st April of the licensing year, by Actual Users (Industrial or Non-Industrial), subject to the following conditions:—

(i) Actual Users (Industrial) will furinsh to the customs authorities, at the time of clearance a declaration giving particulars of their industrial licence/registration certificates, as appropriate, namely, Number and Date of Industrial Licence/Registration with concerned authority as industrial unit and end-product(s) manufactured, and solemnly affirming that such licence/registration has not been cancelled or withdrawn or otherwise made in-operative. In cases where a separate registration number has not been allotted by the sponsoring authority concerned, the importer shall produce other evidence to the satisfaction of the customs authorities that he is licensed/registered as an industrial unit and is eligible to the import made.

(ii) Actual Users (Non-Industrial) shall, at the time of clearance of the goods, furnish to the customs authorities, the original or a photostat copy of the (currently valid) registration certificates held by them under the Shops and Establishment Act, Cinematographic Act or appropriate local statute, entitling them to effect the imports.

(iii) In the case of computer systems, import of permissible spare parts will be allowed at 5% of the c.i.f. value of imported computers or two per cent per annum of the purchase price of the indigenously manufactured computer-systems or five per cent of computer which are integral part of the photo composing machines. At the time of clearance of the imported goods, the importers should furnish to the customs authorities, a certificate from Chartered/Cost Accountant or Company Secretary (in practice), or the sponsoring authority concerned showing the c.i.f. value or the purchase price of the computer system, as the case may be. They should also furnish a declaration to the effect that the c.i.f. value of such goods already imported during the same financial year does not exceed the permissible limit, including the c.i.f. value of the consignment to be cleared. The Chartered/Cost Accountant or Company Secretary should not be a partner or a Director or an employee of the applicant firm or its associates.

(iv) Small Scale Units having provisional registration with the sponsoring authorities concerned will be eligible to import goods under this licence, subject to Actual User condition.

(v) The Actual User shall maintain proper account of utilisation of the goods imported under this licence in the form and manner laid down, and produce such account to the licensing authority or any other Government authority within such time as may be specified by it.

(vi) This licence shall also be subject to the Condition No. 1 in Schedule V to the Imports (Control) Order, 1955.

(vii) The Actual Users shall furnish periodical returns, as on 30th September and 31st March of the licensing year to the authorities mentioned below, indicating (a) the total c.i.f. value of the items imported and (b) description of such of the items imported of which the total c.i.f. value exceeds Rs. 2 lakhs:—

(i) Sponsoring authorities concerned in the case of industrial units in the large scale sector; and

(ii) Regional import licensing authorities concerned, in the case of other Actual Users. Each such Return shall be sent within 15 days of the close of the period indicated.

(viii) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa.

(ix) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March of the licensing year or shipped on or before 31st March of the following licensing year against a firm contract entered into and registered with a foreign exchange dealer (Bank) on or before the last date of February of the licensing year, without any grace period whatsoever.

(x) Nothing in this licence shall affect the application to any goods, of any prohibition or regulation affecting the import thereof, in force, at the time when such goods are imported.

(xi) The licence does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from an obligation or compliance with any requirement to which the Actual Users (Industrial or non Industrial) may be subject under other laws or regulations. The importers should comply with the provisions of all other laws applicable to them.

NOTE : For the purposes of this Order, references to "the licensing year", and "the following licensing year", wherever appears in this Order shall have the same meaning as mentioned in Import and Export Policy, (Volume I) for 1985-88.

[F. No. IPC/3/18/85]

आदेश सं० 4/85-88

खुला सामान्य लाइसेंस सं० 4/85

का० आ० 305 (अ).— आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका को छोड़कर विश्व के किसी भी देश से नीचे विशिष्टिकृत माल का आयात करने के लिए सामान्य अनुमति प्रदान करती है :—

(1) विदेश में मरम्मत के पश्चात् मदों का पुनः आयात सीमा-शुल्क प्राधिकारी को इस संतुष्टि के आधार पर होगा कि पुनः आयातित मद वही है जिसको विदेश में मरम्मत के लिए भेजा गया था।

(2) 2,000 रुपए मूल्य तक के व्यापार संबंधी सूची पत्रों और परिपत्रों के मुफ्त उपहार।

(3) मशीनरी और संयंत्र स्थानों, कार्य और निर्माण अनुसंधान आंकड़ों से संबंधित वे खाके और ड्राइंग (माइक्रो फ़िल्म सहित) जो मुफ्त में संभरित किए जाते हैं और जिनका कोई भी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है।

(4) एक प्रेषण में अधिकतम 20,000 रुपए के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य तक के मुफ्त संभरित /किए जाने वाले मूल तकनीकी और व्यापार संबंधी नमूने जिनमें वनस्पति बीज, मधु मक्खियां, चाय और नये भेषज शामिल नहीं है।

(5) मुफ्त में संभरित की जाने वाली मूल विज्ञापन संबंधी वह सामग्री जो एक ही प्रेषण में 2,000 रुपए के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य से अधिक न हो।

(6) विदेशी संभरकों द्वारा मुफ्त में संभरित माल या ऐसा माल जो पहले आयात किया गया हो परन्तु जो उपयोग के लिए त्रुटिपूर्ण/या अनुपयुक्त पाया गया हो या आयात के बाद खो गया हो/टूट-फूट गया हो उसके बदले में किसी बीमा कंपनी द्वारा तय किए गए बीमा (समुद्रीय) या समुद्री व विनिर्माता के दावे के मद्दे आयातित माल बशर्ते कि:—

(क) प्रतिस्थापन वाले माल का पोत लदान पहले आयात किए गए माल के सीमा-शुल्क के माध्यम से निकासी की तिथि से 24 महीनों के भीतर किया गया हो या मशीनों अथवा उनके पुर्जों के मामले में यदि ऐसी अवधि 24 महीनों से अधिक हो तो पोत लदान शर्तों अवधि के भीतर किया गया हो।

(ख) जिस मामले में विदेशी संभरक द्वारा माल का प्रतिस्थापन इस शर्त पर किया गया हो कि आयातक प्रतिस्थापन के लिए बीमा और/या भाड़े का भुगतान करेगा और धन परेषित करते समय इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हो तो ऐसे मामले के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के धन परेषण की अनुमति नहीं दी जाएगी ;

(ग) प्रतिस्थापन माल की निकासी के समय निम्नलिखित दस्तावेज सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे:—

(1) मुफ्त में प्रतिस्थापन के मामले में विदेशी संभरक के साक्ष्य के रूप में यह प्रदर्शित करते हुए मूल पत्र की माल मुफ्त संभरित किया जा रहा है ;

(2) लाइसेंस एजेन्ट से या किसी अन्य प्राधिकृत बीमा सर्वेक्षक से सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र या मशीन या उसके पुर्जों के मामले में व्यवसायी स्वावलंबी सलाही इंजीनियर (या सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के स्थानों के मामले में मुख्य कार्य प्रभारी) से इस संबंध में प्रमाण-पत्र कि पहले आयात किया गया माल वास्तव में त्रुटिपूर्ण दशा में प्राप्त किया गया था और उसके प्रतिस्थापन की आवश्यकता थी;

(3) जिस मामले के उपर्युक्त उप-खण्ड (क) में निर्धारित 24 महीनों की अवधि के बाद पोत-लदान किया गया हो तो उस मामले में मशीनों या उनके पुर्जों के लिए विदेशी संभरक या माल परेषक द्वारा गारन्टी की अवधि प्रदर्शित करते हुए साक्ष्य ;

(4) नए सिरे से धन-परेषण वाले प्रतिस्थापन आयात के मामले में बीमा कंपनी द्वारा मांगे गए भुगतान का साक्ष्य लेकिन, यह सरकारी विभागों के मामले में आवश्यक नहीं होगा बशर्ते कि प्रेषित धन को प्राप्त करने के लिए विदेशी मुद्रा विनिमंत्रालय (वित्तीय कार्य विभाग)प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा रिहा की गई हो। प्रतिस्थापन आयात की अनुमति बीमा कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट मांग के मूल्य तक दी जाएगी, परन्तु इस धनराशि में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि की अनुमति प्रतिस्थापन के रूप में आयात की जाने वाली मशीनरी के मूल्य में वृद्धि के कारण दी जा सकती है।

(7) भारत के औषधि नियंत्रक, नई दिल्ली को पूर्व लिखित अनुमोदन के साथ और उनके द्वारा निर्धारित किसी शर्त के अधीन रोग विषयक परीक्षणों के लिए मुफ्त में संभरित भेषज और औषधियां/औषधि नियंत्रक का अनुमोदन माल की निकासी के समय सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाएगा

(8) विदेशी संभरकों द्वारा भारत में थोक एजेन्टों को मुफ्त में संभरित भेषजों और औषधियों के मूल व्यापार व नमूने जो एक परेषण में लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य में 10 हजार रुपए से अधिक न हों और भारत के औषधि नियंत्रक, नई दिल्ली के लिखित सिफारिश के साथ जो माल को निकासी के समय सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत की जाएगी;

(9) भारत के औषधि नियंत्रक, नई दिल्ली की लिखित सिफारिश, जो माल की निकासी के समय सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत की जाएगी के आधार पर मुफ्त में या भुगतान पर संभारित मानव टीके और सेरा ;

(10) पशु पालन आयुक्त, भारत सरकार, नई दिल्ली की सिफारिश पर मुफ्त अथवा भुगतान पर भेजे गए पशु टीके जिसमें मुर्गी पालन टीके भी शामिल है, के लिए लिखित अनुमति निकासी के समय सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत की जानी है ;

(11) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र के आधार पर मुफ्त संभरित किए गए कीटनाशी (महामारी-नाशी और घास-पातनाशी सहित) के तकनीकी और व्यापार नमूने और कथित अधिनियम की अनुसूची में शामिल की गई मदों के संबंध में निकासी के समय सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जाने हैं ;

(12) उपर्युक्त क्रम सं० (9) से (11) में दर्शाई गई मदों के संबंध में, जहां पर मदें मुफ्त में भेजी गयी हों, अनुमेय माल के आयात की अनुमति उपभोक्ता या खुदरा पैकिंग में नहीं होगी और प्रेषित माल पर साफ-साफ अक्षरों में नमूने बिक्री के लिए नहीं अंकित होगा ;

(13) इस लाइसेंस के अंतर्गत आयातित व्यापार सूची-पत्र एवं परिपत्र, खाके एवं ड्राइंग और तकनीकी अथवा व्यापार नमूने आयातक के निजी उपयोग के लिए है और उनको बेचा नहीं जाएगा अथवा अन्यथा रूप से हस्तांतरित नहीं किया जाएगा ;

(14) यदि किसी माल के आयात के समय उसके आयात पर प्रभाव डालते हुए कोई अन्य निषेध या विनियम लागू हो तो इस लाइसेंस का उसकी प्रयोज्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(15) प्रस्तुत लाइसेंस वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) आयातक को किसी ऐसे आभार अनुपालन से किसी समय भी, उन्मुक्ति, रियायत या छूट प्रदान नहीं करता जो उसे अन्य कानूनों या विनियमों की शर्तों के तहत पूर्ण करने हो। आयातकों को उनके लिए लागू अन्य सभी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए ;

(16) यह लाइसेंस खुले सामान्य लाइसेंस सं० 4/84 का अतिक्रमण करता है जो कि आयात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या 5/84, दिनांक 12 अप्रैल, 1984 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था।

टिप्पणी :--इस आदेश के प्रयोजनार्थ "लाइसेंसिंग वर्ष" और "अगला लाइसेंसिंग वर्ष" जहां भी संदर्भ में आता है उसका वही अर्थ है जो 1985-88 की आयात एवं निर्यात नीति (खंड-1) में उल्लिखित है।

[मि० सं० आई पी सी/3/18/85]

ORDER No. 4/85—88

OPEN GENERAL LICENCE NO. 4/85

S.O. 305 (E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947) the Central Government gives general permission for importation of the goods specified below from any country in the world, except the Union of South Africa/South West Africa:—

(1) Re-import of items after repairs abroad, subject to the satisfaction of customs authority that the item re-imported is the same which was sent abroad for repairs;

(2) Free gift of trade catalogues and circulars upto a value of Rs. 2,000;

(3) Blue prints and drawings (including micro films) relating to machinery and plant sites, work and building research data, supplied free of charge and having no commercial value;

(4) Bonafide technical and trade samples supplied free of charge not exceeding Rs. 20,000 in c.i.f. value, in one consignment, excepting vegetable seeds, bees, tea and new drugs;

(5) Bonafide advertising material supplied free of charge not exceeding Rs. 2,000 in c.i.f. value, in one consignment;

(6) Goods supplied free of charge by foreign suppliers or imported against an insurance (marine) or marine-cum-erection insurance claim settled by an Insurance Company, in replacement of the goods previously imported but found defective or otherwise unfit/unsuitable for use or lost/damaged after import, provided that:—

(a) the shipment of replacement goods is made within 24 months from the date of clearance of the previously imported goods through the customs or within the guarantee period in the case of machines or parts thereof, where such period is more than 24 months;

(b) No remittance shall be allowed, except for payment of insurance and freight charges where the replacement of goods by the foreign suppliers is subject to the payment of insurance and/or freight by the importer and documentary evidence to this effect is produced at the time of making the remittance;

(c) the following documents shall be produced to the satisfaction of the customs authorities, at the time of clearance of the replacement of goods:—

(i) original letter from the foreign supplier as evidence of goods being supplied free of cost, in the case of free replacements;

(ii) a survey certificate issued by the Lloyds Agents or any other authorised insurance surveyors or in the case of machine or parts thereof, a certificate from a professional independent chartered engineer, (or Chief Executive in the case of Government Departments and Public Sector Undertakings) to the effect that goods previously imported were actually received in defective condition and required replacement;

(iii) evidence showing the period of guarantees given by the foreign manufacturers of consignors in the case of machines or parts thereof, where shipment takes place after the period of 24 months stipulated in sub-clause (a) above;

(iv) evidence of settlement of claim by the insurance company, in the case of replacement import involving fresh remittances. This will, however, not be necessary in the case of Government departments, provided foreign exchange has been released by the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs)|Administrative Machinery to cover the amount to be remitted. Replacement imports will be allowed upto the value of the claim settled by the insurance company but an increase upto ten per cent of this amount may be allowed owing to the increase in the value of the machinery to be imported in replacement.

(7) Drugs and medicine supplied free of charge for clinical trials with the prior written approval of the Drugs Controller of India, New Delhi and subject to any conditions laid down by him. The approval of the Drugs Controller shall be produced to the satisfaction of the customs authorities at the time of clearance;

(8) Bonafide trade samples of drugs and medicines supplied free of charge to the sole agents in India of the foreign suppliers, not exceeding Rs. 10,000 in c.i.f. value in one consignment on the written recommendation of the Drugs Controller of India, New Delhi to be produced to the satisfaction of the customs authorities at the time of clearance;

(9) Human vaccines and sera supplied free of charge or against payment, on the written recommendation of the Drugs Controller of India, New Delhi to be produced to the satisfaction of the customs authorities at the time of clearance;

(10) Animal including poultry vaccines, supplied free of charge or against payment, on the specific recommendation of the Animal Husbandry Commissioner to the Government of India, New Delhi, to be produced to the satisfaction of the customs authorities at the time of clearance;

(11) Technical and trade samples of the insecticides (including pesticides and weedicides), supplied free of charge, on the basis of the registration issued by the Registration Committee set up under the Insecticides Act, 1968, and the quantity specified by the Committee in respect of items included in the Schedule to the said act, to be produced to the satisfaction of the customs authorities at the time of clearance;

(12) In respect of items covered by Sl. Nos. (9) to (11) above, where the items are supplied free of charge, import of the permissible materials shall not be allowed in consumer or retail packing and the consignment shall be clearly marked "sample not for sale";

(13) Trade catalogues and circulars, blue prints and drawings, and technical or trade samples imported under this licence are for the use of the importers themselves and shall not be sold or transferred otherwise;

(14) This licence is without prejudice to the application to any goods, of any other prohibition or regulation affecting the import that may be in force at the time when such goods are imported;

(15) The licence does not confer any immunity exemption or relaxation at any time from an obligation or compliance with any requirement to which the Actual Users (Industrial) importers may be subject to under other laws or regulations. The importers should comply with the provisions of all other laws applicable to them.

(16) This licence is in supersession of Open General Licence No. 4|84 published vide Import Trade Control Order No. 5|84 dated the 12th April, 1984.

NOTE : For the purposes of this Order, references to "the licensing year", and "the following licensing year", wherever appears in this Order shall have the same meaning as mentioned in Import and Export Policy (Volume I) for 1985—88.

[File No. IPC|3|18|85]

आदेश नं. 5/85-88

खुला सामान्य लाइसेंस सं. 5/85

का. आ. 306 (अ):—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी भी अनुसंधान एवं विकास यूनिट, वैज्ञानिक और अनुसंधान प्रयोग-शाला उच्च शिक्षा संस्थान एवं चिकित्सालय जो केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं, को उनके द्वारा अपेक्षित कच्चे माल, संघटकों, उपभोज्यों, मशीनरों, उपस्कर, यंत्रों, उप-साधकों और फालतू पुर्जों की मदों का दक्षिणी अफ्रीका/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका संघ को छोड़कर किसी भी देश से भारत में आयात करने के लिए सामान्य अनुमति प्रदान करती है :—

(1) आयात निकासी के समय सीमाशुल्क प्राधिकारियों को केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार जो भी हो, द्वारा अपनी मान्यता का विवरण देते हुए और यह घोषणा करते हुए कि आयातित मदें, उनके निजी उपयोग के लिए अपेक्षित हैं, यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करेगा। अनुसंधान और विकास एककों के मामले में, वह यह भी घोषणा करेगा कि आयातित माल अनुसंधान, और विकास के लिए आवश्यक है।

(2) उपभोज्य माल की मदें चाहे उनका विवरण किसी भी प्रकार से किया गया हो, इस लाइसेंस के अन्तर्गत आयात के लिए अनुमेय नहीं होंगी। इस लाइसेंस के अन्तर्गत कार्यालय मशीनों का आयात भी अनुमेय नहो होगा।

(3) कम्प्यूटर पर आधारित प्रणाली और फालतू पुर्जों के संबंध में आयात की अनुमति अन्यों के लिए लागू नीति के अनुसार दी जाएगी।

(4) इस प्रकार आयातित माल का उत्पादन अथवा विनिर्माण दक्षिण अफ्रीका/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका संघ में न किया गया हो।

(5) अनुसंधान एवं विकास के प्रयोजनार्थ किसी भी प्रकार के जीवित एवं तनकारी माइक्रो आर्गेनिज्म के आयात के मामले में, सीमाशुल्क निकासी के समय सीमाशुल्क प्राधिकारियों को संतुष्टि के लिए भारत सरकार, कृषि विभाग के पशुपालन आयुक्त की पूर्व अनुमति प्रस्तुत करनी चाहिए।

(6) आयातक पत्तन से माल की निकासी के 30 दिनों के भीतर नीचे संकेतिक अधिकारी को प्रत्येक एक लाख रुपए अथवा इससे अधिक मूल्य के लिए उसके द्वारा आयातित माल का विवरण प्रस्तुत करेगा :—

(1) अनुसंधान एवं विकास एककों और वैज्ञानिक तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं के मामले में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विभाग, नई दिल्ली एवं मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को भी इसकी सूचना दी जाए।

(2) इलैक्ट्रानिक मदों के संबंध में, इलेक्ट्रानिक विभाग, नई दिल्ली को

(3) तकनीकी विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली को उन मामलों में जिनमें एककि उनके पास पंजीकृत किया गया हो।

(4) चिकित्सालय और उच्च शिक्षा संस्थान जो भी हो, के मामले में, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के संबद्ध प्रशासकीय मंत्रालय को।

(7) यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची-5 में शर्त-1 के भी अधीन होगा।

(8) ऐसा माल बिना किसी रियायती अवधि के, चाहे वह अवधि कुछ भी हो, लाइसेंसिंग वर्ष की 31 मार्च, को यह उससे पहले भारत को प्रदान कर दिया गया हो अथवा लाइसेंसिंग वर्ष की फरवरी की अंतिम तिथि को या उससे पहले की गई और विदेशी मुद्रा के व्यापारी (बैंक) के साथ पंजीकृत पक्की संविदा के मद्दे। मशीनरी/उपस्कर/फालतू पुर्जों के मामले में अगले लाइसेंसिंग वर्ष की 31 मार्च को अथवा इससे पहले भारत को परेषण के माध्यम से प्रदान कर दिया गया हो।

(9) यदि माल के आयात के समय उसे आयात पर प्रभाव डालने वाला कोई निषेध का विनियम लागू होगा तो इस लाइसेंस का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(10) यह लाइसेंस ऐसे किसी भी आभार या ऐसी किसी भी शर्त का अनुपालन करने से किसी भी समय उन्मुक्ति, रियायत या ढील प्रदान नहीं करता है, जिस आभार या शर्त के लिए वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) या आयातक अन्य कानूनों या विनियमों के अधीन हों। आयातकों को उनसे लागू अन्य सभी कानूनों की शर्तों का पालन करना चाहिए।

टिप्पणी:—इस आदेश के प्रयोजनार्थ "लाइसेंसिंग वर्ष" और "अगला लाइसेंसिंग वर्ष" का जहां भी संदर्भ में आता है उसका वही अर्थ है जो 1985-88 की आयात एवं निर्यात नीति (खण्ड-I) में उल्लिखित है।

[सि०सं० आई पी सी/3/18/85]

ORDER No. 5/85—88

OPEN GENERAL LICENCE No. 5/85

S.O. 306 (E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country except the Union of South Africa/South West Africa, items of raw materials, components, consumables, machinery equipment, instruments, accessories, tools and spares, required by any research and development unit, scientific or research laboratory, institution of higher education and hospitals, recognised by the Central or State Governments, subject to the following conditions:—

(1) The importer shall produce to the customs authorities at the time of clearance, a declaration giving particulars of its recognition by Central or State Government, as the case may be, and declaring that the items imported are required for its own use. In the case of R & D units, they shall also declare that the imported item is required for R & D purposes.

(2) Items of consumer goods, how-so-ever described, shall not be permitted for import under this Licence. Import of office machines will also not be allowed under this Licence.

(3) In respect of computers, computer based systems and their spares the import shall be allowed as per the policy applicable to others.

(4) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa.

(5) In the case of import of live and attenuated micro organism in any form for R & D purposes, prior permission from the Animal Husbandry Commissioner to the Government of India in the Department of Agriculture shall be produced to the satisfaction of the customs authorities at the time of clearance.

(6) The importers shall furnish to the authorities mentioned below within 30 days of the clearance of goods from Customs, the particulars of the goods so imported by them, for a value each of Rs. 1 lakh or more:—

(i) Department of Science & Technology, New Delhi in the case of R & D units and Scientific and Research Laboratories, under intimation to the CCI&E, New Delhi.

(ii) Department of Electronics, New Delhi in respect of electronic items.

(iii) DGTD, New Delhi, in the case of units registered with them.

(iv) Administrative Ministry of the Central or State Government concerned, as the case may be in the case of hospitals and institutions of higher education.

(7) This licence shall also be subject to the condition No. 1 in Schedule V to the Imports (Control) Order, 1956.

(8) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March of the licensing year or, in the case of machinery/equipment/spares shipped on or before 31st March of the following licensing year against firm contract entered into and registered with a foreign exchange dealer (Bank) on or before last date of February of the licensing year, without any grace period whatsoever.

(9) Nothing in this Licence shall affect the application to any goods, of any prohibition or regulation affecting the import thereof, in force at the time when such goods are imported.

(10) The licence does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from an obligation or compliance with any requirement to which the Actual Users (Industrial) or the importer may be subject to under other laws or regulations. The importers should comply with the provisions of all other laws applicable to them.

NOTE : For the purposes of this Order, references to "the licensing year", and "the following licensing year", wherever appears in this Order shall have the same meaning as mentioned in Import and Export Policy (Vol. I) for 1985—88.

[File No. IPC/3/18/85]

आदेश सं. 6/85—88

खुला सामान्य लाइसेंस सं. 6/85

का. आ. 307(अ):—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड–3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दक्षिण अफ्रीका/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका संघ को छोड़कर किसी भी देश से आयात एवं निर्यात नीति 1985—88 (खण्ड–I) के परिशिष्ट 5 में निहित संबद्ध मदों के सामने उल्लिखित मनोनीत सार्वजनिक क्षेत्र (सरणीबद्ध) अभिकरणों द्वारा उक्त परिशिष्ट में विशिष्टिकृत माल का भारत में आयात करने की सामान्य अनुमति देती है :—

(1) आयात उस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा रिहा की गई विदेशी मुद्रा के मद्दे किए जाएंगे।

(2) आयातित माल का वितरण संबद्ध सरणीबद्ध अभिकरण द्वारा निर्धारित नीति और क्रियाविधि के अनुसार किया जाएगा।

(3) इस तरह आयात किया गया माल दक्षिण अफ्रीका/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका संघ में तैयार अथवा विनिर्मित न किया गया हो।

(4) भारत को ऐसे माल का लदान बिना किसी रियायती अवधि के चाहे जो कुछ भी हो अगले लाइसेंसिंग वर्ष की 30 सितम्बर को या इससे पूर्व परेषण के माध्यम से कर दिए जाते हैं। बशर्ते कि लाइसेंसिंग वर्ष की 31 मार्च को या इससे पहले पक्के आदेश कर दिये गए हैं।

(5) यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची-5 में शर्त–1 के भी अधीन होगा।

(6) इस प्रकार के माल का आयात करते समय लागू कोई भी निषेध या उसके आयात को प्रभावित करने वाला विनिमय इस लाइसेंस के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के माल के आयातों को प्रभावित नहीं करेगा।

(7) यह लाइसेंस ऐसे किसी भी आभार या ऐसी किसी भी शर्त का अनुपालन करने से किसी भी समय उन्मुक्ति, रियायत या ढील प्रदान नहीं करता है जिस आभार या शर्त के लिए वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) या आयातक अन्य कानूनों या विनियमों के अधीन हो। आयातकों को उनसे लागू अन्य सभी कानूनों की शर्तों का पालन करना चाहिये।

टिप्पणी:—इस आदेश के प्रयाजनार्थ "लाइसेंसिंग वर्ष" और "अगला लाइसेंसिंग वर्ष" जहां भी संदर्भ में आता है उसका वही अर्थ है जो 1985—88 की आयात एवं निर्यात नीति (खण्ड–1) में उल्लिखित है।

[फा० सं० आई पी सी/3/18/85]

ORDER No. 6/85—88

OPEN GENERAL LICENCE No. 6/85

S.O. 307 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country except the Union of South Africa, South West Africa, the goods of the description specified in Appendix 5 of Import and Export Policy, 1985—88 (Vol. I), by designated Public Sector (Canalising) Agencies mentioned against the relevant items in the said Appendix, subject to the following conditions:—

(1) The imports shall be made against the foreign exchange released by Government for the purpose;

(2) Imported goods shall be distributed by the Canalising Agency concerned in accordance with the Policy and Procedure laid down;

(3) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa|South West Africa;

(4) Such goods are shipped on through consignments to India on or before 30th September of the following licensing year, without any grace period, what-so-ever, provided firm order is placed on or before 31st March, of the licensing year;

(5) This Licence shall also be subject to condition Number 1, in Schedule V to the Imports (Control) Order, 1955;

(6) Nothing in this licence shall affect the application to any goods of any other prohibition|or regulation, affecting the imports thereof in force, at the time where such goods are imported;

(7) The licence does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from an obligation or compliance with any requirement to which the Actual Users (Industrial) or the importer may be subject to under other laws or regulations. The importers should comply with the provisions of all other laws applicable to them.

NOTE : For the purposes of this Order, references to "the licensing year", and "the following licensing year", wherever apears in this Order shall have the same meaning as mentioned in Import and Export Policy (Volume I) for 1985—88.

[File No. IPC|3|18|85]

आदेश सं 7/85—88

खुला सामान्य लाइसेंस सं० 7/85

का०आ० 308(अ):—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947(1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा जिगों जुड़नारों मोल्ड्स डाइज एवं पैटर्न्स (डाया कास्टिंग के लिए मोल्डस् सहित) मोल्डस के पुर्जों और प्रेस औजारों (1985—88) आयात-निर्यात नीति (खण्ड-1) के परिशिष्ट-1 भाग-क 2 और 3 भाग-क में प्रदर्शित से भिन्न और उनके पुर्जों के भारत में आयात की सामान्य अनुमति दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका को छोड़कर किसी भी देश से निम्नलिखित शर्तों के अधीन देती है:—

(1) आयातक अपने निजी संस्थान में उपयोग के लिए ऐसी मदों की आवश्यकता रखते हुए महानिदेशक तकनीकी विकास, नई दिल्ली या संबद्ध राज्य के उद्योग निदेशक या अन्य संबद्ध प्रायोजक

प्राधिकारी, जो भी हो, के साथ पंजीकृत एक वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) हो,

(2) इस प्रकार आयात किया गया माल नए निर्माण का होगा। यदि वे पुरानी या मरम्मत की गई मदें होंगी तो उनके आयात की अनुमति केवल तब दी जाएगी जब कि मशीनरी केवल 7 वर्ष से अधिक पुरानी न हो और शेष जीवन 5 वर्ष से कम न हो और आयातक निकासी के समय सीमाशुल्क प्राधिकारी को उस देश के स्वतंत्र व्यावसायिक सनदी अभियन्ता/इनके समतुल्य संस्थान से एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा जहां से आयात किया जाता है और उसमें निम्नलिखित को दर्शाया जाएगा :—

(क) संयंत्र और मशीनरी के विनिर्माता का नाम,

(ख) विनिर्माण का वर्ष,

(ग) संयंत्र और मशीनरी की वर्तमान स्थिति और उसका संभावित शेष जीवन,

(घ) यदि नया खरीदा गया हो, समतुल्य पूंजीगत माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य,

(ङ) यदि कोई सुधार/मरम्मत की गई है तो उसका विवरण और वे किस तारीख (खों) को किए गए थे,

(च) संभरकों द्वारा पूछी गई कीमत के संबंध में विचार और ऐसे विचारों के लिए दिए गए आधार।

(3) औद्योगिक लाइसेंस पंजीकरण अर्थात् औद्योगिक एकक के रूप में वास्तविक उपयोक्ता को जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण संख्या तथा दिनांक और विनिर्मित अंतिम उत्पाद के ब्यौरे देते हुए संबद्ध वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) माल की निकासी के समय संबद्ध सीमाशुल्क प्राधिकारियों को एक घोषणा-पत्र यह शपथ लेते हुए प्रस्तुत करेगा कि ऐसा लाइसेंस/पंजीकरण न तो रद्द किया गया है, न वापस लिया गया है और न अन्य प्रकार से अप्रभावी किया गया है, जिन मामलों में संबद्ध प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा अलग पंजीकरण सं० आबंटित न की गई हो, उनमें आयातक सीमाशुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए अन्य उचित साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

(4) लाइसेंसिंग वर्ष की 30 सितम्बर और 31 मार्च को आयातित पूंजीगत माल और उसके लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य का विवरण देते हुए आयातक मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली के कार्यालय में सांख्यिकी निदेशक को आवधिक विवरण-पत्र भेजेगा। ऐसा प्रत्येक-विवरण-पत्र निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर भेजा जाएगा।

(5) यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची-5 में शर्त सं० 1 के भी अधीन होगा।

(6) इस प्रकार आयात किया गया माल दक्षिणी अफ्रीका संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में उत्पादित या विनिर्दिष्ट न हो।

(7) ऐसे माल का पोत-लदान लाइसेंसिंग वर्ष की 31 मार्च को या इससे पूर्व भारत को प्रेषण के माध्यम से या लाइसेंसिंग वर्ष की फरवरी की अंतिम तिथि को या इससे पहले खोले गए अपरिवर्तनीय साख-पत्रों के लिए पक्के आदेशों के मद्दे अगले लाइसेंसिंग वर्ष की 31 मार्च, को या इससे पूर्व कर दिया गया हो और जो कुछ भी हो, इसमें किसी किस्म की रियायती अवधि की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

(8) इस प्रकार का माल आयात करते समय लागू कोई भी निषेध अथवा उसके आयात को प्रभावित करने वाला विनियम इस लाइसेंस के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के माल के आयातों को प्रभावित नहीं करेगा।

(9) यह लाइसेंस किसी भी वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) जब अन्य कानून या विनियमों की शर्तों के अधीन आता हो उसे दायित्व या किसी आवश्यकता का अनुपालन करने से कोई उन्मुक्ति, छूट या ढील प्रदान नहीं करता है। आयातक को इसके लिए लागू अन्य कानूनों का अनुपालन करना चाहिए।

टिप्पणी—इस आदेश के प्रयोजनार्थ "लाइसेंसिंग वर्ष" और (अगला लाइसेंसिंग वर्ष) को जहां भी संदर्भ में आना है उसका वही अर्थ है जो 1985—88 की आयात एवं निर्यात नीति (खण्ड-1) में उल्लिखित है।

[फाइल सं० आई पी सी/3/18/85]

ORDER NO. 7|85-88

OPEN GENERAL LICENCE NO. 7|85

S.O. 308 (E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country, except the Union of South Africa/South-West Africa, Jigs, fituxres, dies and patterns, moulds (including moulds for diecasting), and press tools (other than those appearing in Appendices 1 Part-A, 2 and 3 Part-A of the Import and Export Policy, 1985—88 (Vol. 1) and parts thereof, subject to the following conditions:

(1) The importer is an Actual User (Industrial) registered with the DGTD, New Delhi or the concerned State Director of Industries or other sponsoring authority concerned, as the case may be, requiring such items for use in his own undertaking;

(2) The goods so imported shall be of new manufacture. If they are second-hand or reconditioned items, their import will be permitted only if the machinery is not more than

seven years old and its remaining life is not less than five years, and the importer shall produce to the customs authority at the time of clearance, a certificate from a professional independent Chartered Engineer|any equivalent institute in the country from which import is made, indicating:—

(a) Name of manufacturer of the plant and machinery;

(b) Year of manufacture;

(c) Present condition of the plant and machinery and its expected residual life;

(d) The CIF value of equivalent Capital Goods, if purchased new;

(e) Nature of reconditioning|repairs done, if any, and the date(s) on which these were carried out;

(f) Opinion regarding the price asked for by the suppliers and the basis for such opinion.

(3) The Actual User (Industrial) concerned shall produce to the satisfaction of the customs authorities concerned at the time of clearance, a declaration giving particulars of his industrial licence/Registration Certificate, namely, the Number and Date of the Industrial Licence|Registration issued to the Actual User as an industrial unit and the end-product(s) manufactured, and affirming that such licence/registration has not been cancelled or withdrawn or otherwise made inoperative. In cases, where separate registration number has not been allotted by the sponsoring authority concerned, he shall produce appropriate other evidence to the satisfaction of the customs authorities;

(4) The importers shall furnish periodical returns to the Director of Statistics, Office of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, giving the description of the goods imported and their c.i.f. value, as on 30th September, and 31st March, of the licensing year. Each such return shall be furnished within 15 days of the close of the period concerned.

(5) This Licence shall also be subject to the condition No. 1 in Schedule V to the Imports (Control) Order, 1955;

(6) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa|South-West Africa;

(7) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March of the licensing year or on or before 31st March of the following licensing year against firm orders for which irrevocable Letters of Credits are opened on or before the last date of February of the licensing year, without any grace period, whatsoever;

(8) Nothing in this Licence shall affect the application to any goods, of any other prohibition or regulation affecting the import thereof, in force, at the time when such goods are imported;

(9) The licence does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from an obligation or complaince with any requirement to which the Actual Users (Industrial) may be subject under other laws or regulations. The importers should comply with the provision of all other laws applicable to them.

NOTE : For the purpose of this Order, references to "the licensing year", and "the following licensing year", wherever appears in this Order shall have the same meaning as mentioned in Import and Export Policy (Volume I) for 1985—88.

[File No. IPC|3|18|85]

आदेश सं. 8/85-88

खुले सामान्य लाइसेंस सं. 8/85

का.आ. 309(अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दक्षिण अफ्रीका/दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका संघ को छोड़कर किसी भी देश से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (ओ.एन.जी.सी.), आयल इंडिया लि., भारतीय गैस प्राधिकरण लि., सर्वश्री भारत स्वर्ण खान लि. द्वारा कच्चे माल की मदों, संघटकों, उपभोज्य, मशीनरी, उपकरण और यंत्र, उप-साधकों, औजारों और फालतू पुर्जों (किन्तु उपभोज्य माल को छोड़कर, चाहे उसका उल्लेख किसी भी प्रकार क्यों न किया गया हो), भारत में आयात करने की सामान्य अनुमति देती है :—

(1) आयात के लिए स्वीकृत मदें वे ही मदें होंगी जिनकी देशी दृष्टि से महानिदेशक, तकनीकी विकास, नई दिल्ली द्वारा निकासी की स्वीकृति प्रदान कर दी गई हो। जहां किसी भी इलैक्ट्रानिक मद में 5 लाख रु. के लागत-बीमा भाड़ा मूल्य के या इससे अधिक मूल्य के प्रतिकृति उपस्कर और समुद्रीय इलैक्ट्रानिक्स उपस्कर और मूल्य को ध्यान में रखे बिना इनके पुर्जे शामिल हों या मूल्य में एक लाख रुपये से अधिक के लिए संचार उपस्कर शामिल हों तो आयात की स्वीकृति इलैक्ट्रानिक विभाग द्वारा निकासी की स्वीकृति प्रदान करने के बाद ही दी जाएगी। इस संबंध में साक्ष्य सीमाशुल्क प्राधिकारियों को भेजे जायेंगे। नीचे दिए गए पैरा (3) और (4) के लिए देशी निकासी की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) आयात इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा रिहा की गई विदेशी मुद्रा के मद्दे किए जायेंगे, लेकिन नीचे के पैरा (3) और (4) में आने वाले को छोड़कर।

(3) जहां सर्विस संविदाएं उस विदेशी ठेकेदार को दी गयी हैं, जो कार्य के निष्पादन के लिए उपकरण लाता है, बशर्ते कि : (क) ऐसे उपकरणों के आयात के लिए भुगतान न किया जाना हो, और (ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, मैसर्स आयल इण्डिया लि./भारतीय गैस प्राधिकरण लि. यह वचन दे कि कार्य की समाप्ति पर ऐसे उपकरण पुनः निर्यात कर दिए जायेंगे। यदि आयातित उपकरण प्रोजेक्टर या कैमरा, किसी मद के साथ जोड़ी गई है जो कि उसके पुर्जे बनाती हो तो ऐसी कंज्यूमर ड्यूरेबल का आयात, ओ.एन.जी.सी. मुख्य उपकरण के साथ उसका पुनः निर्यात करने के लिए दिए गए वचन के अधीन होगा।

(4) जहां सर्वश्री मजगांव डाक्स लि. अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के इसी प्रकार के किसी अन्य उपक्रम को आफ-शोर/आनशोर संविदा दी

जाती है और विदेशी इंजीनियरों/विशेषज्ञों की सेवाएं कार्यों को पूरा करने में लगी हुई हैं और ऐसे इंजीनियरों/विशेषज्ञ कार्यों के निष्पादन के लिए औजार, यंत्र और उपस्कर लाते हैं, बशर्ते कि (क) विषयाधीन माल के आयात का भुगतान नहीं करना होगा और (ख) सर्वश्री मजगांव डाक्स या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन यह वचन देता है कि आयातित औजार यंत्र और उपस्कर उस कार्य को पूरा होने के पश्चात् पुनः निर्यात कर दिये जायेंगे।

(5) ओ.एन.जी.सी. या आयल इंडिया लि. या भारतीय गैस प्राधिकरण लि. से आफ-शोर/आन-शोर संविदाएं प्राप्त करने वाले निजी क्षेत्र के संस्थानों द्वारा माल आयात किया जाना है और ऐसी संविदा के निष्पादन के लिए माल उनके द्वारा अपेक्षित है।

(6) आयात "वास्तविक उपयोक्ता" शर्त के अधीन होगा ।

(7) यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची 5 की शर्त-1 के अधीन होगा ।

(8) इस तरह आयात किया गया माल दक्षिण अफ्रीका/दक्षिण पश्चिम-अफ्रीका संघ में तैयार अथवा विनिर्मित न किया गया हो।

(9) भारत को ऐसे माल का लदान बिना किसी रियायती अवधि के चाहे जो कुछ भी हो, लाइसेंसिंग वर्ष की 31 मार्च, को या इससे पूर्व परेषण के माध्यम से कर दिए जाते हैं या मशीनरी और फालतू पुर्जों के मामले में इनका लदान लाइसेंसिंग वर्ष की फरवरी की अन्तिम तिथि को इससे पूर्व विदेशी मुद्रा विनियम के व्यापारी (बैंक) के साथ पंजीकृत और की गई पक्की संविदा के मद्दे अगले लाइसेंसिंग वर्ष की 31 मार्च, को या इससे पूर्व कर दिया जाता है।

(10) इस प्रकार का आयात करते समय लागू कोई भी निषेध अथवा उसके आयात को प्रभावित करने वाला विनियम इस लाइसेंस के अंतर्गत किसी भी प्रकार के माल के आयातों को प्रभावित नहीं करेगा ।

(11) यह लाइसेंसिंग ऐसे किसी भी आभार या ऐसी किसी भी शर्त का अनुपालन करने से किसी भी समय उन्मुक्ति, रियायत या ढील प्रदान नहीं करता है जिस आभार या शर्त के लिए वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) या आयात अन्य कानूनों या विनियमों के अधीन हो। आयातकों को उनसे लागू अन्य सभी कानूनों की शर्तों का पालन करना चाहिए।

टिप्पणी—इस आदेश के प्रयोजनार्थ "लाइसेंसिंग वर्ष" और "अगला लाइसेंसिंग वर्ष" जहां भी संदर्भ में आता है उसका वही अर्थ है जो 1985-88 की आयात एवं निर्यात नीति (खण्ड 1) में उल्लिखित है।

[फाइल सं० आई पी सी 3/18/85]

ORDER NO. 8|85-88

OPEN GENERAL LICENCE NO. 8|85

S.O. 309(E).—In exercise of the powers conferred by section 3, of the Imports and Exports (Control) Act, 1949 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country except the Union of South Africa/South-West Africa, items of raw materials, components, consumables, machinery, equipment, instruments, accessories, tools and spares (but not consumer goods howsoever described), by the Oil and Natural Gas Commission (ONGC), Oil India Limited, Gas Authority of India Limited and M|s. Bharat Gold Mines Ltd., subject to the following conditions:—

(1) The items permitted for import shall be those cleared by the DGTD, New Delhi from indigenous angle. Where import of any electronics items including facsimile equipment for a c.i.f. value of Rs. 5 lakhs or more and marine electronics equipment and parts irrespective of value, is involved, or communication equipments for a value more than Rs. one lakh is involved, the import shall be allowed only after clearance is given by the Department of Electronics. Evidence to this effect shall be produced to the customs authorities. Indigenous clearance will not be required under (3) and (4) below.

(2) The import shall be made only against foreign exchange released by the Government for the purpose, except under (3) and (4) below.

(3) Where a service contract has been awarded to a foreign contractor, who brings equipment for execution of work, provided that (a) import of such equipment is not to be paid for and (b) the Oil & Natural Gas Commission|M|s. Oil India Ltd.|Gas Authority of India Ltd. undertakes that such equipment shall be re-exported after completion of the work. If the imported equipment is fitted with any items such as projector or camera which forms its part the import of such consumer durables shall be subject to ONGC|Oil India Ltd.|GAIL undertaking their re-export alongwith the main equipment.

(4) Where a off-shore|on-shore contract is awarded to M|s. Mazagaon Docks Ltd. or to any other similar undertaking in the public sector, and services of foreign Engineers|specialists are engaged for completion of the work, and such engineer|specialist brings tools, instruments and equipment for execution of work, provided (a) the import of the goods, in question, is not to be paid for, and (b) M|s. Mazagaon Docks or the concerned public sector organisation undertakes that the imported tools, instruments and equipment shall be re-exported after completion of work.

(5) The goods are required to be imported by public sector undertaking receiving off-shore|on-shore contracts from ONGC or Oil India Ltd. or Gas Authority of India Ltd., and are required by them for execution of such contract.

(6) The import shall be subject to "Actual User" condition.

(7) This licence shall also be subject to the condition No. 1 in Schedule V of the Imports (Control) Order, 1955.

(8) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South-West Africa.

(9) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March of the licensing year, or in the case of machinery and spares, these are shipped on or before 31st March of the following licensing year against firm contracts entered into and registered with a foreign exchange dealer (Bank) on or before the last date of February of the licensing year, without any grace period whatsoever.

(10) Nothing in this licence shall affect the application to any goods, of any other prohibition or regulation affecting the import thereof, in force at the time when such goods are imported.

(11) The licence does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from an obligation or compliance with any requirement to which the Actual Users (Industrial) or the importer may be subject to under other laws or regulations. The importers should comply with the provisions of all other laws applicable to them.

NOTE : For the purposes of this Order, references to "the licensing year", and "the following licensing year", wherever appears in this Order shall have the same meaning as mentioned in Import and Export Policy (Volume I) for 1985-88.

[File No. 1PC|3|18|85]

आदेश सं० 9/85–88

खुला सामान्य लाइसेंस सं० 9/85

का.आ. 310(अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा सामान्य रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स और अन्य उन एयर लाइनों को जो आई.ए.टी.ए. के सदस्य हैं, और इसके अन्तर्गत विशिष्टिकृत श्रेणियों को फालतू पुर्जों, उपभोज्य सामग्री 1985—88 (खण्ड 1) की आयात-निर्यात नीति के परिशिष्ट-5 भाग-ख के अन्तर्गत आने वाली ग्रीज और स्नेहक को छोड़कर एयरक्राफ्ट के टायर और ट्यूब्ज, पुस्तिकों, तकनीकी ड्राइंग और उनके द्वारा संचालित और रक्षित एयरक्राफ्ट के फ्लीट के सम्बद्ध निदर्शन और अन्य तकनीकी साहित्य और सम्बन्धित परीक्षण और प्रशिक्षण उपकरणों को आयात करने की स्वीकृति प्रदान करती है :

(1) कोई भी उपभोज्य सामान चाहे उसका किसी प्रकार उल्लेख क्यों न किया गया हो, इस खुले सामान्य लाइसेंस की व्यवस्थाओं के अधीन उसे आयात करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।

(2) आयातित मदें "वास्तविक उपयोक्ता शर्त" के अधीन होंगी ।

(3) निकासी के समय आयातक एयरलाइन्स और आई.टी.ए. के अन्तर्गत वर्तमान सदस्यता के ब्योरों को दर्शाते हुए सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा ।

(4) एयरक्राफ्ट संचालन अथवा हवाई मार्ग से फसलों पर छिड़कने के कार्य में लगी हुई कम्पनियों अपने एयरक्राफ्टों के रख-रखाव के लिए सीमाशुल्क को साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कि आयातक पंजीकृत है या दुकान और संस्थानों के लिए लागू स्थानीय नियम के अधीन कम से कम तीन वर्षों से प्रमाण-पत्र प्राप्त किए हुए हैं, आयात और निर्यात नीति, 1985—88 (जिल्द-1) के परिशिष्ट 2.3 भाग क, 8 या 10 में दर्शाए गए से भिन्न केवल फालतू पुर्जों का आयात कर सकता है ।

(5) कार्यकारी एयरक्राफ्ट के स्वामी, चाहे निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में हों, अपने एयरक्राफ्ट के रख-रखाव के लिए आयात और निर्यात नीति, 1985-88 (जिल्द-1) के परिशिष्ट 2.3 भाग क, 8 या 10 में दर्शाए गए से भिन्न केवल फालतू पुर्जों का आयात कर सकते हैं ।

(6) आयातित माल दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका से और/या वहां उत्पादित या विनिर्मित नहीं होने चाहिए ।

(7) भारत को माल का लदान बिना किसी रियायती अवधि के, चाहे जो कुछ भी हो लाइसेंसिंग वर्ष को 31 मार्च को या उससे पूर्व परेषण के माध्यम से कर दिए जाते हैं ।

(8) यह लाइसेंसिंग आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची 5 की शर्त 1 के अधीन होगा ।

(9) इस प्रकार के माल का आयात करते समय लागू कोई भी विशेष अथवा उसके आयात को प्रभावित करने वाला विनियम इस लाइसेंस के अंतर्गत किसी भी प्रकार के माल के आयात को प्रभावित नहीं करेगा ।

(10) यह लाइसेंस ऐसे किसी भी आभार या ऐसी किसी भी शर्त का अनुपालन करने से किसी भी समय उन्मुक्ति, रियायत या ढील प्रदान नहीं करता है, जिस आभार या शर्त के लिए वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) अन्य कानूनों या विनियमों के अधीन हो । आयातकों को उनसे लागू अन्य सभी कानूनों की शर्तों का पालन करना चाहिए ।

टिप्पणी :—

इस आदेश के प्रयोजनार्थ "लाइसेंसिंग वर्ष और अगला लाइसेंसिंग वर्ष" का जहां भी संदर्भ में आता है उसका वही अर्थ है जो 1985-88 की आयात एवं निर्यात नीति (खण्ड 1) में उल्लिखित है ।

[फाइल सं० आई.पी.सी./3/18/85]

ORDER No. 9/85—88

OPEN GENERAL LICENCE NO. 9/85

S.O. 310(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to Air India, Indian Airlines and other Airlines who are members of the IATA and other categories specified hereunder, to import spares, consumables (Excluding greases and lubricants covered by Appendix 5 Part B to the Import & Export Policy, 1985—88, (Volume I), aircraft tyres and tubes, manuals, technical drawings, illustrations and other technical literature pertaining to the fleet of aircraft operated and maintained by them and the associate test and training equipment, subject to the following conditions:—

(1) No consumer goods how-so-ever described shall be imported under the provisions of this Open General Licence;

(2) The imported items shall be subject to the "Actual User" condition;

(3) The importer shall furnish to the Customs authorities at the time of clearance, a declaration giving particulars of the airline and its current membership of the IATA;

(4) Companies operating aircraft or engaged in the aerial spraying of crops can import spares only, other than those appearing in Appendices 2, 3 Part-A, 8 and 10 of Import and Export Policy, 1985—88 (Volume I) for maintenance of their aircrafts, on production of evidence to the customs that the importer has been registered or holds a certificate for at least three years under the local law applicable to shops and establishments;

(5) Owners of executive aircraft, whether in private or public sector, can import spares only, other than those appearing in Appendices 2, 3 Part-A, 8 or 10 of Import & Export Policy, 1985—88 (Volume I), for maintenance of their executive aircrafts;

(6) The goods imported should not be from and/or have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South-West Africa;

(7) Goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March of the licensing year without any grace period, whatsoever;

(8) This licence shall also be subject to the condition No. 1 in Schedule V to the Imports (Control) Order, 1955;

(9) Nothng in this licence shall affect the application to any goods, of any other prohibition or regulation affecting the import thereof in force, at the time when such goods are imported;

(10) The licence does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from an obligation or compliance with any requirement to which the Actual Users (Industrial) may be subject to under other laws or regulations. The importers should comply with the provisions of all other laws applicable to them.

NOTE : For the purposes of this Order, references to "the licensing year", and "the following licensing year", wherever appears in this Order shall have the same meaning as mentioned in Import and Export Policy (Volume I) for 1985—88.

[File No. IPC/3/18/85]

आदेश सं. 10/85—88

खुला सामान्य लाइसेंस सं. 10/85

का. आ. 311(अ) :—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसमें संलग्न अनुसूची में विशिष्टिकृत ब्यौरों की मदों का, प्रत्येक मद के सामने संकेतिक पात्र वास्तविक-उपयोक्ताओं द्वारा दक्षिणी अफ्रीका/दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका संघ को छोड़कर, किसी भी देश से निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारत में आयात करने की सामान्य अनुमति देती है :—

(1) अनुसूची में प्रत्येक मद के सामने संकेतिक मूल्य सीमा के भीतर और विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए आयात किया जाएगा,

(2) संलग्न अनुसूची में क्रम सं. 2, 4, 5, और 6 पर उल्लिखित चिकित्सा औजार आदि, वैज्ञानिक औजार और मोटर वाहन तथा कृषि ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों के मामले में, पात्र आयातक इस प्रावधान के अधीन अभी वित्तीय वर्ष में पहले से ही आयातित ऐसे माल के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के बारे में, सीमा-शुल्क प्राधिकारी को निकासी के समय घोषणा पत्र देगा,

(3) मोटर वाहन और कृषि ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों के मामले में, आयातक को सीमा शुल्क प्राधिकारी को, मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के अधीन करों के अद्यतन भुगतान/छूट के साक्ष्य सहित, सम्बद्ध वाहन या ट्रैक्टर का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।

(4)(क) 10 लाख रुपए (लागत-बीमा-भाड़ा) मूल्य से कम लागत के कम्प्यूटर/बेसिड सिस्टम के मामले में आयात सभी व्यक्तियों द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए अनुमित होगा (किन्तु स्टाक और बिक्री के लिए नहीं) । संबंधित आयातक एक प्रेषण में निम्नलिखित न्यूनतम आकृति का आयात करेंगे :—

प्रत्येक केन्द्रीय संसाधन एकक में ये शामिल होगा—

(1) आपरेटिंग सिस्टम साफ्टवेयर और उसके लिए एडिक्यूएट मेमोरी ।

(2) कम्प्यूटर कन्सोल

(3) टू डिस्क/कार्टिजिज/टेप ड्राईविस और एसोसिएटिड कन्ट्रोलर (फ्लोपी और कस्सेट ड्राइविस को छोड़कर)

(4) प्रति लाइन 80 प्रिन्ट पोजिसन या इससे अधिक की चौड़ाई के प्लाटोन के सहित एक प्रिन्टर

(ख) पुराने कम्प्यूटर/कम्प्यूटर बेस्ड सिस्टम का आयात अनुमित नहीं किया जाएगा ।

(5) ये माल लाइसेंसिंग वर्ष की 31 मार्च, को या उससे पूर्व बिना किसी रियायती अवधि के चाहे जो भी हो, भारत को परेषण के जरिये भेजे गए हों,

(6) आयात "वास्तविक उपयोक्ता" शर्त के अधीन होगा,

(7) यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची-5, की शर्त-1 के अधीन होगा ।

(8) इस प्रकार के माल का वास्तव में आयात करते समय लागू कोई भी निषेध अथवा उसके आयात को प्रभावित करने वाला विनियम इस लाइसेंस के अंतर्गत किसी भी प्रकार के माल के आयात को प्रभावित नहीं करेगा ।

(9) यह लाइसेंस ऐसे किसी भी आभार या ऐसी किसी भी शर्त का अनुपालन करने से किसी भी समय उन्मुक्ति, रियायत या ढील प्रदान नहीं करता है जिस आभार या शर्त के लिए वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) या आयातक अन्य कानूनों या विनियमों के अधीन हो । आयातकों को उन से लागू अन्य सभी कानूनों की शर्तों का पालन करना चाहिए ।

टिप्पणी—इस आदेश के प्रयोजनार्थ "लाइसेंसिंग वर्ष" और "अगला लाइसेंसिंग वर्ष" जहां भी संदर्भ में आता है उसका वही अर्थ है जो 1985-88 की आयात एवं निर्यात नीति (खण्ड-1) में उल्लिखित है ।

[फाइल सं. आई पी सी/3/18/85]

खुला सामान्य लाइसेंस सं. 10/85 दिनांक : अप्रैल, 1985 के लिए अनुसूची

सं.	मद	पात्र आयातक, मूल्य सीमा और आयात करने का उद्देश्य
1	2	3
1.	भेषज और औषध	(1) अस्पताल और चिकित्सा संस्थानों द्वारा उनके स्वयं के उपयोग के लिए बशर्ते कि किसी भी समय में ऐसे आयातित माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य 25 हजार रुपए से अधिक नहीं होगा ।
		(2) किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके निजी उपयोग के के लिए बशर्ते कि किसी भी एक समय में ऐसे समय में ऐसे आयातित माल का लागत बीमा-भाड़ा मूल्य एक हजार रुपए से अधिक नहीं होगा, और
		(3) पंजीकृत चिकित्सक द्वारा उनके स्वयं के व्यवसाय में उपयोग के लिए बशर्ते कि एक समय में ऐसे आयातित माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगा ।
2(क)	चिकित्सा जिसमें शल्य चिकित्सा, आप्टिकल और दन्त चिकित्सा सम्बन्ध औजार, उपकरण और यन्त्र और बदलाई के पुर्जे और उनके अनुषंगी एवं दन्त-चिकित्सा सामान भरी शामिल है ।	(1) अस्पताल या चिकित्सा संस्थाओं द्वारा उनके स्वयं के उपयोग के लिए बशर्ते कि ऐसे उपयोग आयातित माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य एक वित्तीय वर्ष के दौरान दो लाख रुपए से अधिक नहीं होगा ।
(ख)	आयात-निर्यात नीति, 1985-88 खंड, (1) के परिशिष्ट, 6 की सूची में दर्शाई गई शल्य चिकित्सा के लिए सीवन और सुइयां ।	(2) पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा उनके स्वयं के उपयोग के लिए बशर्ते कि ऐसे आयातित माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य एक वित्तीय वर्ष के दौरान पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगा ।
3.	एक्स-रे इन्टेंसिफाइंग स्क्रीन	अस्पताल और रेडियोलाजिकल क्लिनिकों द्वारा उनके स्वयं के उपयोग के लिए बशर्ते कि किसी भी एक समय में ऐसे आयातित माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य पच्चास हजार रुपए से अधिक नहीं होगा ।
4.	वैज्ञानिक और मापन औजार एवं रसायन	विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग और औषध के क्षेत्र के डाक्टरों द्वारा उनके स्वयं के उपयोग के लिए (इस सम्बन्ध में सीमा शुल्क प्राधिकारियों को साक्ष्य प्रस्तुत करने पर) बशर्ते कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे आयातित माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगा ।

1	2	3
5. परीक्षण उपकरण, परीक्षण औजार और रसायन		राज्य औषध नियंत्रक की सिफारिश प्रस्तुत करने पर उनके स्वयं के उपयोग के लिए एक वर्ष में 50,000 रुपए (लागत-बीमा-भाड़ा) तक के कुल मूल्य के लिए औषध तथा शृंगार प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अंतर्गत अनुमोदित परीक्षण प्रयोगशालाएं ।
6. मोटर वाहन और कृषि ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जे		वह व्यक्ति जिसके पास आयातित वाहन/कृषि ट्रैक्टर है, उसके द्वारा उसके स्वयं के उपयोग के लिए एक वित्तीय वर्ष के दौरान पांच हजार रुपए लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य तक ।
7. अव्यवसायी रेडियो संचार उपस्कर जिसमें किट्स, उपसाधित्र (एन्टीना, रोटरी मोटर, फीड लाइन, स्टैंडिंग वेव रेडियो ब्रिज सहित) (यंत्र, फालतू पुर्जे और संघटक शामिल है । उपस्कर निम्नलिखित फ्रीक्वेंसी रेंज और पावर सीमाओं के भीतर समरूप हों		लाइसेंसधारी रेडियो अव्यवसाइयों द्वारा उनके निजी कार्यों के लिए (इस सम्बन्ध में सीमा शुल्क प्राधिकारियों को साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा) (बशर्ते कि एक वित्तीय वर्ष में आयात किए गए ऐसे माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य 15,000 रुपए से अधिक न हो । भारत सरकार, संचार मंत्रालय, वायरलेस योजना एवं समन्वय स्कन्ध की पूर्व अनुमति के बिना आयातित माल किसी भी पार्टी या व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा ।

1. हाई फ्रीक्वेन्सी (एच एफ)

मीटर बैंड	फ्रीक्वेन्सी रेंज	पावर सीमा का उत्पादन
1	2	3
160 एम.	1.8 से 2.0 एम एच जेड	150 वाट्स
80 एम.	3.5 से 4.00 ,,	150 वाट्स
40 एम.	7.0 से 7.5 ,,	150 वाट्स
20 एम.	14.0 से 14.50 ,,	150 वाट्स
15 एम.	21.0 से 21.50 ,,	150 वाट्स
10 एम.	28.0 से 30.00 ,,	150 वाट्स

2. वेरी हाई फ्रीक्वेन्सी (वी एच एफ)

2 एम	144 से 146 एम एच जैड	25 वाट्स
3. अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेन्सी (यू. एच. एफ.) 70 सी एम एस 430 से 440 एम एच जैड		25 वाट्स

टिप्पणी : व्यासमापन के प्रयोजनार्थ हाई फ्रीक्वेन्सी ट्रान्सरिसीवरों में या तो 10 एम एच जैड या 15 एम एच जैड मानक फ्रीक्वेन्सी रिसेपसन सुविधा भी शामिल है ।

8. 10 लाख रुपए (लागत बीमा भाड़ा) मूल्य से कम कीमत के कम्प्यूटर/कम्प्यूटर बेस्ड सिस्टम		सभी व्यक्तियों द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए ।

ORDER NO. 10/85-88

OPEN GENERAL LICENCE NO. 10/85

S.O. 311(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country except the Union of South Africa/South West Africa, the items of the description specified in the Schedule annexed hereto, by eligible Actual Users mentioned against each item, subject to the following conditions :—

(1) The import shall be within the value limit indicated against each item n the Schedle and for the purpose specified;

(2) In the case of medical instruments, etc. scientific instruments and chemicals and spare parts of motor vehicles and agricultural tractors, referred to at Serial Nos. 2, 4, 5 and 6 in the annexed schedule, the eligible importer, shall, at the time of clearance, give a declaration to the customs authority about the cif value of such goods already imported under this provision in the same financial year;

(3) In the case of spare parts of motor vehicles, and agricultural tractors, the importer shall also produce to the customs authority the valid Registration Cetrificate of the vehicle or the tractor concerned, with an evdience of upto date payment/exemption of taxes under the Motor Vehicles Act, 1939;

(4)(a) In the case of computer|computer based system costing below Rs. 10 lakhs (cif), import will be allowed by all persons for their own use (but not for stock and sale pur-The concerned importer shall import the following minimum configuration in one consignment :—

Each Central Processing Unit will include—

(i) Operating System software and adequate memory therefor.

(ii) Computer console.

(iii) Two disk/cartridge/tape drives and associated controller (excluding floopy and cassette drives).

(iv) One printer with Platon width 80 print positions or more per line.

(b) Import of second-hand computer/computer based system shall not be allowed.

(5) The goods are shipped on through consignment basis to India on or before 31st March, of the licensing year, without any grace period, whatsoever;

(6) Import shall be subject to "Actual User" condition.

(7) Teh licence shall also be subject to condition No. 1 in Schedule V to the Imports (Control) Order, 1955;

(8) Nothing in this licence shall affect the application to any goods of any prohibition or regulation affecting the import thereof, in force at the time when they are actually imported; and

(9) The licence does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from an obligation or compliance with any requirement to which the Actual Users (Industrial) or importer may be subject to under other laws or regulations. The importers should comply with the provisions of all other laws applicable to them.

Note : For the purposes of this Order, reference to "the licensing year", and "the following licensing year", wherever appear in this Order shall have the same meaning as mentioned in Import and Export Policy (Volume I) for 1985—88.

[F. No. IPC/3/18/85]

SCHEDULE TO O.G.L. No. 10/85 DATED THE 12TH APRIL, 1985

S. No.	Item	Eligible importers, value limit and purpose of import
1.	Drugs and medicines	(i) Hospitals and medical institutions for their own use, provided the cif value of such goods imported at any one time shall not exceed twenty-five thousand rupees; (ii) Any individual, for his personal use, provided the cif value of such goods imported at any one time shall not exceed one thousand rupees; and (iii) Registered medical practitioners, for their own professional use, provided the cif value of such goods imported at any one time shall not exceed five thousand rupees.
2.	(a) Medical including Surgical, optical and dental instruments, apparatus and appliances and replacement parts and accessories thereof and Dental materials. (b) Sutures and needles for surgical purposes appearing in list 5 in Appendix 6 of Import and Export Policy, 1985-88 (Vol.I).	(i) Hospitals and medical institutions, for their own use, provided the cif value of such goods imported shall not exceed two lakhs rupees, in a financial year. (ii) Registered medical practitioners for their own use, provided the cif value of such goods imported shall not exceed five thousand rupees, in a financial year.
3.	X-ray intensifying screens.	Hospitals and radiological clinics, for their own use, provided the cif value of such goods imported at any one time shall not exceed fifty thousand rupees.
4.	Scientific and measuring instruments and chemicals.	Professionals in the fields of science, technology, engineering and medicines, for their own purpose (to which effect evidence shall be produced to the customs authorities provided the cif value of such imported goods shall not exceed rupees ten thousand, in a financial year.
5.	Testing equipment, testing instruments and chemicals.	Testing laboratories approved under the Drugs and Cosmetics Act, 1940, of a total value not exceeding Rs. 50,000/- (cif) in a year for their own use, on production of recommendation of State Drugs Controller.
6.	Spare parts of motor vehicles and agricultural tractors	Persons owning imported vehicles/agricultural tractors, for their own use, upto a cif value of rupees five thousand in a financial year.
7.	Amateur radio communication equipment including kits accessories (including antenna rotary motors, feed lines, standing wave radio bridge) instruments, spare and components. The equipment is to conform within the following frequency ranges and/or limitations;	By licensed radio amateurs for their own purposes (evidence shall be produced to the Customs authorities to this effect) provided the cif value of such goods imported in a financial year does not exceed Rs. 15,000/-. Goods imported shall not be transferred to any individual or party without prior permission of the Wireless Planning & Coordination Wing of the Ministry of Communication, Government of India.

Sl. No.	Item	Eligible importers, value limit and purpose of import

I. High frequency (H.P.)

Meter Band	Frequency range	Output power limit
160 m	1.8 to 2.0 Mhz.	150 watts.
80 m	3.5 to 4.0 Mhz.	150 watts.
40 m	7.0 to 7.5 Mhz.	150 watts.
20 m	14.0 to 14.50 Mhz.	150 watts.
15 m	21.0 to 21.50 Mhz	150 watts.
10 m	28.0 to 30.00 Mhz.	150 watts.

II. Very High Frequency (VHF)

2m	144 to 146 Mhz	25 watts.

III. Ultra High Frequency (UHF)

70 cms	430 to 440 Mhz.	25 watts.

Note : The H.F. transreceivers also incorporate either 10 Mhz or 15 Mhz standard frequency reception facility for calibration purposes.

8.	Computer/computer based system costing below Rs. 10 lakhs (cif).	By all persons for their own use.

आदेश स. 11/85—88

खुला सामान्य लाइसेंस सं. : 11/85

का.आ. 312(अ) :—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार अगला आदेश होने तक जहाज के मरम्मत कार्य लगे हुए वास्तविक उपयोक्ताओं को निम्नलिखित शर्तों के अधीन (1) पूंजीगत माल, (2) कच्चे माल, (3) संघटकों, (4) उपभोज्यों एवं (5) किसी भी देश से फालतू पुर्जों के आयात की सामान्य अनुमति देती है, परन्तु दक्षिणी अफ्रीका संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका इसमें शामिल नहीं है :—

(1) आयातक, महानिदेशक, जहाजरानी, बंबई के पास जहाजों की मरम्मत करने वाले एकक के रूप में पंजीकृत है ।

(2) माल का आयात सीमा शुल्क बन्ध परिसर में किया जाएगा ।

(3) आयातित माल का उपयोग समुद्री जहाजों की मरम्मत के लिए सीमाशुल्क बन्ध परिसर में किया जाएगा चाहे वे जहाज भारतीय हों या विदेशी ।

(4) सीमाशुल्क बन्ध के लिए लागू प्रक्रिया का अनुसरण डीजिट बांड को शामिल करते हुए किया जाएगा ।

(5) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अंत संबद्ध वास्तविक उपयोक्ता आयातित मदों का लेखा और उनका लागत बीमा भाड़ा मूल्य तथा जहाजों की मरम्मत से कमाई गई विदेशी मुद्रा का लेखा बैंक द्वारा विधिवत् प्रमाणित करा कर संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी एवं महानिदेशक, जहाजरानी, बम्बई को प्रस्तुत करेगा ।

(6) आयात, महानिदेशक, जहाजरानी द्वारा उसको जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र में दी गई सभी शर्तों का पालन करेगा ।

(7) इस प्रकार का माल आयात करते समय लागू कोई भी निषेध अथवा उसके आयात को प्रभावित करने वाले विनिमय इस लाइसेंस के अंतर्गत किसी भी प्रकार से माल के आयातों को प्रभावित नहीं करेगा ।

(8) यह लाइसेंस ऐसे किसी भी आभार या ऐसी किसी भी शर्त का अनुपालन करने से किसी भी समय उन्मुक्ति, रियायत या ढील प्रदान नहीं करता है, जिस आभार या शर्त के लिए वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) अन्य कानूनों या विनियमों के अधीन हो । आयातकों को उनसे लागू अन्य सभी कानूनों की शर्तों का पालन करना चाहिए ।

टिप्पणी : इस आदेश के प्रयोजनार्थ "लाइसेंसिंग वर्ष" और "अगला लाइसेंसिंग वर्ष" जहां भी संदर्भ में आता है उसका वहीं अर्थ है जो 1985-88 की आयात एवं निर्यात नीति (खण्ड 1) में उल्लिखित है ।

[नि. स. आई. पी. सी. 3/18/85]

ORDER NO. 11/85—88

OPEN GENERAL LICENCE NO. 11/85

S.O. 312(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission, till further orders, to the Actual Users engaged in ship repairing work, for import of (i) capital goods, (ii) raw

materials (iii) components, (iv) consumable and (v) spares, from any country, except the Union of South Africa/South West Africa subject to the following conditions :—

(1) The importer is registered with the Director General Shipping, Bombay as a ship repairing unit.

(2) The goods shall be imported in custom bonded premises.

(3) The imported goods shall be used in repairs of ocean-going-vessels, whether Indian or foreign, in the custom bonded premises.

(4) The procedure applicable for customs bonding shall be followed including transit bond.

(5) At the end of each financial year, the Actual User concerned shall give an account of the items and their CIF value, imported and used in the ship repairing work and the amount of foreign exchange earned in ship repairs, duly certified by the bank, to the licensing authority concerned, and the Director General, Shipping, Bombay. This return shall be sent through the Customs Officer attached to the unit concerned.

(6) The importer shall comply with all the conditions laid down in the Registration Certificate, issued to him by Director General Shipping.

(7) Nothing in this licence shall affect the application to any goods, of any other prohibition or regulation, affecting the import thereof, in force at the time when such goods are imported.

(8) The licence does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from an obligation or compliance with any requirement to which the Actual Users (Industrial) may be subject to under other laws or regulations. The importers should comply with the provisions of all other laws applicable to them.

Note : For the purposes of this Order, references to "the licensing year", and "the followine licensing year", wherever appear in this Order shall have the same meaning as mentioned in Import and Export Policy (Volume-I) for 1985—88.

[F. No. IPC/3/18/85]

आदेश सं. 12/85-88

खुला सामान्य लाइसेंस सं. : 12/85

का. आ. 313 (अ) :—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा दक्षिणी अफ्रीका/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका संघ के अतिरिक्त किसी भी देश के सरकारी विभागों (केन्द्रीय अथवा राज्य) अथवा सरकारी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित परियोजना से किसी भी माल के भारत में आयात की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सामान्य अनुमति देती है :—

(1) भारत सरकार और संबंधित विदेशी सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार, विषयाधीन माल का निःशुल्क आयात किया जाता है ।

(2) आयातित माल भारतीय सरकार और संबंधित विदेशी सरकार के बीच किए गए संगत समझौते के अनुसार और इस संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय अथवा संबंधित परियोजना प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र निकासी के समय सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) ऐसे माल का प्रेषण द्वारा भारत में लाइसेंसिंग वर्ष की 31 मार्च को अथवा उससे पूर्व, बिना किसी रियायती अवधि के, चाहे जो कुछ भी हो, लदान किया जाता है ।

(4) ऐसे माल दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका संघ में उत्पादित अथवा विनिर्मित नहीं हो, और

2. इस लाइसेंस के अंतर्गत दो सरकारों के बीच हुए समझौते के अधीन भारत में परियोजना का निष्पादन करने के लिए भारत आने वाले विदेशी विशेषज्ञों के व्यक्तिगत सामान के आयात की अनुमति भी निकासी के समय प्रशासनिक मंत्रालय अथवा संबंधित परियोजना का इस संबंध में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दी जायेगी कि आयातित माल (जिसका ब्यौरा प्रमाण-पत्र में दिया जाता है) भारत सरकार और संबंधित विदेशी सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार किया गया है । आयात इस शर्त पर भी हो कि ज्यों ही संबंधित विदेशी विशेषज्ञ अपना कार्य पूर्ण कर भारत से जाने लगें तो (उपभोज्य माल से भिन्न) अन्य माल का पुनः निर्यात किया जाएगा ।

3. यदि माल के आयात के समय उसे आयात पर प्रभाव डालने वाला कोई निषेध या विनिमय लागू होगा तो इस लाइसेंस का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

4. यह लाइसेंस ऐसे किसी भी आभार या ऐसी किसी भी शर्त का अनुपालन करने से किसी भी समय उन्मुक्ति, रियायत या ढील प्रदान नहीं करता है जिस आभार या शर्त के लिए वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) या आयातक अन्य कानून(नों) या विनियमों के अधीन हो । आयातक को उनसे लागू अन्य सभी कानुनों की शर्तों का पालन करना चाहिए ।

टिप्पणी : इस आदेश के प्रयोजनार्थ "लाइसेंसिंग वर्ष" "और अगला लाइसेंसिंग वर्ष" जहां भी संदर्भ में आता है उसका वही अर्थ है जो 1985–88 की आयात एवं निर्यात नीति (खण्ड-1) में उल्लिखित है ।

[फाइल सं. आई पी सी 3/18/85]

ORDER NO. 12/85—88

OPEN GENERAL LICENCE NO. 12/85

S.O. 313(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country except the Union of South Africa/South West Africa, any goods by Government Departments (Central or State) or projects owned or controlled by Governments, subject to the following conditions:—

(i) The goods, in question, are imported free of cost in pursuance of an agreement between the Government of India and the foreign Government concerned;

(ii) The goods imported are in accordance with the relevant agreement entered into between the Government of India and the foreign Government concerned, and a certificate to this effect issued by the administrative Ministry or

the Project Authority concerned shall be produced to the customs authorities at the time of clearance;

(iii) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March, of the licensing year, without any grace period whatsoever; and

(iv) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa.

2. Under this licence, import will also be allowed of personal effects of foreign export coming to India under Government to Government agreement for the execution of a project in India on production of a certificate of the Administrative Ministry or the Project Authority concerned, at the time of clearance, to the effect that imported goods (to be mentioned in the certificate) are in accordance with the agreement entered into by the Government of India with the foreign Government concerned. The import shall also be subject to the condition that the goods (other than consumables) are re-exported as soon as the foreign export concerned leaves India after completion of his assignment.

3. Nothing in this licence shall affect the application to any goods, of any other prohibition or regulation affecting the import thereof, in force at the time when such goods are imported.

4. The licence does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from an obligation or compliance with any requirement to which the Actual Users (Industrial) or the importer may be subject to under other laws or regulations. The importers should comply with the provisions of all other laws applicable to them.

Note : For the purposes of this Order, reference to "the licensing year", and "the following licensing year", wherever appears in this Order shall have the same meaning as mentioned in Import and Export Policy (Volume I) for 1985—88.

[F. No. IPC/3/18/85]

आदेश संख्या : 13/85-88

खुला सामान्य लाइसेंस सं० 13/85

का. आ. 314(अ) :—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 19) की धारा-3 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रत्न तथा आभूषण और स्वर्णकार एवं शिल्पकारों की सहकारी समितियां, परिषद् द्वारा स्थापित संस्थानों के प्रयोग के लिए रत्न और आभूषणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद और रत्न और आभूषणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद् और रत्न और आभूषण उद्योग से सम्बद्ध क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान के पंजीकृत निर्यातकों द्वारा आयात नीति 1985-88 (खण्ड-1) के परिशिष्ट -6 की सूची-1 में दर्शाए गए रत्न और आभूषण के उद्योग के लिए अपेक्षित मशीनरी, उपस्कर, परीक्षण उपस्करण, औजारों एवं यंत्रों का आयात करने के लिए दक्षिण अफ्रीका/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका संघ को छोड़कर किसी भी देश से आयात करने की सामान्य अनुमति प्रदान करती है :—

(1) आयात "वास्तविक उपयोक्ता" शर्तों के अधीन होगा;

(2) इस प्रकार आयात किया गया माल नए निर्माण का होगा, यदि वह माल पुराना या मरम्मत की गई मदों के रूप में होगा तो उसके आयात की अनुमति केवल तब दी जाएगी जब मशीनरी 7 वर्ष से अधिक पुरानी न हो और उसकी शेष आयु 5 वर्ष से कम न हो और जिस देश से आयात किया गया हो उस देश के सनदी इंजीनियर से माल की निकासी के समय इस संबंध में एक प्रमाणपत्र सीमाशुल्क प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाता हो।

(3) रत्न एवं आभूषण के पंजीकृत निर्यातक माल की निकासी के समय सीमा शुल्क प्राधिकारियों को अपने पंजीकरण का यह विवरण देते हुए कि वे रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् के पास निर्यातक के रूप में पंजीकृत हैं और यह शपथ लेते हुए यह घोषणापत्र प्रस्तुत करेंगे कि उक्त पंजीकरण न तो रद्द किया गया है, न वापस लिया गया है न अन्यथा रूप से अप्रभावी किया गया है। स्वर्णकारों और शिल्पकारों की सहकारिता समिति इसी प्रकार से सहकारी समिति के रूप में अपने पंजीकरण के विषय में एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करेगी।

(4) रत्न और आभूषण उद्योग से संबद्ध क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की सीमा-शुल्क प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए संबंधित प्राधिकारी की मान्यता दर्शाते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(5) इस प्रकार आयातित माल दक्षिण अफ्रीका/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका संघ में उत्पादित अथवा विनिर्मित न हो।

(6) ऐसा माल चालू लाइसेंसिंग वर्ष की 31 मार्च, को अथवा उससे पहले किसी भी रियायत के बिना भारत को प्रेषण के माध्यम से लाद दिया गया हो।

(7) यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची-5 की शर्त-1 के अधीन होगा।

(8) यदि माल के आयात के समय उसके आयात पर प्रभाव डालने वाला कोई निषेध या विनिमय लागू होगा तो इस लाइसेंस का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(9) यह लाइसेंस ऐसे किसी भी आधार या ऐसी किसी भी शर्त का अनुपालन करने से किसी भी समय उन्मुक्ति, रियायत या ढील प्रदान नहीं करता है जिस आधार या शर्त के लिए वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) या आयात अन्य कानूनों या विनियमों के अधीन हो। आयातकों को उनसे लागू अन्य सभी कानूनों की शर्तों का पालन करना चाहिए।

टिप्पणी :—इस आदेश के प्रयोजनार्थ "लाइसेंसिंग वर्ष" और "अगला लाइसेंसिंग वर्ष" जहां भी संदर्भ में आता है उसका वही अर्थ है जो 1985-88 की आयात एवं निर्यात नीति (खण्ड-1) में उल्लिखित है ।

[फाइल सं. आई पी सी/3/18/85]

ORDER NO. 13/85—88

OPEN GENERAL LICENCE NO. 13/85

S.O. 314(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government gives general permission for import of machinery equipments, testing apparatus, tools and implements, required for Gem and Jewellery industry, appearing in List 1 of Appendix 6 of the Import and Export Policy, 1985—88 (Vol. I), by Registered Exporters of gem and jewellery and Cooperative Societies of Goldsmiths and Artisans, Export Promotion Councils for Gem and Jewellery for use in the Institutes set up by the Council and Regional Training Institutions connected with Gem and Jewellery industry, from any country except the Union of South Africa/South West Africa, subject to the following conditions :—

(1) The import shall be subject to "Actual User" conditions;

(2) The goods so imported shall be of new manufacture; if they are second-hand or reconditioned items, their import will be permitted only if the machinery is not more than seven years old and its remaining life is not less than five years, and evidence to this effect in the form of a certificate of a Chartered Engineer in the country from which the import is made, is produced to the satisfaction of the Customs authority at the time of clearance.

(3) Registered Exporter of Gem and Jewellery will furnish to the Customs authorities at the time of clearance of goods, a declaration giving particulars of his registration as an exporter with the Gem and Jewellery Export Promotion Council and affirming that such registration has not been cancelled or withdrawn or otherwise made inoperative. A Cooperative Society of Goldsmiths and Artisans will, likewise, furnish a declaration about its registration as a Cooperative Society.

(4) Regional Training Institutes connected with the gem and jewellery industry shall furnish a certificate indicating recognition by the concerned authority to the satisfaction of the customs authority.

(5) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa.

(6) Such goods are shipped on through consignments to India on or before 31st March, of the current licensing year, without any grace period whatsoever :

(7) This licence shall also be subject to condition No. 1 in Schedule V to the Imports (Control) Order, 1955.

(8) Nothing in this licence shall affect the application to any goods, of any other prohibition or regulation, affecting the import thereof, in force, at the time when such goods are imported.

(9) The licence does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from an obligation or compliance with any requirement to which the Actual Users (Industrial) or the importer may be subject to under other laws or regulations. The importers should comply with the provisions of all other laws applicable to them.

Note : For the purposes of this Order, reference to "the licensing year", and "the following licensing year", wherever appears in this Order shall have the same meaning as mentioned in Import and Export Policy (Volume I) for 1985-88.

[F. No. IPC/3/18/85]

आदेश संख्या 14/85

खुला सामान्य लाइसेंस सं. : 14/85

का.आ. 315(अ) : —आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका को छोड़कर विश्व के किसी भी देश से निम्नलिखित शर्तों के अधीन—

(क) सरकारी विभाग, जो औद्योगिक विभागीय संस्थानों से भिन्न हो

(ख) सरकारी औद्योगिक संस्थान (विभागों द्वारा परिचालित)

(ग) रेलवे

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य विद्युतीय बोर्ड/परियोजना संस्थान और

(ङ) रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों को पूंजीगत माल, कच्चे माल, संघटकों, उपभोज्य और फालतू पुर्जों का आयात करने की सामान्य अनुमति प्रदान करता है : —

(1) सरकारी विभागों/सरकारी औद्योगिक संस्थानों (विभागों द्वारा परिचालित किन्तु इसमें रक्षा संस्थान शामिल नहीं हैं) और रेलवे के मामले में पूंजीगत माल, संघटकों, उपभोज्यों और फालतू पुर्जों को खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन आयात करने की अनुमति होगी, बशर्ते कि—

(1) आयात-निर्यात नीति, 1985-88 (खण्ड-1) के परिशिष्ट-2, 3, 8 और 10 के अधीन आने वाली मदों के आयात के लिए महानिदेशक, तकनीकी विकास, नई दिल्ली से देशी निकास प्राप्त कर ली गई हो ।

(2) जहां 5 लाख रु. या इससे अधिक के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य की इलैक्ट्रानिक मदें जिसमें प्रतिकृति उपकरण भी शामिल हों और मूल्य को ध्यान में रखे बिना समुद्रीय इलैक्ट्रानिक उपकरण और पुर्जों या 1 लाख से अधिक के संचार उपकरणों का आयात शामिल हो, वहां इलैक्ट्रॉनिक विभाग, नई दिल्ली से निकासी प्राप्त कर ली गई हो ।

(3) आयातित पूंजीगत माल की मदें वे हैं जो आयात-निर्यात नीति, 1985-88 (खण्ड-1) के परिशिष्ट-1 भाग-ख, के अन्तर्गत आती हैं और आयात-निर्यात नीति, 1985-88 (खण्ड-1) के परिशिष्ट-1, भाग-क-2 और 3 भाग-क में शामिल किए गए से भिन्न जिग्स, जुड़वार, डाइज और पैन्टर्स मोल्डस डाई-कास्टिंग के लिए (मोल्डस सहित), मोल्डस और प्रेस औजार और उनके पुर्जे ।

(4) प्रशासनिक मंत्रालय/वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), द्वारा रिहा की गई विदेशी मुद्रा के मद्दे आयात किया जाता है, और

(5) निकासी के समय सीमा-शुल्क प्राधिकारी को उपर्युक्त (1), (2) और (4) के आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते है

(2) राज्य विद्युतीय बोर्ड/परियोजना/सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों और महानिदेशक दूरदर्शन तथा आकाशवाणी, नई दिल्ली और डाक तथा तार विभाग के मामले में फालतू पुर्जों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन अनुमेय होगा, बशर्ते कि :—

(1) इस उद्देश्य के लिए आयात, सरकार द्वारा रिहा की गई विदेशी मुद्रा के मद्दे किया गया हो;

(2) प्रतिबंधित फालतू पुर्जे अर्थात् जो 1985-88 की आयात-निर्यात नीति (खण्ड-1) के परिशिष्ट 2 भाग-ख, 3 भाग-क, 8 या 10 में आते है, उनके लिए देशी निकासी महानिदेशक, तकनीकी विकास, नई दिल्ली से प्राप्त कर ली गई हो;

(3) जहां 5 लाख रु. के लागत-बीमा-भाडा मूल्य या इससे अधिक मूल्य की इलैक्ट्रानिक मदों मूल्य को ध्यान में लिए बिना समुद्री इलैक्ट्रानिक्स उपकरण और उनके पुर्जे या 1 लाख रुपए से अधिक के संचार उपकरण का आयात शामिल हो, वहां निकासी इलैक्ट्रानिकी विभाग, नई दिल्ली से प्राप्त कर ली गई हो; और

(4) निकासी के समय सीमाशुल्क प्राधिकारियों को उपर्युक्त (1), (2) और (3) के आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हों ।

(3) रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों के लिए निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे :—

(1) कच्चे माल, संघटकों, उपभोज्यों और फालतू पुर्जों के आयात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन दी जाएगी देखिए आयात-निर्यात नीति, 1985-88 (खण्ड-1) के परिशिष्ट-6 की मद सं. 1, 2 और 4 किन्तु यह उनमें निर्धारित शर्तों के अधीन है ।

(2) अनुसंधान एवं विकास एकक कच्चा माल और अन्य माल आयात करने के लिए पात्र होंगे, देखिए आयात-निर्यात नीति 1985-88 (खण्ड-1) के परिशिष्ट-6 की मद सं. 5, किन्तु यह उनमें निर्धारित शर्तों के अधीन है ।

(3) पूंजीगत माल का आयात तभी अनुमेय होगा यदि वह आयात-निर्यात नीति, 1985-88 (खण्ड-1) के परिशिष्ट-1, भाग-ख में दर्शाई गई हों और जिंस और जखार के आयात के अनुमति उस नीति के परिशिष्ट-6 की मद सं. 6 के अनुसार दी जाएगी ।

(4) कम्प्यूटर के फालतू पुर्जों का आयात 1985-88 की आयात-निर्यात नीति, (खण्ड-1) के परिशिष्ट-6 की मद सं. 8 के अनुसार अनुमेय होगी ।

(5) वे मदें जिनका आयात 1985-88 की आयात-निर्यात नीति के (खण्ड-1) के परिशिष्ट-6 के अनुसार खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन "वास्तविक उपभोक्ताओं" और/सर, सभी व्यक्तियों द्वारा वहां किया जा सकता है जहां ऐसे माल का आयात करने वाले औद्योगिक एककों द्वारा कच्चे माल, संघटकों या उपभोज्य सामग्री के रूप में अपेक्षित हों ।

(6) लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान इस प्रकार के आयातों के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा संबद्ध एकक को आबंटित विदेशी मुद्रा से अधिक का कुल आयात नहीं होगा और सीमा-शुल्क में निकासी के समय आयातक एकक इस संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा कि लाइसेंसिंग वर्ष में संबंधित आयातक एकक का रक्षा मंत्रालय इस उद्देश्य के लिए कुल दी गई विदेशी मुद्रा की धनराशि से निकासी के अधीन है/जिसकी निकासी पहले ही कर ली गई है, उसका मूल्य उससे ज्यादा नहीं है ।

(4) इस प्रकार आयातित माल दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में विनिर्मित या उत्पादित नहीं हुआ है ।

(5) ऐसा माल भारत को परेषण के माध्यम से लाइसेंसिंग वर्ष के 31 मार्च को या इससे पहले जहाज पर लाद दिया जाता है या कच्चे माल, संघटकों और उपभोज्य सामग्री के मामले में लाइसेंसिंग वर्ष के फरवरी मास की अन्तिम तारीख को या इससे पहले खोले गए अपरिवर्तनीय साखपत्र के लिए दिए गए पक्के आदेशों के मद्दे अगले लाइसेंसिंग वर्ष के 30 जून को या इससे पहले माल का लदान कर दिया जाता है या पंजीगत माल, फालतू पुर्जों के मामले में, माल की की गई पक्की संविदाओं और विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने वाले व्यापारी (बैंक) के साथ किए गए पंजीकरण के मद्दे अगले लाइसेंसिंग वर्ष के 31 मार्च को या इससे पहले या बिना किसी अवधि वृद्धि के चाहे और जो कुछ भी हो, लाइसेंसिंग वर्ष के फरवरी मास की अन्तिम तारीख को या इससे पहले जहाज पर लाद दिए जाते हैं ।

(6) किसी माल के लिए उसे आयात को प्रभावी करने वाला कोई अन्य निषेध या विनिमय होगा तो ऐसे

माल के आयात के समय उसका इस लाइसेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(7) यह लाइसेंस किसी भी समय वास्तविक उपभोक्ता (औद्योगिक) जब अन्य कानून या विनियमों की शर्तों के अधीन आता हो, उसके दायित्व से या किसी आवश्यकता का अनुपालन करने से कोई उन्मुक्ति, छूट या ढील प्रदान नहीं करता है । आयातक को इसके लिए लागू अन्य कानूनों का अनुपालन करना चाहिए ।

टिप्पणी—इस आदेश के प्रयोजनार्थ "लाइसेंसिंग वर्ष" और "अगला लाइसेंसिंग वर्ष" का जहां भी संदर्भ आता है उसका वही अर्थ है जो 1985-88 की आयात एवं निर्यात नीति (खण्ड-1) में उल्लिखित है ।

[मि० सं. आई पी सी/3/18/85]

ORDER No. 14/85—88

Open General Licence No. 14/85

S.O. 315(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947) the Central Government gives general permission to (a) Government Departments, as distinct from industrial departmental undertakings, (b) Government Industrial Undertaking (Departmentally-run), (1) Railways, (d) State Electricity Boards/Undertakings/Projects, in the public sector, and (e) Public Sector Industrial Undertakings under the Ministry of Defence, to import Capital Goods, raw materials components, consumables and spares, from any country except the Union of South Africa/South-West Africa, subject to the following conditions :—

(1) In the case of Government Departments/Government Industrial Undertakings (Departmentally-run excluding, however, Defence Undertakings), and Railways, import of Capital Goods, raw materials, components, consumables and spares will be allowed under OGL provided that :—

(i) For import of items covered by Appendices 2, 3, 8 and 10 of the Import and Export Policy, 1985-88 (Volume I), indigenous clearance has been obtained from DGTD, New Delhi.

(ii) Where import of any electronic items including facsimile equipment for a c.i.f. value of Rs. 5 lakhs or more and marine electronic equipment and parts, irrespective of value or communication equipments for a value exceeding rupees one lakh is involved, clearance has been obtained from the Department of Electronics, New Delhi.

(iii) Items of Capital Goods imported are those covered by Appendix 1 Part-B of Import and Export Policy, 1985-88 (Volume I) and jigs, fixtures, dies and patterns, moulds (including moulds for die casting) and press tool, other than those in Appendices-1 Part A, 2 and 3 Part A of Import and Export Policy, 1985—88 (Volume I) and parts thereof.

(iv) Import is made against foreign exchange released by the Administrative Ministry/Ministry of Finance (Deptt. of Economic Affairs), and

(v) Necessary evidence of (i), (ii) and (iv) above is produced to the customs authority at the time of clearance.

(2) In the case of State Electricity Boards/Projects/Undertakings, in the public sector, and the Director Generals "Doordarshan" and All India Radio, New Delhi and Posts & Telegraphs Department, import of spares only will be allowed under OGL, provided :—

(i) Import is made against foreign exchange released by the Government for the purpose;

(ii) In respect of restricted spares i.e. these covered by Appendices 2 Part-B, 3 Part-A, 8 or 10 of the Import and Export Policy, 1985-88 (Vol. I), indigenous clearance has been obtained from DGTD, New Delhi.

(iii) Where import of any electronic items for a c.i.f. value of Rs. 5 lakhs or more, marine electronics equipment and parts irrespective of value or communication equipment for a value exceeding rupees one lakh is involved, clearance has been obtained from the Department of Electronics, New Delhi; and

(iv) Necessary evidence of (i), (ii) and (iii) above is produced to the customs authority at the time of clearance.

(3) In the case of public sector Industrial Undertaking under the Ministry of Defence, the following provisions shall apply :—

(i) Import of raw-material components, consumables and spares will be allowed under OGL vide item Nos. 1, 2 and 4 of Apperdix 6 of the Import and Export Policy, 1985-88 (Vol. I), subject to the conditions laid down therein;

(ii) R&D units will be eligible to import raw-materials and other items vide item No. 5 in App. 6 of the Import and Export Policy, 1985—88 (Vol. I), subject to the conditions laid down therein;

(iii) Import of Capital Goods will be allowed only if they appear in Appendix 1 Part-B of Import and Export Policy, 1985—88 (Vol. I) and import of jigs and fixtures etc. will be allowed vide item No. 6 in App. 6 of the said Policy.

(iv) Import of computer spares will be allowed vide item No. 9 in App. 6 of Import and Export Policy, 1985—88 (Vol. I).

(v) Import of items which can be imported by 'Actual Users' and/or "All persons" under OGL, vide App. 6 of Import and Export Policy, 1985—88 (Vol. I), where such goods are required as raw materials, components or consumables by the importing industrial units.

(vi) The total value of imports shall not exceed the foreign exchange allocated to the industrial unit concerned by the Ministry of Defence for the purpose of such imports during the licensing year and at the time of clearance through customs, the importer unit shall submit a declaration to the effect that the value of goods under clearance/already cleared does not exceed the total amount of foreign exchange released for the purpose by the Ministry of Defence to the importing unit concerned for the licensing year.

(4) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South-West Africa.

(5) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March of the licensing year or in the case of raw-materials, components and consumables, the goods are shipped on or before 30th June of the following licensing year against firm orders for which irrevocable letters of credit are opened and established on or before the last date of February of the licensing year, or, in the case of Capital Goods, spares, these are shipped on or before 31st March of the following licensing year, against firm contracts entered into and registered with a foreign exchange dealer (Bank) or before the last date of February of the licensing year, without any grace period, whatsoever.

(6) Nothing in this Licence shall affect the application to any goods, of any other prohibition or regulation affecting the import thereof, in force, at the time when such goods are imported.

(7) The licence does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from an obligation or compliance with any requirement to which the Actual Users (Industrial)

may be subject under other laws or regulations. The importers should comply with the provision of all other laws applicable to them.

NOTE :—For the purposes of this Order, reference to "the licensing year", and "the following licensing year", wherever appears in this Order shall have the same meaning as mentioned in Import and Export Policy (Volume I) for 1985—88.

[F. No. IPC|3|18|85]

आदेश सं० 15/85/88

खुला सामान्य लाइसेंस सं. 15/85

का. आ. 336(अ):—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 (1947 का 18) की धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा इस आदेश से संग्लन अनुसूची में विनिष्टिकृत विवरण के माल का दक्षिण अफ्रीका संघ दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका को छोड़कर किसी भी देश से भारत में आयात करने की सामान्य अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन देती है :—

(1) क्रम सं. 1 में शामिल "अध्यापन सहाय" के मामले को छोड़कर इस आदेश सं संग्लन अनुसूची में शामिल अन्य सभी मद किसी भी व्यक्ति द्वारा स्टाक करने और बिक्री करने के उद्देश्य के लिए आयात की जा सकती है।

(2) "अध्यापन सहाय" के मामले में आयात की अनुमति केवल मान्यताप्राप्त शैक्षिक वैज्ञानिक, तकनीकी और अनुसंधान संस्थानों इन संस्थानों के पुस्तकालयों केन्द्रीय या राज्य सरकार के विभागों अनुसंधान और विकास कार्यों में लगी हुई औद्योगिक यूनिटों पंजीकृत चिकित्सकों अस्पतालों परामर्शदाताओं; मान्यता प्राप्त वाणिज्य मंडलों उत्पादकता परिषदों प्रबंध संघों और व्यावसायिक निकायों को उनके निजी उपयोग के लिए दी जाएगी।

(3) दालों के मामले में सभी पात्र निर्यातकों को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) के पास स्वयं को पंजीकृत कराना होगा। आयात तभी किए जायेंगें जबकि ऐसे पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में संबंधित संविदा पर नेफेड द्वारा मुहर लगा दी गई हो उद्देश्य के लिए अनुबंध की दो प्रतियां नेफेड को दी जानी चाहिए। वे उसकी एक प्रति के प्रत्येक पृष्ठ पर विधित् मुहर लगा कर आयातक को लौटा देंगे जो माल की निकासी के समय सीमा शुल्क कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी।

(4) शैक्षिक वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकों के आयात के मामले में निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:—

(क) शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली से पहले ही लिखित रूप में निकासी की अनुमति लिए बिना एक लाइसेंस अवधि के दौरान एक ही शीर्षक की 1,000 प्रतियों से अधिक के आयात की अनुमति एक ही आयातक (उसकी शाखाओं) को नहीं दी जाएगी लेकिन यह प्रतिबंध अंग्रेजी भाषा पुस्तक सोसाइटी शीर्षकों और संयुक्त भारत-रूस पाठ्य पुस्तक कार्यक्रम के अन्तर्गत की पुस्तकों के लिए लागू नहीं होगा।

(ख) विदेशी संस्करण की उन पुस्तकों के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी जिनके प्राधिकृत भारतीय पुन : मुद्रण के संस्करण उपलब्ध है।

(ग) शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली की पूर्व लिखित विशेष अनुमति के बिना भारतीय प्रकाशनों के विदेशी पन : मुद्रणों के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) भारतीय समुद्र तट के केवल ऐसे नौ परिवहन संबंधी चार्टों के आयात की अनुमति दी जाएगी जिनकी संख्या हाइड्रोग्राफर भारत सरकार देहरादून द्वारा विशेष रूप से निकासी कर दी गई हो।

(ङ) अश्लील सामग्री वाली या यौन चित्रों करने वाली या हिंसा भड़काने वाली पुस्तकों; पत्रिकाओं और पहले ही रिकार्ड किए गए कैसेट के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(च) विदेश में प्रकाशित पुस्तकों के अप्राधिकृत पुनः प्रकाशनों के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी सीमा शुल्क के माध्यम से निकासी के समय आयातक यह दर्शाते हुए एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा कि आयातित पुस्तकों में वे पुस्तकें शामिल नहीं हैं, जो आयात-निर्यात नीति 1985–88 में अनुमेय नहीं हैं।

(छ) रिकार्ड पहले से ही रिकार्ड किए हुए कैसेट जो पूर्ण रूप से शैक्षिक प्रकृति की पुस्तक के अभिन्न भाग हों सभरकों ने प्रमाणित कर दिया हो कि रिकार्ड पहले से रिकार्ड किए हुए कैसेट पुस्तक के अभिन्न अंग हैं और संबंधित बीजक रिकार्ड पहले से रिकार्ड किए गए कैसेट का ब्यौरा दर्शाता हो।

(5) औषध मदों के मामले में जहां कहीं आवश्यक हो, औषध एवं श्रृंगार प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अधीन वैध लाइसेंस रखने को आवश्यकता पूर्ण कर देनी चाहिए

(6) खजूरों, होम्योपथिक औषधियों, कैंसर निरोधक भेषजों, जीवन रक्षक भेषजों और अपरिष्कृत भेषजों के मामले में, परम्परागत छोटे पैकिंग में भी आयात अनुमेय होगा ।

(7) इस प्रकार आयात किया गया माल दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका संघ में उत्पादित या विनिर्मित न हो ।

(8) ऊर्जा बचत/संरक्षण उपस्करों जिसमें ऊर्जा के नवीकरणों और परिवर्तन पर काम करने/प्रयोग करने के सिस्टम और डिवाइसिंग भी शामिल हैं यहां आयातक को नान-कन्वेंशन एनर्जी स्रोत विभाग, ब्लाक नं. 14, लोधी रोड, सी. जी. ओ. कम्प्लेक्स, नई दिल्ली-3 को सीमा शुल्क पर माल की निकासी के 15 दिनों के भीतर आयातित उपस्कर से संबंधित निम्नलिखित सूचना भेजेगा :—

(1) आयातित उपस्कर का विवरण
(2) उसका लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य
(3) आयातित उपस्कर पर चुकाई गई सीमा शुल्क तथा की धनराशि
(4) वह देश जिससे आयात किया गया ।

(9) ऐसा माल भारत को परेषण के माध्यम से किसी भी रियायती अवधि के बिना लाइसेंसिंग वर्ष की 31 मार्च को या इससे पहले पोत पर लादा गया हो ।

(10) यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची-5 में शर्त सं. 2 के भी अधीन होगा ।

(11) यदि किसी माल के आयात के समय लागू उसके आयात को प्रभावी करने वाला कोई निषेध या विनियम होंगे तो उस पर इस लाइसेंस का कोई प्रभाव नहीं होगा ।

(12) यह लाइसेंस ऐसे किसी भी आभार या ऐसी किसी भी शर्त का अनुपालन करने से किसी भी समय उन्मुक्ति, रियायत या ढील प्रदान नहीं करता है जिस आभार या शर्त के लिए वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) या आयातक अन्य कानूनों या विनियमों के अधीन हो । आयातकों को उनसे लागू अन्य सभी कानूनों की शर्तों का पालन करना चाहिए ।

टिप्पणी—इस आदेश के प्रयोजनार्थ "लाइसेंसिंग वर्ष" और "अगला लाइसेंसिंग वर्ष" जहां भी संदर्भ में आता है उसका वही अर्थ है जो 1985-88 की आयात एवं निर्यात नीति (खण्ड-1) में उल्लिखित है ।

[फाइल सं. आईपीसी/3/18/85]

खुला सामान्य लाइसेंस सं० 15/85 के लिए अनुसूची

दिनांक 12 अप्रैल, 1985

1. निम्नलिखित अध्यापन सहायक

(1) शैक्षिक प्रकृति की रीडर एवं प्रिंटर के सहित या बिना माइक्रो-फिल्म और माइक्रो-फिज्ज; और

(2) ओडियो कैसेट के साथ या बिना शैक्षिक प्रकृति के फिल्म स्ट्रिप्स/सलाइड्स; शैक्षिक प्रकृति के आडियो कैसेट/वीडियो टेप्स और शैक्षिक प्रकृति की वीडियो डिस्कें ।

2. ब्रेल टाइपराइटर सहित अंध व्यक्तियों के लिए अपेक्षित औजार और उपकरण ।

3. आयात-निर्यात नीति, 1985-88 खंड (1) के परिशिष्ट 6 की सूची 7 में आने वाले शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकें और पत्रिकाएं, समाचार पत्रिकाएं और समाचार पत्र ।

4. आयात और निर्यात नीति 1985–88 (खण्ड–1) के परिशिष्ट 6 की सूची 2 में आने वाले जीवनदायक उपस्कर और उनके फालतू पुर्जे ।

5. परिवार कल्याण उपस्कर/यंत्र उपकरण अर्थात निम्नलिखित :—

(1) (क) लेबरेलकोव
(ख) कल्ड स्कोप
(ग) हाइस्ट्रो–स्कोप
(घ) वैक्यूम संकशन एपरेटयस
(ङ) उनके उप–साधित्र और फालतू पुर्जे भी, और

(2) रबड़ कंट्राबेपटिव यंत्र (केवल डाय फागाम्स),

(3) इन्टरो-टेरिन कंट्रासेपटिव यंत्र (लिप्पोल लूप और सीयूटी 200 से भिन्न) रंगीन कंडाम्स, द्राषाफराम, जैली और फोम टिकिया, भारत के औषध नियंत्रक, नई दिल्ली द्वारा यथा अनुमोदित

(4) फलेषिक रिंगम (सिलस्टिक बैन्डम) ।

6. आयात-निर्यात नीति 1985–88 (खण्ड–1) के परिशिष्ट 6 की सूची 3 में आने वाले परिष्कृत भेषज प्रीपरेषण, जीवनदायक और कैंसर-रोगी भेषज ।

7. परिष्कृत रूप में होम्योपेथिक औषधियां या मूल रूप में और/या किसी भी पोटेनसी के होम्यौपेथिक भेषज (सिंगल) "दुग्ध चीनी" सहित थोक में और बायोकेमिक औषधियां ।

8. आयात-निर्यात नीति 1985–88 (खण्ड–1) के परिशिष्ट 6 की सूची–4 के अनुसार आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियां बनाने के लिए अपेक्षित अपरिष्कृत भेषज (जेड, मोतियों और मोंगों) के

आयात की अनुमति केवल चूर्ण रूप में और केवल गैर आभूषण किस्म के लिए दी जाएगी ।

9. घाल

10. निम्नलिखित मसाले :—

(1) दाल-चीनी/तेजपात्र

(2) लौंग

11. खजूर (गीले या सूखे) भारतीय पोत आधानों द्वारा आयातित

12. सेंधा नमक

13. (1) निम्नलिखित एक्स-रे फिल्में (चिकित्सा)

(1) साइन एन्जियोग्राफिक फिल्में

(2) कार्पिंग फिल्में (एक्स-रे रेडियो ग्राफ कार्पिंग के लिए)

(3) दन्तय एक्स-रे फिल्में

(4) बिना स्क्रीन के उपयोग की जाने वाली फिल्में

(5) लोन्डोजू मेमो-ग्राफिक फिल्में

(6) माल मिनेएनर फिल्म

(7) डुप्लीकेटिंग फिल्मों के लिए 35 मि. मी. मेगेटिव और रिवेर्सल किस्म की फिल्में

(8) मरसोनल अनुश्रवण फिल्में

(9) चेन्जर्स के उपयोग के लिए विशेष किस्म की एक्स-रे फिल्मे

(10) फैट स्केनर्स के लिए एक्स-रे फिल्म

(2) एरी-ग्राफिक फिल्में

(3) पोटो-टाइप सेटिंग आर सी/स्टेबिला-इजेशन पेपर

(4) मुद्रण उद्योग के लिए थर्मा-ग्राफिक पोलिमिड रेजिंग और एम्बोसिंग पाउडर

(5) माइक्रा-फाइल फिल्में

(6) इन्फा-रेड और अल्ट्रा-वायलेट फिल्में

(7) गुर्दे शल्य चिकित्सा फिल्में

14. हाथ-घड़ी/दीवार घड़ी और टाइम पीस के लिए स्नेह तेल

15. फिटिंग हुक्स

16. (1) शैक्षणिक और उपदेश संबंधी छोटी फिल्में (वीडियो फिल्मों सहित), यदि वे सेन्ट्रल फिल्म बोर्ड द्वारा प्रथमत: कथात्मक शैक्षिक, और अकथात्मक सत्यापित की गई हों।

16. (2) लम्बाई में 800 मीटर या इससे कम 16 एम एम गेज में "कथात्मक शैक्षिक और अनुदेशात्मक वे फिल्में जो केन्द्रीय फिल्म बोर्ड द्वारा प्रधानत: शैक्षिक" फिल्मों के रूप में सत्यापित की गई हों ।

17. फोटो-ग्राफिक फिल्में (रंगीन)

18. फोटो-ग्राफिक कलर पेपर

19. 120 साइज रोल्स से भिन्न फोटोग्राफिक फिल्में (सादा)

20. भाषा सीखने के लिए रिकार्ड

21. रुद्राक्ष मनके

22. निम्नलिखित सिनेमाटोग्राफिक फिल्में, अन-मिदर्शित

(1) 8 एम. एम. (रंगीन) और

(2) 8 एम. एम. (सादी नेगेटिव)

23. 1985–88 की आयात-निर्यात नीति (खण्ड–1) के परिशिष्ट-6 में सूची सं. 6 के अनुसार दन्तय सामग्री।

24. आयात-निर्यात नीति, 1985–88 (खण्ड-1) के परिशिष्ट-6 की सूची 9 के अनुसार आफथालमिक मदें ।

25. ओजोनि जनरेटिंग अपरेटस

26. स्मोक मीटर्स-ह्वाट्रिज और बोस्च टाईप-आटोमुबाइल इगजास्ट के लिए

27 इगजास्ट से आने वाले सी ओ, एच सी, एन ओ एक्स, सो ओ 2 (इन पोलूटेन्टस के एक या अधिक) के मापन के लिए-आटोमबाइल इगजास्ट के लिए इगवोस्ट गैस सिलिंडर

28. निम्नलिखित ऊर्जा के नवीकरणीय और परिवर्तक पोतों पर काम करने/प्रयुक्त करने के सिस्टम और डिबाइसिस सहित ऊर्जा बचत/संरक्षण उपस्कर:—

(1) वाय चालक जेनरेटर

(2) सौर उर्जा उपस्कर

(3) आटोमेटिक इलेक्ट्रोनिक ट्रैकिंग टाइप के लिए पैराब्लिक फोकिस्टिंग सिस्टम जिसमें फोटो इलैक्ट्रानिक सैन्सर भी शामिल हैं ।

(4) पोर्टेबल एक्लास्ट गैस और कम्बस्टन एनालाइजर

(5) स्टीम ट्रेप लीक डिटेक्टर

(6) अल्ट्रानिक लीक डिटेक्टर

(7) सोलर हीट कन्ट्रोल फिल्म

29. आयात-निर्यात नीति 1985–88 (खण्ड–I) के परिशिष्ट 2,3 भाग क, 8 और 10 में दर्शाए गए से भिन्न निम्नलिखित के फालतू पुर्जे :—

(1) मुद्रण मशीनरी

(2) मशीनी औजार धातु, लकड़ी, कांच और प्लास्टिक को काटने, रूप देने, जिसने और पालिश करने के लिए, किसी भी मानक या अनुषंगी उपस्कर सहित, और

(3) निम्नलिखित सहित सिनेमाटोग्राफिक उपस्कर:—

(1) पिक्चर और साउन्ड प्रिंटिंग लेम्पस

(2) प्रोजेक्शन लेम्पस-जनोन या अंगस्टन ।

(3) सिनेमास्कोप लेंसों सहित लैंस/जूम लैंस

(4) प्रोजेक्शन वाल्यूम डेंडीकेटर्स ।

(4) ट्रालर्स

30. 10 एच पी तक आउट बोर्ड मीटर्स

ORDER NO. 15/85-88

OPEN GENERAL LICENCE NO. 15/85

S.O. 316(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947) the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country except the Union of South Africa/South West Africa, goods of the description specified in the Schedule annexed to this Order, subject to the following conditions :—

(1) Except in the case of "Teaching Aids" covered by Serial No. 1, all other items covered by the Schedule annexed to this Order, may be imported by any person, for stock and sale purpose ;

(2) In the case of "Teaching Aids", import will be allowed only by recognised educational, scientific technical and research institutions, libraries of such institutions, Central or State Government Departments, industrial units engaged in researh and Development work, registered medical institutions, hospitals, consultants, recognised chambers of Commerce, productivity councils, management Associations and professional bodies, for their own use;

(3) In the case of pulses, all eligible importers shall be required to register their contracts with the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India (NAFED). Import shall be made only after the connected contracts have been stamped by NAFED as an evidence of such registration. For this purpose, two copies of the contract should be lodged with the NAFED; they will return one copy to the importer, duly stamped on each page, for production to the customs at the time of clearance of goods.

(4) In the case of import of educational, scientific and technical books, the following conditions shall apply :—

(a) Import will not be permitted by any one importer (including his branches) of more than 1000 copies of a single title during the licensing period without the prior written clearance of the Ministry of Education, New Delhi. This registration will not, however, apply to the English language books, Society titles and books under the Joint Indo-Soviet Text Book Programme ;

(b) Import of foreign edition of books for which editions of authorised Indian reprints are available will not be allowed ;

(c) Import of foreign reprints of Indian publication will not be allowed without a specific prior written permissions of the Ministry of Education, New Delhi.

(d) Import of only such navigational charts of Indian coastlines will be allowed as are specifically cleared by the Chief Hydrographer to the Government of India, Dehradun ;

(e) Books, magazines and journals and pre-recorded cassettes containing pronographic materials or depicting sex, violence etc. will not be allowed to be imported.

(f) Import of unauthorised reprints of books published abroad will not be allowed. At the time of clearance through Customs, the importer shall furnish declaration to the effect that the books imported do not include those which are not allowed under Import-Export Policy, 1985—88.

(g) In case of records/pre-recorded cassettes forming an integral part of the book and of purely educational nature, the supplier has certified that records/pre-recorded cassettes form an integral part of the book and the connected invoice indicates the details of records/pre-recorded cassettes.

(5) In the case of drug items, requirements regarding possession of a valid licence under the Drugs and Cosmetics Act, 1940, wherever necessary, should be complied with ;

(6) In the case of dates, homeopathic medicines, anticancer drugs, life saving drugs and crude drugs, import will also be allowed in traditional small packing ;

(7) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa.

(8) In the case of energy saving/conservation equipment including systems and devices working on/used for Renewable and Alternate Sources of Energy, the importer shall furnish the Department of Non-Conventional Energy Sources, Block No 14, Lodi Road C.G.O. Complex, New Delhi-110003 the following information pertaining to the equipment imported within 15 days of the clearance of goods from the customs :

(i) Description of the equipment imported ;

(ii) Its cif value ;

(iii) Amount of customs duty paid on the imported equipment ;

(iv) Country from which imported.

(9) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March of the licensing year, without any grace period, whatsoever ;

(10) This Licence shall also be subject to condition No. 1 in Schedule V of the Imports (Control) Order, 1955 ;

(11) Nothing in this licence shall affect the application to any goods, of any prohibition or regulation affecting the import thereof, in force, at the time when such goods are imported.

(12) The licence does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from an obligation or compliance with any requirement to which the Actual Users (Industrial) or the importer may be subject to under other laws or regulations. The importers should comply with the provisions of all other laws applicable to them.

Note.—For the purposes of this Order, references to "the licensing year", and "the following licensing year" wherever appears in this Order shall have the same meaning as mentioned in import and Export Policy (Volume I) for 1985-88.

[File No. IPC/3/18/85]

SCHEDULE TO OPEN GENERAL LICENCE NO. 15/85
New Delhi, the 12th April, 1985

1. Teaching Aids, the following :

(i) Microfilms and Microfiches of educational nature with or without readers-cum-printers ; and

(ii) Film strips/slides of educational nature with/or without audiocassettes, audio cassettes/Video tapes of educational nature and video discs of educational nature.

2. Instruments and equipments required by blind, including Braille typewriters.

3. Educational, scientific and technical books and journals newsmagazines and newspapers appearing in list 7 of Appendics 6 of Import and Export Policy, 1985—88 (Vol. I)

4. Life-saving Equipment appearing in list No. 2 of Appendix-6 of Import and Export Policy, 1985-88 (vol. I) and their spares.

5. Family welfare equipment/instruments, appliances, namely, the following :—

(i) (a) Leproscope ;

(b) Culdscope ;

(c) Hysteroscope ;

(d) Vacuum Suction apparatus ;

(e) as well as their accessories and spares; and

(ii) Rubber contraceptives (diaphragms only)

(iii) Intrauterine contraceptive devices (other than the Lippes Loop and Cu-T 200) coloured condoms, diaphragms, jelly and foam tablets, as approved by Drugs Controller of India, New Delhi.

(iv) Folopic rings (silastic bands),

6. Finished drug preparations, life saving and anti-cancer drugs appearing in List No. 3 in Appendix 6 of the Import and Export Policy for 1985-88 (Vol. I).

7. Homeopathic medicines in finished form or Homeopathic drugs (single) in basic form and/or of any potency, including Sugar or Milk in bulk and biochemic medicines.

8. Crude drugs required for making Ayurvedic and Unani medicines, as appearing in List No. 4 in Appedix 6 of Import and Export Policy for 1985—88 (Vol. I) (Import of Jade, pearls, and corals will be allowed only in powder form and of non-jewellery quality only).

Pulses

10. Spices, the following :

(i) Cinnamon/Cassia,

(ii) Cloves.

11. Dates (Wet or dry) (imported by Indian Sailing Vessels)

12. Rock Salt.

13. (i) X-ray films (medical), the following

(1) Gine angiographic films.

(2) Copying films (for copying X-ray radiograph),

(3) Dental X-ray film.

(4) Films for use without screens.

(5) Lo-dose mammographic films.

(6) Mass miniature film.

(7) 35 mm negative and reversal types for duplicating films.

(8) Personal monitoring films.

(9) Special types of X-ray films used for changers.

(10) X-ray films for cat scanners.

(ii) Aerographic films.

(iii) Photo type setting RC/Stabilisation paper.

(iv) Thermo graphic polymid raising and embossing powder for printing industry.

(v) Microfile films.

(vi) Infra-red and ultra-violet films.

(vii) Kidney surgery films.

14. Lubricating oils for watches, clocks, time-pieces and house service meters.

15. Fishing hooks.

16. (i) Non-fictional educational and instructional films (including video films), certified by the Central Board of Films Certification to be "predominantly educational and non-fictional".

(ii) Fictional educational and instructional films in 16 mm gauge of 800 meters or less in length, certified by the Central Board of Film Certification to be "predominantly educational".

17. Photographic films (colour).

18. Photographic colour papers.

19. Photographic films (black and white) other than 120 and 620 size rolls.

20. Records for learning languages.

21. Rudraksh beads.

22. Cinematographic films, not exposed, the following :—

(i) 8 mm (colour) and

(ii) 8 mm (black and white negative)

23. Dental items as per list No. 6 in Appendix 6 of Import and Export Policy for 1985—88 (Vol. I).

24. Items of ophathalmic use as per list 9 in Appendix 6 of Import and Export Policy, 1985—88 (Vol. I).

25. Ozone generating apparatus

26. Smoke meters—Hartridge and Bosch Types—for automobile exhaust.

27. Exhaust Gas Analysers for measurement of Co, HC, NOX, Co2 (one or more of these pollutants) coming from vehicular exhaust—for automobile exhaust.

28. Energy saving/conservation equipment including systems and devices working on/used for Renewable and Alternative Sources of Energy, the following :—

(i) Wind driven generators.

(ii) Solar Energy equipment.

(iii) Parabolic focussing systems of the automatic electronic tracking type, including photoelectric sensors.

(iv) Portable exhaust gas and combustion analysers.

(v) Steam trap leak detector.

(vi) Ultrasonic leak detector.

(vii) Solar heat control films.

29. Spares, except those included in the Appendices 2, 3 Part 'A' 8 and 10 of Import and Export Policy, 1985-88 (Vol. I) of :—

(1) Printing machinery.

(2) Machine tools, for cutting, forming, abrading and polishing metals, weed, glass and plastics including any standard or ancillary equipment and

(3) Cinematographic equipment including the following :—

(i) Picture and sound printing lamps

(ii) Projection lamps—Xenon or tugsten

(iii) Lenses/zoom lenses including cinemascope lenses

(iv) Projection volume indicators.

(4) Trawlers.

30. Out board Motors upto 10 H.P.

आदेश सं० 16/85

खुला सामान्य लाइसेंस सं० 16/85

का. आ. 317(अ).—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा (क) कृषि विभाग भारत सरकार नई दिली द्वारा अनुमोदित पाल्ट्री फार्मों/अंडज शालाओं को पाल्ट्री वैक्सीन (सभी प्रकार के),(ख) 10.2 लीटर और इससे कम पानी की क्षमता वाले चिकित्सा गैस सिलिंडर, (ग) अग्निशमन के लिए 15 लीटर पानी की क्षमता वाले सी ओ$_2$ गैस सिलिण्डर (घ) ब्रोकन इलैक्ट्रिक मोटस (ङ) इलैक्ट्रोमेगनेटिक वाटर कंडीशनिंग सिस्टम (च) गिब्रेलिक एसिड (छ) ग्रेप यार्ड पेपर और एटोफोटोग्राफिक रसायन-डिवेलपर्स, जुडनारेरी इटेंसिफायर्स, रिड्यूसर्स, टनर्स और क्लिरिंग एजेंट्स का औद्योगिक एकक को दक्षिण अफ्रीका/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका संघ को छोड़कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी भी देश से आयात की सामान्य अनुमति देता है :—

1. पाल्ट्री वैक्सीन के आयात के मामले में :—

(1) सीमा-शुल्क से माल की निकासी के समय आयातक पशुपालन आयुक्त, भारत सरकार, कृषि विभाग, से (विवरण/मात्रा/मूल्य) की अनिवार्यता के संबंध में एक विशिष्टि सिफारिश पत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) संबद्ध आयातक, सीमा शुल्क से प्रेक्षण की निकासी के 15 दिनों के भीतर कृषि विभाग को आयातित मदों, उनकी मात्रा और उनके लागत-बीमा-भाड़े के ब्यौरों के संबंध में सूचना भेजेगा।

(3) आयातित माल संबद्ध पाल्ट्री फार्म/अण्डज शालाओं के पास "वास्तविक उपयोक्ता" शर्त के अधीन होगा।

2. चिकित्सा गैस सिलिंडर के मामले में आयात की स्वीकृति उन वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) को दी जाएगी जिनके पास चिकित्सा गैस (आक्सीजन) और नाइट्रेस आक्साइड के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण है और उनके पास औषध तथा श्रृंगार प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अधीन जारी किया गया वैध लाइसेंस है।

यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :—

(1) आयातित चिकित्सा गैस सिलिंडर का उपयोग केवल चिकित्सा प्रयोजनार्थ चिकित्सा गैस कंप्रेसिंग और सप्लाई के लिए ही होगा;

(2) आयात किए जाने वाले सिलिंडरों और इसमें लगे वाल्व मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक द्वारा अनुमोदित होने चाहिए और गैस सिलिंडर नियम, 1981 के अधीन उपयोग के लिए स्वीकृत हों।

(3) आयातित सिलिंडर आयात करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के लिए चिकित्सा गैस से भिन्न अन्य किसी गैस सेवा के लिए उपयोग में नहीं लाये जाने चाहिए।

(4) आयातक मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक से गैस सिलिंडर नियम, 1981 के अधीन उपेक्षित आवश्यक अनुमति प्राप्त करेगा।

3. अग्निशमन के लिए 15 लीटर पानी की क्षमता तक के सी ओ$_2$ गैस सिलिंडर के मामले में उपयुक्त पैरा 2(2) से (4) में उल्लिखित शर्तें लागू होंगी।

4. ब्रोकन इलैक्ट्रिक मोटरों के मामले में धातु कतरन व्यापार कार्पोरेशन लि., पार आयातक होगा। आयातित माल (एम एस टी सी) धातु कतरन व्यापार कार्पोरेशन द्वारा रखा जाएगा। औल पात्र वास्तविकता उपयोक्ताओं को वितरित किया जाएगा।

5. इलैक्ट्रोमेगनेटिक वाटर कंडीशनिंग सिस्टम के मामले में स्थानीय निकाय (म्यूनिसिपल कारपोरेशन आदि) सरकारी विभाग और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान पात्र आयातक होंगे।

6. (1) गिब्रेलिक एसिड और ग्रेप यार्ड पेपर के मामले में पात्र आयातक केन्द्र या राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के कृषि विकास निगम, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कृषकों की सहकारिता समितियां, कृषकों के संघ होंगे। आयातित माल केवल अंगूर के उत्पादकों के वितरण के लिए होगा और आयातक आयातित माल के वितरण का उचित लेखा रखेगा और ऐसे लेखे को संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी और सरकारी प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

7. उपर्युक्त (ङ) में उल्लिखित फोटो रसायनों के मामले में (1) शाप इस्टेबलिशमेंट के लिए लागू स्थानीय कानून के अधीन पंजीकृत वास्तविक उपयोक्ता और (2) राज्य उद्योग निदेशक

द्वारा प्रमाणित फिल्म स्टूडिओ, फिल्म संसाधन प्रयोगशालाएं परिरक्षण प्रयोगशालएं पात्र आयातक होंगे।

(8) माल की निकासी के समय आयातक संबद्ध प्राधिकारी के पास मान्यता/पंजीकरण के ब्यौरे अर्थात् मान्यता/पंजीकरण प्रमाण पत्र की संख्या एवं दिनांक के ब्यौरे देते हुए सीमा शुल्क प्राधिकारी को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा कि ऐसी मान्तया/पंजीकरण रद्द नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में जहां संबद्ध प्राधिकारी द्वारा अलग मान्यता/पंजीकरण संख्या आबंटित नहीं की गई है तो आयातक सीमा शुल्क प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

(9) आयातक इस लाइसेंस के अंतर्गत आयात किए गए माल के उपयोग और उपयोग का लेखा निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से रखेगा और लेखे को ऐसे समय के भीतर लाइसेंस प्राधिकारी को या अन्य सरकारी प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो इन प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

(10) इस प्रकार आयात किया गया माल दक्षिणी अफ्रीका/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में उत्पादित या विनिर्मित न हो।

(11) ऐसा माल किसी भी रियायती अवधि, चाहे वह जो कुछ भी हो, के बिना लाइसेंसिंग वर्ष के 31 मार्च, 1985 को या इससे पहले परेषण के माध्यम से भारत के लिए लादा गया हो।

(12) यह लाइसेंस आयात नियंत्रण आदेश, 1955 की अनुसूची-5 की शर्त सं. 1 के भी अधीन होगा।

(13) किसी माल के लिए उसके आयात को प्रभावी करने वाला कोई अन्य निषेध या विनियम होगा तो ऐसे माल के आयात के समय उसका इस लाइसेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(14) अन्य कानून या विनियमों के अंतर्गत वास्तविक उपयोक्ता को जो अनिवार्यता या अनुपालन पूर्ण करते हैं यह लाइसेंस उनसे कोई उन्मुक्ति, छूट या रियायत किसी भी समय प्रदान नहीं करता है। आयातकों को सभी अन्य कानूनों के उपबंधों का पालन करना चाहिए जो उन पर लागू हैं।

टिप्पणी—इस आदेश के प्रयोजनार्थ "लाइसेंसिंग वर्ष" और "अगला लाइसेंसिंग वर्ष" जहां भी संदर्भ में आता है उसका वही अर्थ है जो 1985—88 की आयात एवं निर्यात नीति (खंड-1) में उल्लिखित है।

[मिसिल सं. आई.पी.सी.-3/18/85]

ORDER NO. 16/85—88

OPEN GENERAL LICENCE NO. 16/85

S.O. 317(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government gives general permission for import of (a) poultry vaccines (all types) by poultry farms/hatcheries approved by the Department of Agriculture, Government of India, New Delhi, (b) Medical Gas Cylinders of 10.2 litres water capacity and below, (c) Co2 Gas Cylinders upto 15 litres water capacity for fire extinguishers, (d) Broken Electric Motors, (e) Electromagnetic water conditioning system, (f) Gibberellic Acid, (g) Grape Guard Paper and (h) Photographic chemicals-developers, fixers, intensifier reducers, toners and cleaning agents, from any country except the Union of South Africa/South West Africa, subject to the following conditions :—

(1) In the case of import of poultry vaccines :—

(i) The importer shall at the time of clearance of goods from the customs, furnish a specific recommendation from the Animal Husbandary Commissioner to the Government of India, Department of Agriculture, New Delhi regarding the essentiality of the material (description/quantity/value) to the party concerned.

(ii) The importer concerned shall, within 15 days from the date of the clearance of the consignment from Customs, intimate to the Department of Agriculture, New Delhi, particulars of the items imported their quantity, and cif value.

(iii) The imported material shall be subject to the "Actual User" condition at the hands of the poultry farm/hatchery concerned.

2. In the case of medical gas cylinders, import shall be allowed to Actual Users (Industrial) having Industrial licence/registration for manufacture of medical gas (oxygen) and nitrous oxide and having valid licence issued under the Drugs and Cosmetics Act, 1940. It shall also be subject to the following conditions :—

(i) Imported medical gas cylinders shall be used only for medical purposes for compressing and supplying medical Gas.

(ii) Cylinders and valves fitted thereto to be imported must be of a type as approved by the Chief Controller of Explosives and accepted for use under the Gas Cylinder Rules, 1981.

(iii) Cylinders imported should not be used for any gas service other than the medical gas for a period of 10 years from the date of importation.

(iv) The importer shall obtain necessary permission from the Chief Controller of Explosives as required under the Gas Cylinder Rules, 1981.

3. In the case of Co2 Gas Cylinders upto 15 litres water capacity for fire extinguishers, the conditions referred to in sub para 2 (ii) to (iv) above shall apply.

4. In the case of Broken Electric Motors, the eligible importer will be Metal Scrap Trade Corporation Ltd. The imported material shall be salvaged by M.S.T.C. and distributed to the eligible Actual Users.

5. In the case of Electromagnetic Water Conditioning System, the eligible importers shall be Local Bodies (Municipal Corporations etc.), Government Departments and other public sector undertakings.

6. In the case of (i) Gibberellic acid and (ii) Grape Guard paper, the eligible importers will be agriculture,

development corporations of the Central or State Government/Union Territory, co-operative societies of farmers, and Associations of farmers recognised by Government. The imported material shall be for distribution to Grape growers only and the importers shall maintain proper account of distribution of the imported goods and produce such account to the licensing authority and other concerned Government authorities.

7. In the case of photographic chemicals referred to in (h) above, the eligible importers will be (i) Actual Users registered under the local law applicable to shops and establishments and (i) Film Studies, film processing laboratories and testing laboratories certified as such by the State Director of Industries.

8. At the time of clearance of goods, the importer shall furnish to the Customs authority a declaration giving particulars of recognition/registration with the authority concerned, namely, number and date of recognition/registration certificate and affirming that such recognition/registration has not been cancelled or withdrawn or otherwise made inoperative. In cases, where separate recognition/registration number has not been allotted by the authority concerned, the importer shall produce other evidence to the satisfaction of the customs authority.

9. The importer shall maintain proper account of consumption and utilisation of the goods imported under this licence in the form and manner laid down and produce such account to the licensing authority or any other Government authority within such time as may be specified by it.

10. The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa.

11. Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March of the licensing year, without any grace period, whatsoever.

12. This licence shall also be subject to the condition No. 1 in Schedule V to the Imports (Control) Order, 1955.

13. Nothing in this licence shall affect the application to any goods, of any other prohibition or regulation affecting the import thereof, in force at the time when such goods are imported.

14. The licence does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from an obligation or compliance with any requirement to which the Actual Users may be subject to under other laws or regulations. The importers should comply with the provisions of all other laws applicable to them.

Note.—For the purposes of this Order, reference to "the licensing year", and "the following licensing year", wherever appears in this Order shall have the same meaning as mentioned in Import and Export Policy (Volume I) for 1985—88.

[File No. IPC/3/18/85]

आदेश सं० 7/85/88

खुला सामान्य लाइसेंस सं. 17/85—88

का. आ. 319(अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 100% निर्यात अभिमुख यूनिटों के रूप में सरकार द्वारा अनुमोदित वास्तविक उपयोक्ताओं को अगला आदेश जारी होने तक निम्नलिखित के आयात के लिए सामान्य अनुमति देती है;

(1) जनरेटिंग सेट्स सहित पूंजीगत माल (चाहे नए या पुराने हों);

(2) उत्पाद विविधिकरण या विकास या मूल्यांकन के लिए प्रत्येक किस्म के अधिकतम 2 नग तक प्रोटोटाइप और तकनीकी नमूने;

(3) कच्चा माल, संघटक, उपभोग्य और मध्यस्थ;

(4) अतिरिक्त पुर्जे;

(5) पैकिंग सामग्री;

(6) सामान उत्थापक उपस्कर जैसे फोर्कलिफ्ट्स, ओवरहैड क्रेन्स (केवल यूनिट के प्रारंभिक स्थापन के लिए) और भवन निर्माण सामग्री;

(7) (क) अपने निजी उत्पादन/प्रयोग या उत्पाद विविधिकरण या विकास या मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक नग।

(1) विद्युतीय/इलैक्ट्रानिकी टाइपराइटर;

(2) विद्युत प्रचालित संगणक मशीन;

(3) फोटो कोपिंग मशीन;

(4) डिक्टेशन टेप रिकार्डर;

(5) टेलिप्रिन्टर, यदि संचार मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दी गई हो;

(6) इलक्ट्रानिकी रूप से प्रचालित पी बी एक्स/पी ए बी एक्स सहित पी बी एक्स/बी ए बी एक्स।

(ख) फोटोकोपिंग पेपर, संगणक, मशीन पेपर रौल्स, फोटोकोपिंग प्रयोजन के लिए टोनर और डिस्पर्सेन्ट, उपर्युक्त 7 (क) में (1) से (6) तक की मशीनों के अतिरिक्त पुर्जे और इन मशीनों के लिए अपेक्षित उपभोज्य औजार; प्रति वर्ष अधिकतम 5000/- रुपये मूल्य के लिए।

उपर्युक्त आयात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :—

(क) आयात वास्तविक उपयोक्ता शर्तों के अधीन होगा;

(ख) माल का आयात कस्टम बान्डिड फैक्टरी में किया जाएगा;

(ग) यूनिट उन सभी शर्तों का अनुपालन करेगी जिनके अधीन आयातित माल पर सीमाशुल्क कर के भुगतान से छूट दी गई है;

(घ) जो सामान्य क्रियाविधि कस्टम बान्डिंग के लिए लागू है उसी का अनुसरण माल के आयात के पत्तन से कारखाने तक माल ले जाने के उद्देश्य के लिए ट्रांजिट बान्ड सहित किया जाएगा;

(ङ) पूर्ण उत्पादन और प्रचालन कस्टम बांन्डिंग कारखाने द्वारा/के अन्तर्गत किया जाएगा;

(घ) प्रस्तुत नीति के परिशिष्ट 2 भाग क के अधीन जिन मदों का घरेलू टैरिफ क्षेत्र में आयात निषेध है उनके आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. पुराने पूंजीगत माल के आयात के लिए आयातक जिस देश से आयात किया गया है उसी देश के स्वावलम्बी व्यवसायी सनदी लेखापाल/तुल्य संस्थान से एक प्रमाणपत्र निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट करते हुए माल की निकासी के समय सीमाशुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा :—

(क) संयंत्र और मशीनरी के निर्माता का नाम;

(ख) निर्माण का वर्ष,

(ग) संयंत्र और मशीनरी की वर्तमान दशा और इसकी संभावित शेष आयु (पांच वर्ष से कम संभावित शेष आयु वाली मशीनरी के और 7 वर्ष से अधिक पुरानी मशीनरी के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी)।

(घ) यदि नया खरीदा गया हो तो तुल्य पूंजीगत माल का लागत-बीमा भाड़ा मूल्य;

(ङ) यदि कोई सुधार/मरम्मत की गई है तो उसका स्वरूप और तिथि (यों) जिसको सुधार/मरम्मत किए गए हैं; और

(च) संभरक द्वारा मांगी गई कीमत के संबंध में विचार और इस विचार का आधार।

3. मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात, नई दिल्ली के कार्यालय के निर्यात आयुक्त द्वारा पूर्व स्वीकृति दे देने पर ऐसी यूनिटों को निम्नलिखित वस्तुओं का आयात करने की अनुमति दी जा सकती है :—

(1) उपर्युक्त पैरा 1 में न आने वाले आदिरूपों और तकनीकी नमूनों के लिए।

(2) ड्राइंग, ब्लू प्रिंटस, चार्टस, माइक्रो-फिल्मों सहित तकनीकी आंकड़ों के लिए।

4. ऐसी यूनिटों को इस विशेष प्रयोजन के लिए उन के द्वारा निर्यात की गई मशीनरी/उपस्कर को विदेश में मरम्मत के बाद पुनः आयात करने की भी अनुमति दी जाएगी उसके लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा के भुगतान की भी अनुमति दी जाएगी।

5. प्रस्तुत खुले सामान्य लाइसेंस के प्रावधान उन औद्योगिक यूनिटों द्वारा पूंजीगत माल (चाहे नया या पुराना) के आयात के लिए भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होंगे जो उगाहे जाने योग्य सीमाशुल्क का भुगतान करके कम से कम पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के दौरान अपने उत्पादन का शत प्रतिशत पहले ही निर्यात करती रही है, परन्तु जिन्होंने शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिटों की स्कीम के अधीन सरकार द्वारा ऐसा अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है :—

(i) पुराने पूंजीगत माल का आयात करते समय आयातक सीमाशुल्क से माल की निकासी के समय उपर्युक्त अनुच्छेद (2) में संदर्भित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(ii) आयातक सीमाशुल्क से माल की निकासी के समय मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात नई दिल्ली से प्राप्त किया गया एक निर्यात निष्पादन प्रमाण पत्र संबंधित आयात नीति में निर्धारित क्रियाविधियों के अनुसार इस साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करेगा कि उसने पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में अपने उत्पादन के शत प्रतिशत का निर्यात किया है।

(iii) आयातक को इस संबंध में भी एक घोषणा-पत्र देना चाहिए कि इस प्रावधान के अधीन पूंजीगत माल के आयात के परिणामस्वरूप उस की अनुज्ञप्त/अनुमोदित क्षमता का अतिरेक नहीं होगा।

(iv) आयात वास्तविक उपभोक्ता शर्त के अधीन होगा।

6. यह लाइसेंस वाणिज्य मंत्रालय के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या 18/84 दिनांक 12, अप्रैल, 1984 का अतिक्रमण करता है।

[मि. सं. 1/2/74-ईपी. सी. (खण्ड 12.)]

ORDER NO. 17|85-88

OPEN GENERAL LICENCE NO. 17|85

S.O. 318(E).—In exercise of the Powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission till further orders to the Actual Users approved by the Government as 100% export oriented units, for the import of :

(1) Capital Goods (whether new or second-hand) including Generating sets ;

(2) Prototype and technical samples not exceeding two in number of each type for product diversification or development or evaluation ;

(3) Raw materials, components, consumables and intermediates ;

(4) Spares ;

(5) Packing materials ;

(6) Material handling equipments like Fork lifts, Overhead Cranes (for initial setting up of the unit only), and building construction materials ;

(7) (a) One number each of the following for its own production|use or product diversification or development or evaluation ;

(i) Electric|Electronic typewriter.

(ii) Electrically operated calculating machine.

(iii) Photocopying machine.

(iv) Dictation Tape Recorder.

(v) Teleprinter, if cleared by Ministry of Communications.

(vi) PBX|PABX including electronically operated PBX|PABX.

(b) Photocoping paper, calculating machine paper rolls, toner and dispersant for photocopying purposes, spares of the machines from (i) to)vi) in 7(a), above and consumable tools required for these machines for a value not exceeding Rs. 500 per year;

subject to the following conditions :

(a) Import shall be subject to actual user conditions;

(b) the goods shall be imported in customs bonded factory;

(c) the unit shall comply with all the conditions subject to which payment of Customs duty on the imported materials is exempt ;

(d) the normal procedure that is applicable for Customs bonding will be followed, including transit bond for the purpose of goods being taken from the port of importation to the factory;

(e) The entire production and operations shall be by| under Customs bonded factory;

(f) Import of items which are banned for import in the Domestic Tariff Area under Appendix 2-Part A of this policy will not be allowed.

2. For import of second hand Capital Goods, the importer shall produce to the customs authority at the time of clearance, a certificate from a professional independent Chartered Engineer| any equivalent institute in the country from which import is made, indicating :—

(a) Name of manufacturer of the plant and machinery;

(b) Year of manufacture;

(c) Present condition of the plant and machinery and its expected residual life (Import of machinery having expected residual life of less than 5 years and also machinery more than 7 years old shall not be allowed);

(d) The CIF value of equivalent Capital Goods, if purchased new;

(e) nature of reconditioning|repair done, if any, and the date(s) on which these were carried out; and

(f) opinion regarding the price asked for by the suppliers and the basis for such opinion.

3. On prior clearance of the Export Commissioner in the Office of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, such units may also be allowed to import the following :—

(i) Prototypes and technical samples not covered by para 1 above.

(ii) Drawings, blue prints, charts, technical data including micro-films.

4. Such units will also be allowed to re-import after repairs abroad, machinery|equipments exported by them for this specific purpose. Any foreign exchange payment necessary for this will also be allowed.

5. The provisions of this Open General Licence will also apply for the import of Capital Goods (whether new or second-hand) by industrial units exporting 100% of their production already, at least during the previous three financial years, but not approved as such by Government under the scheme of 100 per cent export oriented units, on payment of customs duty as may be leviable, subject to the following conditions :—

(i) The importer shall produce at the time of clearance through customs the certificate referred to in clause (2) above, when importing second-hand Capital Goods.

(ii) At the time of clearance through customs, the importer shall produce Export Performance Certificate obtained from the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, in accordance with the procedures laid down in the relevant import policy, as an evidence of having exported 100% of its production in the previous three financial years.

(iii) The importer should also give a declaration to the effect that the import of capital goods under this provision will not result in exceeding his licensed/approved capacity.

(iv) The import shall be subject to Actual User condition.

6. This licence is in supersession of the Ministry of Commerce Import Trade Control Order No. 18|84, dated the 12th April, 1984.

[File No. 1|2|74-EPC(Vol. XII)]

आदेश सं० 8/85—88

खुला सामान्य लाइसेंस सं०/8/85

का.आ. 319 (अ) .— आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 (1947 का 18) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार तत्संबंधी क्षेत्रों में स्थापित वास्तविक उपयोक्ताओं को (1) पूंजी गत माल (चाहे नया हो या पुराना), (2) कच्चा माल (3) संघटक, (4) फालतू पुर्जे (5) उपभोज्य सामग्री (6), पैकिंग सामग्री (7) औजार, जिग्स, फिक्सर्स और रोजिज या (8) आदि रूप और तकनीकी नमूने जो उत्पाद विविधिकरण और विकास या मूल्यांकन के लिए प्रत्येक किस्म के दो से अधिक नहीं हों (9) मुक्त व्यापार क्षेत्र में डीजल जनरेटिंग सेट का आयात करने के लिए आगे के आदेश होने तक सामान्य अनुमति प्रदान करती है जो प्रत्येक मामले में उस माल के लिए लागू वास्तविक उपयोक्ता शर्तों के अधीन होगी । तथापि, इस नीति के परिशिष्ट 2 भाग-क के अधीन घरेलू दरसूची क्षेत्र में आयात के लिए निषेध मदें इस खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत मुक्त व्यापार क्षेत्र में आयात करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी ।

2. पुराने पूंजीगत माल के आयात के लिए, आयातक माल की निकासी के समय सीमा शुल्क प्राधिकारी को जिस देश से आयात किया जाता है उस देश के स्वतंत्र व्यवसायी सनदी अभियन्ता/इसके समतुल्य संस्था से एक प्रमाणपत्र यह उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करेगा :—

(क) संयंत्र और मशीनरी के विनिर्माता का नाम;

(ख) विनिर्माण की तिथि ;

(ग) संयंत्र और मशीनरी की वर्तमान स्थिति और उसकी सम्भावित अवशेष आयु (ऐसी मशीनरी जिनकी सम्भावित अवशेष आयु 5 वर्ष से कम है और ऐसी मशीनरी भी जो 7 वर्ष से अधिक पुरानी हैं, उनके आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी) ;

(घ) इसके तुल्य पूंजीगत माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य, यदि नया खरीदा जाए;

(ङ) किए गए सुधार/मरम्मत की किस्म, यदि कोई हो, और किन तारीख(खों) में यह मरम्मत की गई थी/थीं ;

(च) सम्भरक द्वारा पूछी गई मूल्य से संबंधित राय और ऐसी राय के लिए आधार ।

3. संबन्धित क्षेत्र के विकास आयुक्त की सिफारिश करने पर, ऐसे वास्तविक उपयोक्ता अपने स्वयं के उत्पादन/उपयोग, उत्पाद विविधीकरण और विकास या मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ (1) पैरा 1 में न आने वाले आदि रूप और तकनीकी नमूनों (2) ड्राइंग, ब्ल्यु प्रिंट, चार्ट्स, माइक्रो फिल्मों सहित तकनीकी डाटा और (3) कार्यालय उपस्करण, फालतू पुर्जे और उनके उपभोज्यों का भी आयात कर सकते हैं ।

4. ऐसे वास्तविक उपयोक्ता (1) क्षेत्र में उनके द्वारा मरम्मत/सुधार करने के बाद जो पुनः निर्यात किए जाएंगे या (2) विदेशी प्रेषिति को वास्तविक उपयोक्ता द्वारा प्रेषित माल की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के भीतर (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन संबद्ध औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद (उस से माल की वापसी के लिए प्राप्त माल का भी आयात कर सकते हैं।

5. आयातक, आयात, खपत और सारे आयातित माल का उपयोग और उसके द्वारा किए गए निर्यातों का निर्धारित प्रपत्र में ठीक प्रकार से लेखा रखेगा और उसे क्षेत्र के विकास आयुक्त को और संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को उनके द्वारा यथा अपेक्षित आवधिक रूप में भेजेगा । आयातक इस मामले में सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम जोड़े गए मूल्य की शर्त का अनुपालन करेगा ।

6. इस लाइसेंस पर किसी माल के लिए उसके माल को प्रभावी करने वाला कोई अन्य प्रतिबन्ध या विनियमन जो ऐसे माल के आयात करने के समय लागू होंगे उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

7. यह लाइसेंस आयात व्यापार नियंत्रण आदेश सं. 19/84 दिनांक 12 अप्रैल, 1984 के अतिक्रमण में है ।

[फाइल सं. 1/2/16/आर ई पी/74-ई पी सी (वा 12)]

ORDER NO. 18/85—88

Open General Licence No. 18/85

S.O. 319(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government gives general permission, till further orders to the Actual Users located in the respective Zones for the import of (1) Capital Goods (whether new or second hand), (2) raw materials, (3) components, (4) spares, (5) consumables, (6) packing materials, (7) tools, jigs, fixtures and gauges or (8) prototype and technical samples not exceeding two in number of each type for product diversification and development or evaluation (9) Diesel Generating set into the Free Trade Zones, subject to the Actual User condition as applicable thereto in each case. However, items banned for Import in Domestic Tariff Area under Appendix 2, Part A of this Policy will not be allowed to be imported in the Free Trade Zones under this Open General licence.

N 2. For import of second hand Capital Goods, the importer shall produce to the Customs authority at the time of clearance, a certificate from a professional independent Chartered Engineer/any equivalent institute in the country from which import is made, indicating :—

(a) Name of manufacturer of the plant and machinery

(b) Year of manufacture ;

(c) Present condition of the plant and machinery and its expected resilual life (Import of machinery having expected residual life of less than 5 years and also machinery more than 7 years old shall not be allowed);

(d) The c.i.f. value of equivalent Capital Goods, if purchased new ;

(e) Nature of re-conditioning repair done, if any, and the date(s) on which these were carried out; and

(f) Opinion regarding the price asked for by the suppliers and the basis for such opinion.

3. On the recommendation of the Development Commissioner of the concerned Zone, such Actual Users may also import for the purpose of their own production/use, product diversification and development or evaluation (i) prototypes and technical samples not covered in para 1, (ii) drawings, blue prints, charts, technical data including micro-films and (iii) office equipment, spares and consumables thereof.

(4) Such Actual Users may also import goods received (i) for repairs/reconditioning by them in the Zone and to be re-exported thereafter or (ii) back from the consignees overseas within a period of three years from the date of their despatch to him by the Actual User (after following the connected formalities under the Foreign Exchange Regulations Act).

5. The importer shall maintain in the prescribed form proper account of the import, consumption and utilisation of all imported materials and of the exports made by him and submit them periodically as required to the Development Commissioner of the Zone and to the licensing authority concerned. The importer shall conform to the minimum value added condition stipulated by Government in his case.

6. This licence is without prejudice to the applications to any goods of any other prohibition or regulation affecting the import that may be in force at the time when such goods are imported.

7. This licence is in supersession of Ministry of Commerce Import Trade Control Order No. 19/84, dated the 12th April, 1984.

[File No. 1/2/XVI/REP-74-EPC (Vol. XII)]

आदेश सं० 19/85–88

खुला सामान्य लाइसेंस सं० 19/85

का०आ० 320(अ) :– आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दक्षिण अफ्रीका/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका संघ को छोड़कर किसी भी देश से पूंजीगत माल का भारत में आयात करने की सामान्य अनुमति देती है :–

(1) पात्र आयातक निम्नलिखित होंगे :–

(1) सर्वश्री कोल इंडिया लि०

(2) सर्वश्री नवेली लिगनाइट कार्पोरेशन लि०

(3) सर्वश्री भारत कोकिंग कोल लि०

(4) सर्वश्री सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि०

(5) सर्वश्री ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि०

(6) सर्वश्री वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि०

(7) सर्वश्री सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि०

(8) सर्वश्री सिंगरेणी कोलरीज कम्पनी लि०

(2) आयात इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा रिहा की गई विदेशी मुद्रा के मद्दे किया जाएगा।

(3) आयात-निर्यात नीति, 1985-88 (खण्ड-1) के परिशिष्ट-1 भाग-क में उल्लिखित पूंजीगत माल के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी । पूंजीगत माल की अन्य मदों के संबंध में (परिशिष्ट 1 भाग ख में दर्शाई गई मदों को छोड़कर), आयात महानिदेशक, तकनीकी विकास, नई दिल्ली से प्राप्त की जाने वाली देशी दृष्टिकोण से निकासी के अधीन होगा । परिशिष्ट 1 भाग ख में दर्शाई गई मदों के लिए देशी दृष्टिकोण से निकासी की आवश्यकता नहीं होगी ।

(4) इस प्रकार आयातित माल नव निर्मित हो, यदि वह पुराना या मरम्मत सुदा है तो आयात केवल तभी अनुमित किया जाएगा यदि मशीनरी 7 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है और उसकी बाकी की आयु पांच वर्षों से कम नहीं है, और आयातक माल की निकासी के समय सीमा शुल्क अधिकारी को जिस देश से माल आयात किया जाता है उस देश के स्वतंत्र व्यवसायी सनदी अभियन्ता/अन्य इसके तुल्य संस्था से यह उल्लेख करते हुए एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा :—

(क) संयंत्र और मशीनरी के विनिर्माता का नाम;

(ख) विनिर्माण का वर्ष;

(ग) संयंत्र और मशीनरी की वर्तमान स्थिति और उसकी सम्भावित अवशेष आयु ;

(घ) यदि नया खरीदा जाए तो उसके तुल्य पूंजीगत माल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य;

(ङ) सुधार/मरम्मत की किस्म, यदि की गई हो और बंद तारीख [खें] जब मरम्मत की गई थी/थीं;

(च) सम्भरक द्वारा मांगी गई कीमत के सम्बन्ध में राय और ऐसी राय के लिए आधार

(5) आयात (वास्तविक उपयोक्ता) शर्त के अधीन होगा ।

(6) यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची -5 की शर्त-1 के भी अधीन होगा।

(7) इस तरह आयात किया गया माल दक्षिण अफ्रीका/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका संघ में तैयार अथवा विनिर्मित न किया गया हो।

(8) भारत को ऐसे माल का लदान किसी भी रियायती अवधि के बिना लाइसेंसिंग वर्ष की 31 मार्च को या इससे पूर्व, या लाइसेंसिंग वर्ष की फरवरी की अन्तिम तिथि को या इससे पूर्व विदेशी मुद्रा के व्यापारी (बैंक) के साथ पंजीकृत और की गई पक्की संविदा के मद्दे अगले वर्ष की 31 मार्च, को या इससे पूर्व भारत को कर दिया गया हो ।

(9) यदि माल के आयात के समय उसके आयात पर प्रभाव डालने वाला कोई निषेध या विनियम लागू होगा, तो इस लाइसेंस का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(10) यह लाइसेंस किसी भी वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) जब अन्य कानून या विनियमों की शर्तों के अधीन आता हो, तो उसे उसके दायित्व या किसी आवश्यकता का अनुपालन करने से कोई उन्मुक्ति, छूट या ढील प्रदान नहीं करता है । आयातक को इसके लिए लागू अन्य सभी कानूनों के उपबन्धों का अनुपालन करना चाहिए ।

टिप्पणी :—

इस आदेश के प्रयोजनार्थ "लाइसेंसिंग वर्ष" और "अगला लाइसेंसिंग वर्ष" जहां भी संदर्भ में आता है उसका वही अर्थ है जो 1985-88 की आयात एवं निर्यात नीति (खण्ड-1) में उल्लिखित है ।

[फा० सं० आई० पी० सी० 3/18/85]

ORDER NO. 19/85—88

Open General Licence No. 19/85

S.O. 320(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country, except the Union of South Africa/South West Africa, Capital Goods, subject to the following conditions :—

(1) The eligible importers will be :—

(i) M/s. Coal India Limited.

(ii) M/s. Neyveli Lignite Corporation Limited.

(iii) M/s. Bharat Coking Coal Limited.

(iv) M/s. Central Coalfields Limited.

(v) M/s. Eastern Coalfields Limited.

(vi) M/s. Western Coalfields Limited.

(vii) M/s. Central Mine Planning and Design Institute Limited.

(viii) M/s. Singareni Collieries Company Limited.

(2) Import shall be made only against foreign exchange released by the Government for the purposes.

(3) Capital Goods mentioned in Appendix 1 Part-A of Import and Export Policy, 1985—88 (Volume I) will not be allowed to be imported. In respect of other items of Capital Goods (excluding those appearing in Appendix 1 Part-B) import shall be subject to indigenous clearance to be obtained from DGTD, New Delhi. No indigenous clearance will be necessary for items appearing in Appendix 1 Part-B.

(4) The goods so imported shall be of new manufacture; if they are second-hand or reconditioned items, their import will be permitted only if the machinery is not more than seven years old and its remaining life is not less than five years, and the importer shall produce to the customs authority at the time of clearance, a certificate from a professional indepnedent Chartered Engineer/any equivalent institute in the country from which import is made, indicating :

(a) Name of manufacturer of the plant and machinery;

(b) Year of manufacture;

(c) Present condition of the plant and machinery and its expected residual life;

(d) The CIF value of equivalent Capital Goods. If purchased new;

(e) Nature of reconditioning/repairs done, if any, and the date(s) on which those were carried out;

(f) Opinion regarding the price asked for by the suppliers and the basis for such opinion.

(5) The import shall be subject to Actual User condition.

(6) The licence shall also be subject to the condition No. (1) in Schedule V of the Imports (Control) Order, 1955.

(7) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa.

(8) Such Goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March of the licensing year or on or before 31st March of the following licensing year against firm contracts entered into and registered with a foreign exchange dealer (bank) on or before the last date of February of the licensing year wthout any grace period whatsoever.

(9) Nothing in this Licence shall affect the application to any goods, of any other prohibition or regulation affecting the import thereof, in force at the time when such goods are imported.

(10) The Licence does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from an obligation or compliance with any requirement to which the Actual Users (Industrial may be subject under other laws or regulations. The importers should comply with the provision of all other laws applicable to them.

Note.—For the purposes of this Order, references to "the licensing year", and "the following licensing year", wherever appears in this Order shall have the same meaning as mentioned in Import and Export Policy (Volume I) for 1985—88.

[File No. IPC/3/318/85]

आदेश सं० 20/85-88

खुला सामान्य लाइसेंस सं० 20/85

का०आ० 321 (अ)—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयात निर्यात नीति, 1985-88 (खण्ड-1) के अन्तर्गत भारत में न रहने वाले भारतीयों को उपलब्ध सुविधाओं के अधीन वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) द्वारा पूंजीगत माल, कच्ची सामग्री, संघटकों, उपभोज्य और फालतू पुर्जों का दक्षिण अफ्रीका/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका संघ को छोड़कर किसी भी देश से आयात करने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सामान्य अनुमति देती है :

(1) पात्र आयातक, भारतीय अनिवासी होंगे (जिसमें वह आदिवासी भारतीय शामिल हैं,) जिसने विदेशी राष्ट्रीयता प्राप्त कर ली हो और वह व्यक्ति विदेश में रहने वाला, मूल रूप से भारतीय हो।

(2) ऐसा पात्र व्यक्ति स्थाई रूप से भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए, और निवास करने के लिए वापस आएगा और विद्यमान उद्योग के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण के लिए अथवा सेवा उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजी लगाने सहित उस उद्योग में पूंजी लगाएगा।

(3) सीमाशुल्क के माध्यम से माल की निकासी के समय उपर्युक्त (1) और (2) के अन्तर्गत अपनी पात्रता दिखाने के लिए आयातक संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

(4) इस लाइसेंस के अधीन पात्र व्यक्ति मशीनरी और संबंधित कच्चे माल, संघटकों, उपभोज्यों और फालतू पुर्जों का आयात निर्धारित शर्तों के अधीन भारत में उद्यम में उपयोग के लिए विदेश में कमाई गई अपनी विदेशी मुद्रा और स्रोतों से खरीद कर वास्तविक उपयोक्ता शर्तों के अधीन कर सकता है, भारत से धन परेषण करके नहीं। आयातित मशीनरी और अन्य माल का उपयोग आयातक द्वारा भारत में स्थापित किए जा रहे उस उद्योग में किया जाएगा जिसमें आयातक लागू नीति के अनुसार धन लगा रहा हो। सीमाशुल्क से निकासी के समय आयातक यह घोषणापत्र प्रस्तुत करेगा कि :—

(क) आयातित मशीनरी और अन्य माल आयातक द्वारा विदेश में कमाई से/स्रोतों से खरीदा गया है और उसमें भारत से कोई भी धन परेषण शामिल नहीं है; और

(ख) सीमाशुल्क के माध्यम से निकासी की तिथि से तीन महीने के भीतर आयातक विषयाधीन मशीनरी और अन्य माल के आयात के विषय में उस राज्य के उद्योग निदेशालय को सूचित करेगा जिसमें मशीनरी का उपयोग किया जायेगा। परन्तु, इलक्ट्रोनिक मदों के मामले में सूचना इलैक्ट्रोनिक विभाग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली को भेजी जाएगी जिसकी एक प्रति संबंधित उद्योग निदेशक को भेजी जाएगी।

(5) जनेरेटिंग मैट्रा, कम्प्यूटर सिस्टम, कार्यालय उपस्कर, आदि रूपों और आयात निर्यात नीति, 1985-88 (खण्ड 1) के परिशिष्ट-1 भाग क में प्रतिबंधित पूंजीगत माल और आयात निर्यात नीति, 1985-88 (खण्ड 1) के परिशिष्ट 1 भाग ख में जो शामिल हैं, उनसे भिन्न पुराने (प्रयुक्त) पंजीगत माल के आयात की अनुमति इस लाइसेंस के अधीन नहीं दी जाएगी।

(6) निम्नलिखित मदों में से औद्योगिक लाइसेंस विनियमों के अधीन एक या अधिक का निर्माण करने वाले इलैक्ट्रॉनिकी उद्योगों के लिए पूंजीगत माल के आयात के लिए कोई भी उच्च सीमा नहीं होगी :—

(1) इलैक्ट्रानिकी संघटक (एल०एस०आई०ए०वी० एस०एस०आई०);

(2) इलक्ट्रॉनिकी यंत्र;

(3) टेप रिकार्डर्स;

(3) दु-इन-वन्स;

(5) हो-फी उपस्कर;

(6) इलैक्ट्रानिकी अध्यापन सहाय;

(7) औद्योगिक और संसाधन नियंत्रण सिस्टम;

(8) प्रमुख प्रव सिस्टम्स, राडार्स, नौ-परिवहन सहाय के संचार उपस्कर; और

(9) इलैक्ट्रोनिकी चिकित्सा उपस्कर।

(6.2) राडार्स, नौ-परिवहन सहाय और संचार उपस्कर का निर्माण करने वाली यूनिटों के संबंध में निर्माण कार्य आरम्भ करने से पहले इलैक्ट्रॉनिकी विभाग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली से विशेष पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा;

(6.3) इस प्रावधान के अन्तर्गत कम्प्यूटरों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(6.4) पात्र आयातक को उपर्युक्त शर्त सं० (6.1) में उल्लिखित मदों और उपस्करों के निर्माण के लिए अपेक्षित किसी भी पूंजीगत माल के आयात को अनुमति दी जायेगी। आयात के लिए देशी दृष्टिकोण से किसी प्रकार की निकासी की आवश्यकता नहीं होगी;

(6.5) उपर्युक्त (6.1) में सूचीबद्ध उद्योगों के प्रस्तुत लाइसेंस के अन्तर्गत कच्ची सामग्री, संघटकों, उपभोज्यों और फालतू पुर्जों के आयात की अनुमति भी औद्योगिक यूनिटों को केवल प्रथम 12 मास की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए दी जाएगी। परिशिष्ट 2 और 5 में आई हुई मदों की अनुमति भी खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत नहीं दी जाएगी। मूल्य से अधिक की मदों के मामले में इलैक्ट्रोनिकी विभाग, नई दिल्ली से पूर्व निकासी प्राप्त करनी होगी और ऐसी निकासी आयात के समय सीमा-शुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। आयात-निर्यात नीति 1985-88 (खण्ड 1) के परिशिष्ट-3 में प्रदर्शित 5 लाख रुपए ।

(7) उपर्युक्त उप पैरा (6.1) में उल्लिखित उद्योगों से भिन्न उद्योगों के मामले में आयातित मशीनरी का मूल्य 20 लाख रुपए (अवतरण लागत) से अधिक नहीं होगा और जिस यूनिट में आयातित मशीनरी का उपयोग किया जाएगा उसमें संयंत्र और मशीनरी में लगी हुई कुल पूंजी का मूल्य लघु पैमाने के उद्योगों के लिए निर्धारित उच्च सीमा से अधिक नहीं होगा।

(8) इस लाइसेंस के उप पैरा (7) के अन्तर्गत मशीनरी का आयात करने के लिए पात्र व्यक्ति भी अपनी प्रथम 12 महीनों की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए कच्चे माल, संघटकों, उपभोज्यों और फालतू पुर्जों जो मूल्य में 5 लाख रुपए (लागत बीमा-भाड़ा) से अधिक न हों, का आयात इस लाइसेंस के अधीन कर सकते हैं। परिशिष्ट 2 और 5 में आई हुई मदों के आयात की अनुमति इस खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत नहीं दी जाएगी। आयात-निर्यात नीति, 1985-88 (खंड 1) के परिशिष्ट-3 में प्रदर्शित मदों के लिए महानिदेशालय, तकनीकी विकास, नई दिल्ली या इलैक्ट्रोनिकी विभाग, नई दिल्ली जैसा कि मामला हो, उससे पूर्व निकासी प्राप्त करनी होगी और वह आयात के समय सीमाशुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत करनी होगी। आयातित माल का उपयोग उसी यूनिट में किया जायगा जिसके लिए इस लाइसेंस के अधीन मशीनरी का आयात किया गया है।

(9) इस प्रकार आयातित माल नव निर्मित्त होगा यदि वह पुराना या मरम्मत सुदा है, तो आयात केवल तभी अनुमित किया जाएगा यदि मशीनरी 7 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है और उसकी बाकी की आयु पांच वर्षों से कम नहीं है और आयातक माल की निकासी के समय सीमा शुल्क अधिकारी को जिस देश से माल आयात किया जाता है उस देश के स्वतंत्र व्यवसायी सनदी अभियन्ता/किसी अन्य इस के तुल्य संस्था से यह उल्लेख करते हुए एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा :—

(क) संयंत्र और मशीनरी के विनिर्माता का नाम

(ख) विनिर्माण का वर्ष;

(ग) संयंत्र और मशीनरी की वर्तमान स्थिति और उसकी संभावित अवशेष आयु;

(घ) यदि नया खरीदा जाए तो उसके तुल्य पूंजीगत माल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य

(ङ) सुधार/मरम्मत की किस्म, यदि की गई हो और वह तारीख (ख) जब मरम्मत की गई थी/थीं;

(च) सम्भरक द्वारा मांगी गई कीमत के संबंध में राय और ऐसी राय के लिए आधार।

(10) न तो लगाई गई पूंजी और न ही लाभांशों को विदेश में प्रत्यावर्तित करने की अनुमति दी जायगी।

(11) आयात वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधीन होगा। पूंजीगत माल बेचने के लिए पांच साल की अवधि तक कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

(12) संबद्ध औद्योगिक यूनिट को प्रस्तुत लाइसेंस के अधीन पूंजीगत माल के प्रथम परेषण के आयात की तिथि से 12 महीनों की अवधि के भीतर इस संबंध में लागू नीति और क्रिया-विधियों के अनुसार महानिदेशालय, तकनीकी विकास, नई दिल्ली से या राज्य के उद्योग निदेशक या अन्य संबद्ध प्राधिकारियों से औद्योगिक लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त करना होगा,

(13) पात्र आयातक, विदेशी मुद्रा विनियमों का अनुपालन करेंगे और लागू नियमों के अधीन तथा अपेक्षित विवेश में शेष विदेशी मुद्रा रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यक अनुमति प्राप्त करेंगे।

(14) इस प्रकार आयातित माल दक्षिणी अफ्रीका संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में निर्मित्त न हो।

(15) भारत को ऐसे माल का लदान, परेषण के माध्यम से किसी भी रियायती अवधि के बिना चाहे जो कुछ भी हो लाइसेंसिंग वर्ष की 31 मार्च को या इससे पूर्व या नीचे संकेतित तिथियों को कर दिया जाता हो :—

(क) उन कच्चे माल, संघटकों और उपभोज्य सामग्री के मामले में अगले लाइसेंसिंग वर्ष की 30 जून को या इससे पूर्व जिनके लिए लाइसेंसिंग वर्ष की फरवरी मास की अन्तिम तिथि को या इससे पूर्व अपरिवर्तनीय साख-पत्र खोल दिए जाते हैं;

(ख) उन पूंजीगत माल और फालतू पुर्जों के मामले में अगले लाइसेंसिंग वर्ष की 31 मार्च को या इससे पूर्व जहां लाइसेंसिंग वर्ष की फरवरी मास की अन्तिम तिथि को इससे पूर्व एक पक्की संविदा कर ली गई हो और उसे विदेशी मुद्रा का लेन देन करने वाले बैंक के पास पंजीकृत कर लिया गया हो।

(16) यदि इस प्रकार के माल की अनुमति के समय उसके आयात पर प्रभाव डालने वाला कोई निषेध या विनियम लागू होगा तो इस लाइसेंस का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(17) यह लाइसेंस किसी भी समय वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) या आयातक जब अन्य कानून या विनियमों की शर्तों के अधीन आता हो तो उन उसके दायित्व या किसी आवश्यकता का अनुपालन करने से कोई उन्मुक्ति, छूट या ढील प्रदान नहीं करता है। आयातक को इसके लिए लागू अन्य सभी कानूनों के उपबंधों का अनुपालन करना चाहिए।

टिप्पणी : इस आदेश के प्रयोजनार्थ "लाइसेंसिंग वर्ष" और "अगला लाइसेंसिंग वर्ष" जहां भी संदर्भ में आता है उसका वही अर्थ है जो 1985-88 की आयात एवं निर्यात नीति (खंड 1) में उल्लिखित है।

[मि. सं. आई.पी.सी/3/18/85]

ORDER NO. 20/85-88

OPEN GENERAL LICENCE NO. 20/85

S.O. 321(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country, except the Union of South Africa/South West Africa, Capital Goods, raw materials, components, consumables and spares by Actual Users (Industrial) under the facilities available to non-resident Indians in the Import and Export Policy for 1985-88 (Vol. I), subject to the following conditions :—

(1) The eligible imports shall be non-resident Indians (which includes non-resident Indians who have acquired foreign nationality and persons of Indian origin residing abroad).

(2) Such eligible person shall return to India for permanent settlement, for setting up an industry in India, including investment for expansion, diversification or modernisation of an existing industry or setting up a service industry.

(3) At the time of clearance of goods through Customs, the importer shall produce satisfactory evidence to establish his eligiblity under (1) and (2) above.

(4) Eligible persons can import machinery and connected raw materials, components, consumables and spares under this Licence, subject to 'Actual User' condition, purchased out of the importer's foreign exchange earnings and resources abroad, with no remittance from India, for use in an enterprise in India, subject to the conditions stipulated. The imported machinery and other materials shall be used in the industry being set up by the importer in India or for use in the industry in India in which the importer will be investing, in accordance with the policy in force. At the time of clearance through Customs, the importer shall furnish a declaration that :—

(a) The imported machinery and other materials has been purchased out of importers earnings/resour-

ces abroad, and does not involve any remittance from India ; and

(b) Within three months of the date of clearance from the Customs, the importer shall inform about the import of the machinery and other materials, in question, to the Director of Industries of the State in which the machinery shall be used. However, in the case of electronic items, the intimation should be sent to the Department of Electronics, Lok Nayak Bhavan, New Delhi, with a copy to the concerned Director of Industries.

(5) Import of generating sets, computer system, office equipment, proto-types, and restricted Capital Goods in Appendix-1 Part A of Import and Export Policy 1985-88 (Vol. I) and second hand (used) Capital Goods except those covered by App. 1 Part-B of Import and Export Policy 1985-88 (Volume I) shall not be allowed under this Licence.

(6.1) There will be no upper limit for import of Capital Goods meant for electronic industries manufacturing one or more of the following, subject to industrial licensing regulations :—

(i) Electronic components (other than LSI, VLSI);

(ii) Electronic instruments ;

(iii) Tape recorders ;

(iv) Two-in-one ;

(v) Hi-Fi equipment ;

(vi) Electronic teaching aids ;

(vii) Industrial and process control systems ;

(viii) Major subsystems, radar, navigational aids and communication equipment ; and

(ix) Electronic medical equipment.

(6.2) In respect of units manufacturing radars, navigational aids and communication equipment, a specific prior approval of the Department of Electronics, Lok Nayak Bhavan, New Delhi shall be necessary before taking up manufacture ;

(6.3) Manufacture of computers shall not be allowed under this provision ;

(6.4) The eligible importer will be allowed to import any Capital Goods necessary for the manufacture of the items and equipments mentioned in condition No. (6.1) above. No clearance from indigenous angle would be required for import ;

(6.5) For industries listed in (6.1) above, import of raw-materials, components, consumables, and spares, will also be allowed under this licence, to meet only the first 12 months requirements of the industrial unit. Items appearing in Appendix 2 and 5 will not be allowed under O.G.L. Items appearing in Appendix 3 of Import-Export Policy 1985-88 (Volume I) shall require prior clearance of the Department Electronics, New Delhi, in case the value exceeds Rs. 5 lakhs and such clearance shall be produced to the customs authority at the time of import. Imported materials shall be used in the same unit for which the machinery under this licence is imported.

(7) In the case of industries other than those mentioned in sub-para (6.1) above, the value of machinery imported shall not exceed Rs. 20 lakhs (landed cost) and the unit in which imported machinery shall be used will not have a total capital investment in plant and machinery of a value more than the upper limit fixed for small scale industries.

(8) Persons eligible to import machinery under sub-para (7) of this Licence, can also import raw materials, components, consumables and spares for meeting their first 12 months requirements under this Licence, subject to a maximum of Rs. 5 lakhs (cif) in value. Items appearing in Appendices 2 and 5 will not be allowed under O.G.L. For items appearing in Appendix 3 of the Import and Export Policy, 1985-88 (Vol. I), prior clearance from DGTD, New Delhi, or the Department of Electronics, New Delhi as the case may be, shall be obtained and produced to customs authority at the time of import. Imported material shall be used in the same unit for which the machinery under this licence is imported.

(9) Capital Goods imported shall be of new manufacture; if they are second-hand or reconditioned items, their import will be permitted only if the machinery is not more than seven years old and its remaining life is not less than five years, and the importer shall produce to the customs authority at the time of clearance, a certificate from and professional independent Chartered Engineer/any equivalent institute in the country from which import is made, indicating :

(a) Name of manufacturer of the plant and machinery ;

(b) Year of manufacture ;

(c) Present condition of the plant and machinery and its expected residual life ;

(d) The CIF value of equivalent Capital Goods, if purchased new ;

(e) Nature of reconditioning/repairs done, if any, and the date(s) on which those were carried out; and

(f) Opinion regarding the price asked for by the suppliers and the basis for such opinion.

(10) Neither the capital investment nor dividends shall be allowed to be repatriated abroad.

(11) Import shall be subject to 'Actual User' condition. No permission for sale of Capital Goods shall be allowed for a period of five years ;

(12) The industrial unit concerned will be required to obtain industrial licence or registration with the DGTD, New Delhi or State Director of Industries or other authorities concerned, in accordance with the policy and the procedures in force in this regard within a period of 12 months from the date of Import of first consignment of Capital Goods under this Licence.

(13) The eligible importers shall abide by the foreign exchange regulations and obtain necessary permission of the Reserve Bank of India to retain foreign currency balances abroad as required under the rule in force.

(14) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/ South West Africa.

(15) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March of the licensing year or on the dates mentioned below, without any grace period whatsoever :—

(a) On or before 30th June of the following licensing year in the case of raw-materials, components and consumable for which irrevocable letters of credit are opened and established on or before the last date of February of the licensing year.

(b) On or before 31st March of the following licensing year in the case of Capital Goods and spares where a firm contract has been entered into and registered with a foreign exchange dealer (bank) on or before the last date of February of the licensing year.

(16) Nothing in this Licence shall affect the application to any goods, of any other prohibition or regulation affecting the import thereof, in force at the time when such goods are permitted.

(17) The licence does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from an obligation or compliance with any requirement to which the Actual Users (Industrial) or the importer may be subject under other laws or regulations. The importers should comply with the provision of all other laws applicable to them.

Note.—For the purposes of this Order, reference to "the licensing year", and "the following licensing year", wherever appears in this Order shall have the same meaning as mentioned in Import and Export Policy (Volume I) for 1985-88.

[File No. IPC/3/18/85]

आदेश सं० 21/85-88

का. आ. 322(अ) :—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 से 4 क के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश को आयात (नियंत्रण) आदेश, 1985 की संज्ञा दी जाए। पहला संशोधन

(2) यह तत्काल से ही लागू होगा।

2. आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में, इसके पश्चात् इसे उक्त आदेश कहा जाए) खंड 11(1)(छ) के दूसरे परन्तुक को निम्नलिखित परन्तुक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"इसके अलावा जिन वस्तुओं पर इस उप-पैरा के अधीन छूट है उनके मामले में यह छूट इस शर्त पर होगी कि (क) अग्नेयास्त्रों के मामले में जब तक इन्हें इस प्रकार के व्यक्तियों या यात्रियों या कर्मीदल के सदस्यों द्वारा छुड़ाए जाने की तारीख से कम से कम दस वर्ष तक इस्तेमाल न किर लिया जाए अथवा (ख) टी. वी. के मामले में जब तक इन्हें इस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा छुड़ाए जाने की तारीख से कम से कम पांच वर्ष तक इस्तेमाल न कर लिया जाए या (ग) अन्य वस्तुओं के मामले में, जब तक उनका बाजार मूल्य उनकी खरीद के नए बाजार मूल्य की तुलना में घटकर 50 प्रतिशत से कम नहीं रह जाता; तब तक इस प्रकार की वस्तुएं बेची, विज्ञापित नहीं की जाएंगी और न ही उन्हें बेचने के संबंध में कोई बात की जाएगी या नहीं उन्हें किसी दूकान में बिक्री के लिए प्रदर्शित किया जाएगा।

3. उक्त आदेश में, अनुसूची 2 में,—

(1) कालम 2 में मद 10 के सामने "(आयात तथा निर्यात" कोष्ठकों और शब्दों को (विकास) शब्दों और कोष्ठकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(2) उससे संबंधित मद 12 और प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी।

4. उक्त आदेश की विद्यमान अनुसूची 3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची 3

(खण्ड 4 देखें)

आयात लाइसेंस के लिए दिए जाने वाले आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित शुल्क देना होगा :—

क्रम सं.	ब्यौरे	शुल्क की धनराशि
(1)	(2)	(3)
1.	जिन मामलों में आवेदन पत्र में विशिष्टिकृत माल का मूल्य 50,000/- रुपए से अधिक न हो	50/- रुपए
2.	जिन मामलों में आवेदन-पत्र में विशिष्टिकृत माल का मूल्य 50,000/- रुपए से अधिक हो किन्तु एक करोड़ रुपए से अधिक न हो	प्रत्येक एक हजार या उसके भाग पर एक रुपया या उसका एक भाग
3.	जिन मामलों में आवेदन-पत्र में विशिष्टिकृत माल का मूल्य एक करोड़ रुपए से अधिक हो	एक करोड़ रुपए तक प्रति एक हजार रुपए पर एक रुपया और अतिरिक्त प्रति हजार या उसके भाग पर 50 पैसे, जो अधिकतम 25,000/- रुपए होगा।

बशर्ते कि :—

1. जहां आवेदन पत्र में विशिष्टिकृत माल का मूल्य एक लाख रुपए से अधिक नहीं हो जाता, वहां कच्चे माल, संघटक, या फालतू पुर्जों के आयात के लिए छोटे पैमाने के वास्तविक उपयोक्ता या पंजीकृत निर्यातक द्वारा आयात लाइसेंस के लिए दिए गए आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में लगने वाले शुल्क की राशि 50/- रुपये होगी।

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में, आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट वस्तुएं कितने भी मूल्य की हो किन्तु उन पर 25/- रुपए के शुल्क की राशि देनी होगी :—

(1) परिपूरक लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र; या

(2) अनुलिपि लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र; या

(3) अलग-अलग लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र ।

3. आवेदन-पत्र में विशिष्टिकृत माल के मूल्य को ध्यान में दिए बिना अपील/पुनरीक्षा आवेदन पत्रों के लिए देय शुल्क की धनराशि इस प्रकार होगी :—

(1) प्रथम अपील	शून्य
(2) द्वितीय अपील	50 रुपए
(3) पुनरीक्षा/परिशोधन	100 रुपए

4. किसी आयात लाइसेंस की पोत लदान की अवधि में वृद्धि के लिए आए आवेदन-पत्र के साथ 50/- रुपए का शुल्क देना होगा चाहे कितना भी मूल्य हो ।

5. स्कूटर/आटो साइकिल/मोटर साइकिल/मोपड्स सहित एक वाहन के आयात के लिए आवेदन पत्र के सम्बन्ध में अदा किए जाने वाले शुल्क की धनराशि 500/- रुपए होगी और यह आवेदन-पत्र में विशिष्टिकृत ग्रेड के मूल्य को ध्यान में दिए बिना होगी ।

बशर्ते कि यह निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा :—

(क) किसी भी वस्तु के लिए (वाहन को छोड़कर) यदि उस व्यक्ति विशेष को उन वस्तुओं का आयात अपने वैयक्तिक प्रयोग के लिए करना हो न कि व्यापार या विनिर्माण कार्यों के लिए तो उस सम्बन्ध में आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भेजा गया आवेदन-पत्र; या

(ख) समाचार प्रतिष्ठान द्वारा 40 टन की मात्रा से कम अखबारी कागज आयात करने के लिए आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भेजे गए आवेदन-पत्र ।

शुल्क वसूल करने के लिए, सार्वजनिक जानकारी के लिए निम्नलिखित हिदायतें दी गई हैं :—

(1) शुल्क मुख्य शीर्षक "097 विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन" के अधीन शीर्षक "आयात लाइसेंस आवेदन-पत्र शुल्क" में जमा करना चाहिए ।

(2) आयात व्यापार नियंत्रण निक्षेप को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया की किसी भी एक शाखा में शुल्क जमा करना चाहिए ।

(3) यदि आवेदक ऐसे स्थान पर रहता है जहां आयात व्यापार नियंत्रण निक्षेप प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया की कोई शाखा नही है, तो आवेदन शुल्क एवं अन्य आयात व्यापार नियंत्रण निक्षेपों को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराने की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ।

(4) इस आदेश के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क के भुगतान का प्रमाण जब तक आवेदन-पत्र के साथ नहीं भेजा जाएगा, तब तक उस पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(5) उक्त आदेशों में, अनुसूची 5 के अनुबंध के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"अनुसूची 5 का अनुबंध

को समाप्त होने वाले आधे वर्ष के अन्त में लिए उपयोग रिपोर्ट

दिन मास वर्ष

1. लाइसेंसधारी का नाम और पता

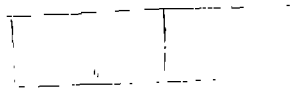

2. आयातक का कोड

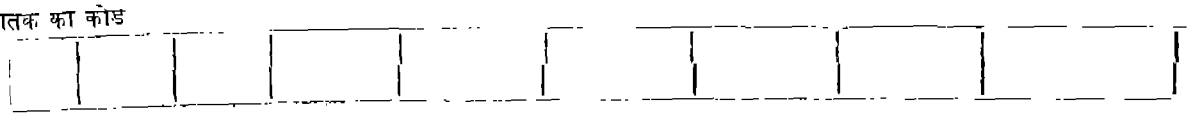

3. उपसर्ग और प्रत्ययों के साथ आयात लाइसेंस की क्रम सं.

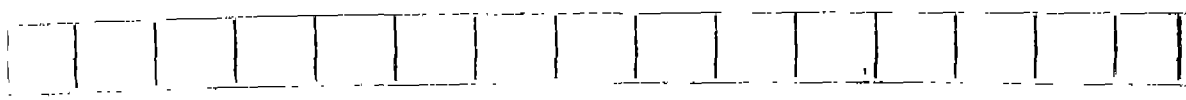

4. लाइसेंस जारी करने की तिथि

दिन मास वर्ष

5. लाइसेंस का मूल्य (रुपयों में)

6. माल का ब्यौरा

आधे वर्ष के दौरान किया गया उपयोग

क. सीमा-शुल्क प्रति

7. आयात की तिथि

दिन मास वर्ष

8. उपयोग में लाया गया मूल्य (रुपयों में)

9. निकासी का पत्तन

10. रिपोर्टाधीन आधे वर्ष के अन्त में लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रति में से उपयोग किया गया शेष मूल्य (रुपयों में)

ग. विदेशी मुद्रा का प्रेषण

*11. रिपोर्टाधीन आधे वर्ष के अन्त में लाइसेंस के मद्दे किए गए प्रेषणों के ब्यौरे (रुपयों में)

*12. रिपोर्टाधीन आधे वर्ष के अन्त में लाइसेंस की मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रति में शेष अप्रयुक्त मूल्य (रुपयों में)

13. आधे वर्ष के दौरान दिए गए आदेशों का मूल्य (रुपयों में)

14. शेष मूल्य (रुपयों में)

घ. खोले गए साख-पत्र

15. दिनांक दिन मास वर्ष

16. खोले गए साख-पत्रों का मूल्य (रुपयों में)

17. शेष मूल्य (रुपयों में)

18. लाइसेंस की वैधता की अवधि समाप्त होने की तिथि (पुन-वैधीकरण की अवधि यदि कोई हो तो उसके सहित।

	दिन		मास		वर्ष		
समाप्त होने की तिथि							

मास		वर्ष	

पुनर्वैधीकरण की अवधि

टिप्पणी :—एक खाने में केवल एक वर्ष या एक संख्या या एक विराम चिन्ह लगाइए उदाहरणार्थ सांख्यिकी निदेशक, मुख्य-नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को निम्न प्रकार से लिखा जाएगा :—

सां	ख्यि	की	नि	दे	श	क				

मु	ख्य	नि	यं	त्र	क		आ	या	त	नि	र्या	त		

का	का	र्या	ल	य	,	उ	द्यो	ग		भ	व	न		

न	ई		दि	ल्ली	-	1	1	0	0	1	1

*उदाहरण के लिए 28-2-85 को समाप्त होने वाले आधे वर्ष की विवरणी में कृपया निम्न प्रकार से लिखें :—

दिन		मास		वर्ष	
2	8	0	2	8	5

*कृपया केवल वास्तव में किए गए प्रेषणों का मूल्य दर्शाएं, इस कालम के सामने खोले गए साख-पत्रों का मूल्य नहीं दर्शाया जाना चाहिए;

**इस कालम के सामने वास्तविक प्रेषणों के पश्चात् शेष अप्रयुक्त मूल्य दर्शाया जाना चाहिए।"

[मिसिल सं. एच. बी./आई. टी. सी आदेश/85-86]

सांख्यांकित

एस. पी. धूपर, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

ORDER NO. 21/85—88

OPEN GENERAL LICENCE NO, 21/85

S.O. 322(E) :—In exercise of the powers conferred by Sections 3 and 4 A to the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Imports (Control) Order, 1955, namely :—

1. (1) This Order may be called the Imports (Control) First Amendment Order, 1985.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Imports (Control) Order, 1955 (hereinafter referred to as the said Order), for the second Proviso of Clause 11(1)(g) the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided further that where any goods are exempted under this sub-paragraph, the exemption shall be subject to the condition that such goods shall not be sold, advertised or offered for sale or displayed in a shop, until (a) in the case of fire-arms, which have been used for a period of not less than 10 years from the date of clearance by such person or passenger or member of the crew, or (b) in case of T.Vs, which have been used for a period not less than 5 years from the date of clearance by such person or passenger or member of the crew, or (c) in the case of other goods when market price has depriciated to less than 50% of their market price when new;"

3. In the said Order, in Schedule II,—

(i) against item 10, in column 2, for the brackets and words "(Imports and Exports)", the brackets and words "(Development)" shall be substituted;

(ii) Item 12 and entries relating thereto, shall be omitted.

4. For the existing Schedule III of the said Order, the following shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE III

(See Clause 4)

The following fees shall be leviable in respect of the application for an import licence :—

Serial No.	Particulars	Amount of fee
1.	2.	3.
1.	Where the value of goods specified in application does not exceed Rs. 50,000.	Rs. 50/-
2.	Where the value of the goods specified in the application exceeds Rs. 50,000/- but does not exceed Rs. one crore.	Rupee one per thousand or part thereof.
3.	Where the value of the goods specified in the application exceeds Rs. one crore.	Rupee one per thousand upto Rs. one crore and 50 paise per additional thousand or part thereof, subject to a maximum of Rs. 25,000/-.

Provided that :

(1) The amount of fee payable shall be Rs. 50 in respect of an application for import licence by a small scale actual user or a registered exporter, for the import of raw material, components and spares where the value of the goods specified in the application does not exceed rupees one lakh.

(2) The amount of fees payable shall be Rs. 25 irrespective of the value of the goods specified in the application in respect of—

(i) an application for the grant of subsidiary licence;
or

(ii) an application for the grant of duplicate licence;
or

(iii) an application for the grant of split-up licence.

(3) Irrespective of the value of goods specified in the application, the amount of fees payable for appeal/review applications shall be as under :—

(i) First appeal	Nil.
(ii) Second appeal	Rs. 50
(iii) Review/Revision	Rs. 100/-

(4) The amount of fees payable shall be Rs. 50 in respect of an application for extension of the period of shipment of an import licence irrespective of the value of the licence.

(5) The amount of fees payable shall be Rs. 500 in respect of an application for import of a Vehicle including Scooter, Auto Cycle/Motor Cycle/ Mopeds, irrespective of the value of goods specified in the application :

Provided further that no fees shall be payable in respect of—

(a) an application for an import licence for any goods (other than a vehicle) if the import of the goods is required by an individual for his own personal use unconnected with trade or manufacture; or

(b) an application for an import licence from a newspaper establishment for newsprint for a value covering a quantity of not more than 40 tonnes.

For the purpose of collection of fees, the following instructions are for general information :

(i) The fee should be credited under the Head 'Import licence application fees, subordinate to the major Head 097—Foreign Trade and Export Promotion';

(ii) Fee should be deposited in any one of the branches of Central Bank of India, which have been authorised to receive ITC deposits;

(iii) If the applicant is located in a place which does not have a branch of Central Bank of India authorised to receive ITC deposits, the facility of remittance of application fees and other ITC deposits through a bank draft will be available.

(iv) No application will be entertained which is not accompanied by such proof of payment of the fee prescribed under this Order."

4. In the said Order, for the Annexure to Schedule V, the following shall be substituted, namely :—

"Annexure to Schedule V

Utilization report for the half year ending*

Day Month Year

1. Name and address of the licensee

2. Importer's Code

3. Serial of the import licence with prefixes and suffixes :

4. Date of issue of the licence

Day Month Year

5. Value of the licence (Rs.)

6. Description of goods

Utilisation during the half year.

A. Customs Copy

7. Date of import.

Day Month Year

8. Value utilised (Rs.)

9. Port of clearance

10. Balance value utilized in the Customs Copy of the licence at the end of the half year under report (Rs.).

B. Foreign Exchange Remittances

**11. Details of remittances made against the licence during the half year under report (Rs.)

†12. Unutilized balance in the Exchange Control Copy of the licence during the end of the half year under report (Rs.)

C. Orders placed

13. Value of orders placed during the half year (Rs.).

14. Balance value (Rs.).

D. Letters of Credit Opened

15. Date

Day		Month		Year	

16. Value of the letters of credit opened. (Rs.).

17. Balance value (Rs.)

18. Date of expiry of the validity period of the licence (including the period of revalidation, if any)

Date of expiry	Day		Month		Year	

Period of revalidation	Month		Year	

Note: Please insert only one alphabet or one numberal or one punctuation mark in one box. e.g. Director of Statistics, Office of the Chief Controller of Imports and Exports, Udyog Bhavan, New Delhi-110011 will be inserted as follows:—

D	I	R	E	C	T	O	R	O	F	S	T	A	T	I	S	T	I	C	S

O	F	F	I	C	E	O	F	T	H	E		C	H	I	E	F	C	O	N	T	R	O	L	L	E	R

O	F	I	M	P	O	R	T	S	A	N	D	E	X	P	O	R	T	S	N	E	W

D	E	L	H	I	-	1	1	0	0	1	1

*For example for the return for the half year ending 28-2-85 please insert as follows:—

Day		Month		Year	
2	8	0	2	8	5

**Please indicate only the value of remittances actually made value of Letters of Credit opened should not be mentioned against this column;

†The value balance un-utilised after actual remittances must be mentioned against this column."

[F.No. HB/ITC Order/85-86]

आदेश सं. 22/85-88

खुला सामान्य लाइसेंस 21/85

का०आ० 323 (अ) :—आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अगला आदेश जारी होने तक विदेश में परियोजनाएं लेने वाले परियोजना ठेकेदारों को, भारतीय रिजर्व बैंक, या एक्जिम बैंक आफ इंडिया/आई डी बी आई से अपेक्षित अनुमति लेने के बाद भारत से लिए गए या विदेश से खरीदे गए (i) संबंधित उपस्करों, (ii) मशीनरी और सम्बद्ध अतिरिक्त पुर्जों (iii) संबंधित औजारों और (iv) संबंधित उपसाधित्रों या दक्षिणी अफ्रीका संघ और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका को छोड़कर विश्व के किसी भी देश से, परियोजनाएं पूर्ण हो जाने पर देश में पुनः आयात/आयात करने की सामान्य अनुमति देती है। लेकिन ऐसे पुनः आयातित/आयातित माल की निकासी चाहते समय परियोजना ठेकेदार को सम्बद्ध सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास इस संबंध में एक घोषणापत्र दाखिल करना अपेक्षित होगा कि इन संबंधित उपस्करों, मशीनरी और संबंधित अतिरिक्त पुर्जों, संबंधित औजारों और संबंधित उपसाधित्रों का परियोजना (परियोजना का नाम देना है) के निष्पादन के लिए प्रयोग किया गया था और या तो भारत से लिए गए थे या विदेश से खरीदे गए थे जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक सर उक्जिम बैंक आफ इंडिया/आई डी बीआई से अपेक्षित अनुमति प्राप्त कर ली गई थी।

2. उपर्युक्त अनुमति सीमा शुल्क प्राधिकारियों को इस संबंध में संतुष्टिपद साक्ष्य प्रस्तुत करने पर उस कार्यालय उपस्कर के मामले में भी उपलब्ध होनी चाहिए जिसका प्रयोग कम से कम एक वर्ष के लिए विदेश में परियोजना के निष्पादन के दौरान किया गया था।

पुनः आयात/आयात इस शर्त के अधीन होगा कि :—

(1) ऐसे माल का लाइसेंस वर्ष की 31 मार्च को या इससे पहले भारत के परेषण के माध्यम से पोतलदान कर दिया गया हो,

(2) यदि किसी माल के आयात के समय उसके आयात पर प्रभाव डालते हुए कोई अन्य निषेध या विनियम लागू हो तो इस लाइसेंस का उसकी प्रयोज्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) प्रस्तुत लाइसेंस वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक)/आयातक को किसी ऐसे आभार/अनुपालन से किसी समय भी उन्मुक्ति रियायत या छूट प्रदान नहीं करता जो उसे अन्य कानूनों या विनियमों की शर्तों के तहत पूर्ण करने हों। आयातकों को उनके लिए लागू अन्य सभी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए।

(4) उपर्युक्त अनुमति उस अन्य शर्तों के भी अधीन होगी जो विषयाधीन माल की खरीद के लिए अनुमति देते समय भारतीय रिजर्व बैंक/एक्जिम बैंक आफ इंडिया/आई डी बी आई द्वारा लगाई गयी थी।

टिप्पणी : इस आदेश के प्रयोजनार्थ "लाइसेंसिंग वर्ष" और "अगला लाइसेंसिंग वर्ष" जहां भी संदर्भ में आता है उसका वही अर्थ है जो 1985-88 की आयात एवं निर्यात नीति (खण्ड 1) में उल्लिखित है।

[मि०सं० 1/2/74-ई पी सी (वाल XII)]

पी०सी० जैन, मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात

ORDER NO. 22/85-88

OPEN GENERAL LICENCE NO. 21/85

S.O. 323(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission, till further orders, to the project contractors taking up projects abroad for re-import/import from any country in the world except the Union of South Africa and South West Africa of (i) related equipments, (ii) machinery and related spares, (iii) related tools and (iv) related accessories as were either taken from India or purchased abroad after taking necessary permission of the Reserve Bank of India, or EXIM Bank of India/IDBI, into the country, after completion of the projects. At the time of seeking clearance of such re-imported/imported goods, the project contractor shall, however, be required to file a declaration with the Customs Authorities concerned to the effect that these related equipments, machinery and related spares, related tools and related accessories were used for execution of the projects (name of the project to be mentioned) and were either taken from India or purchased abroad for which necessary permission of the Reserve Bank of India or EXIM Bank of India/IDBI, was obtained.

2. The above permission should also be available in the case of office equipmens which had been used during the course of the execution of the projects abroad for atleast one year, subject to the production of satisfactory evidence to this effect to the customs authorities.

3. The re-import/import shall be subject to the conditions that—

(1) Such goods are shipped on through consignments to India on or before 31st March, of the licensing year ;

(2) Nothing in this Licence shall affect the application to any goods, of any other prohibition or regulation affecting the import thereof, in force at the time when such goods are imported or re-imported ; and

(3) The licence does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from an obligation or compliance with any requirement to which the importer may be subject to under other laws or regulations. The importers would comply with the provisions of all other laws applicable to them.

4. The above permission shall also be subject to the conditions, if any, as may have been imposed by the RBI/EXIM Bank of India/IDBI, at the time of granting permission for purchase of the goods in question.

Note.—For the purposes of this Order, reference to "the licensing year", wherever appears in this Order shall have the same meaning as mentioned in Import and Export Policy (Volume I) for 1985-88.

[File No. 1/2/74-EPC (Vol. XII)]

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985